खण्ड-138, अंक-4
गुरूवार, 4 भाद्रपद, शक संवत् 1876
(26 अगस्त, 1954 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 138 में 5 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)

१९५४

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

—o—

वृहस्पतिवार, २६ अगस्त, १९५४

—o—

विधान सभा की बैठक सभा-मंडप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष श्री आत्माराम गोबिन्द खेर की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

—o—

उपस्थित सदस्यों की सूची (३७०)

अक्षयवर सिंह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अनन्तस्वरूप सिंह, श्री
अब्दुल मोईज खां, श्री
अमरेशचन्द्र पांडेय, श्री
अमृतनाथ मिश्र, श्री
अली जहीर, श्री सैयद
अवधशरण वर्मा, श्री
अवधेशचन्द्र सिंह, श्री
अवधेशप्रताप सिंह, श्री
आशालता व्यास, श्रीमती
इरतजा हुसैन, श्री
इसरारुल हक़, श्री
इस्तफा हुसैन, श्री
उदयभान सिंह, श्री
उमाशंकर, श्री
उमाशंकर तिवारी, श्री
उमाशंकर मिश्र, श्री
उम्मेदसिंह, श्री
उल्फतसिंह चौहान निर्भय, श्री
ओंकारसिंह, श्री
कन्हैयालाल, श्री
कन्हैयालाल बाल्मीकि, श्री
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कमाल अहमद रिजवी, श्री
करनसिंह, श्री
कल्याणराय, श्री
कामताप्रसाद विद्यार्थी, श्री
कालीचरण टंडन, श्री
किन्दरलाल, श्री
किशनस्वरूप भटनागर, श्री
कुंवरकृष्ण वर्मा, श्री
कृपाशंकर, श्री
कृष्णचन्द्र गुप्त, श्री
कृष्णचन्द्र शर्मा, श्री
कृष्णशरण आर्य, श्री
केवल सिंह, श्री
केशभान राय, श्री
केशव गुप्त, श्री
केशव पाण्डेय, श्री
केशवराम, श्री
कैलाश प्रकाश, श्री
खुशीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
गंगाधर, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगाधर शर्मा, श्री
गंगाप्रसाद सिंह, श्री
गजेन्द्रसिंह, श्री
गज्जूराम, श्री
गणेशचन्द्र काछी, श्री
गणेशप्रसाद जायसवाल, श्री
गणेशप्रसाद पांडेय, श्री
गिरजारमण शुक्ल, श्री
गिरधारीलाल, श्री
गुप्तार सिंह, श्री
गुरुप्रसाद पांडेय, श्री
गुरुप्रसाद सिंह, श्री
गुलजार, श्री
गुलाबसिंह, श्री
गोपीनाथ दीक्षित, श्री
गोवर्धन तिवारी, श्री

गोविन्द बल्लभ पन्त, श्री
गौरीराम, श्री
घनश्यामदास, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चतुर्भुज शर्मा, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रवती, श्रीमती
चन्द्रहास, श्री
चरणसिंह, श्री
चित्तरसिंह निरञ्जन, श्री
चिरंजीलाल जाटव, श्री
चिरंजीलाल पालीवाल, श्री
चुन्नीलाल सगर, श्री
छेदालाल, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
जगतनारायण, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री
जगन्नाथ प्रसाद, श्री
जगन्नाथ बख्श दास, श्री
जगन्नाथ सिंह, श्री
जगपति सिंह, श्री
जगमोहन सिंह नेगी, श्री
जटाशंकर शुक्ल, श्री
जयपाल सिंह, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जयेन्द्र सिंह विष्ट, श्री
जवाहरलाल, श्री
जवाहरलाल रोहतगी, डाक्टर
जुगलकिशोर, श्री
जोरावर वर्मा, श्री
झारखंडे राय, श्री
टीकाराम, श्री
डल्लाराम, श्री
डालचन्द, श्री
तिरमल सिंह, श्री
तुलाराम, श्री
तुलाराम रावत, श्री
तेजप्रताप सिंह, श्री
तेजबहादुर, श्री
तेजासिंह, श्री
त्रिलोकीनाथ कौल, श्री
दयालदास भगत, श्री
दर्शनराम, श्री
दलबहादुर सिंह, श्री
दाताराम, श्री
दीनदयालु शर्मा, श्री
दीनदयालु शास्त्री, श्री
दीपनारायण वर्मा, श्री
देवकीनन्दन विभव, श्री
देवदत्त मिश्र, श्री
देवदत्त शर्मा, श्री
देवनन्दन शुक्ल, श्री
देवमूर्ति राम, श्री
देवराम, श्री
देवेन्द्र प्रताप नारायण सिंह, श्री
द्वारका प्रसाद मित्तल, श्री
द्वारका प्रसाद मौर्य्य ,श्री
द्वारिका प्रसाद पांडेय, श्री
धनुषधारी पांडेय, श्री
धर्मसिंह, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ, श्री
नरदेव शास्त्री, श्री
नरोत्तमसिंह, श्री
नवलकिशोर, श्री
नागेश्वर द्विवेदी, श्री
नाजिम अली, श्री
नारायणदत्त तिवारी, श्री
नारायणदास, श्री
नारायणदीन वाल्मीकि, श्री
निरंजन सिंह, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
नेत्रपालसिंह, श्री
पद्मनाथ सिंह, श्री
परमेश्वरी दयाल, श्री
परिपूर्णानन्द वर्मा, श्री
पहलवान सिंह चौधरी, श्री
पुतीराम, श्री
पुत्तूलाल, श्री
पुन्नूराम, श्री
पुलिन बिहारी बनर्जी, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रतिपाल सिंह, श्री
प्रभाकर शुक्ल, श्री
प्रभूदयाल, श्री
प्रेमकिशन खन्ना, श्री
फजलुल हक़, श्री
फतेहसिंह राणा, श्री
फूलसिंह, श्री
बद्रीनारायण मिश्र, श्री

बनारसीदास, श्री
बलदेव सिंह, श्री
बलदेव सिंह आर्य, श्री
बलभद्र प्रसाद शुक्ल, श्री
बलवन्तसिंह, श्री
बशीर अहमद हकीम, श्री
बसन्तलाल, श्री
बसन्तलाल शर्मा, श्री
बाबूनन्दन, श्री
बाबूराम गुप्त, श्री
बाबूलाल कुसुमेश, श्री
बाबूलाल मीतल, श्री
बालेन्दुशाह, महाराजकुमार
बिशम्बर सिंह, श्री
बेचनराम, श्री
बेचनराम गुप्त, श्री
बेनीसिंह, श्री
बैजनाथ प्रसाद सिंह, श्री
ब्रह्मदत्त दीक्षित , श्री
भगवतीदीन तिवारी, श्री
भगवती प्रसाद शुक्ल, श्री (प्रतापगढ़)
भगवती प्रसाद शुक्ल, श्री (बाराबंकी)
भगवानदीन वाल्मीकि, श्री
भगवान सहाय, श्री
भीमसेन, श्री
भुवरजी, श्री
भूपालसिंह खाती, श्री
भृगुनाथ चतुर्वेदी, श्री
भोलासिंह यादव, श्री
मकसूद आलम खां, श्री
मंगलाप्रसाद, श्री
मथुरा प्रसाद त्रिपाठी, श्री
मथुरा प्रसाद पाण्डेय, श्री
मदनगोपाल वैद्य, श्री
मदनमोहन उपाध्याय, श्री
मन्नीलाल गुरुदेव, श्री
मलखान सिंह, श्री
महमूद अली खां, श्री (रामपुर)
महमूद अली खां, श्री (सहारनपुर)
महादेवप्रसाद, श्री
महाराज सिंह, श्री
महावीर प्रसाद शुक्ल, श्री
महावीर प्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महावीर सिंह, श्री
महीलाल, श्री

मान्धाता सिंह, श्री
मिजाजीलाल, श्री
मिहरबान सिंह, श्री
मुजफ्फरहसन, श्री
मुनीन्द्रपाल सिंह, श्री
मुन्नूलाल, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुश्ताक़ अली खां, श्री
मुहम्मद अब्दुल लतीफ, श्री
मुहम्मद अब्दुस्समद, श्री
मुहम्मद इब्राहीम, श्री हाफिज
मुहम्मद तकी हादी, श्री
मुहम्मद नबी, श्री
मुहम्मद नसीर, श्री
मुहम्मद मंजूरुल नबी, श्री
मुहम्मद शाहिद फाख़री, श्री
मुहम्मद सुलेमान अधमी, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहनसिंह, श्री
मोहनसिंह शाक्य, श्री
यमुनासिंह, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
रघुनाथप्रसाद, श्री
रघुवीर सिंह, श्री
रतनलाल जैन, श्री
रमेश वर्मा, श्री
राजकिशोर राव, श्री
राजकुमार शर्मा, श्री
राजनारायण, श्री
राजनारायण सिंह, श्री
राजवंशी, श्री
राजाराम, श्री
राजाराम किसान, श्री
राजाराम मिश्र, श्री
राजाराम शर्मा, श्री
राजेन्द्र दत्त, श्री
राधाकृष्ण अग्रवाल, श्री
रामअधार तिवारी, श्री
रामअधीन सिंह यादव, श्री
रामअनन्त पाण्डेय, श्री
रामअवध सिंह, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकुमार शास्त्री, श्री
रामकृष्ण जैसवार, श्री
रामगुलामसिंह, श्री

रामचन्द्र विकल, श्री
रामचरणलाल गंगवार, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामजी सहाय, श्री
रामदास आर्य, श्री
रामदास रविदास, श्री
रामदुलारे मिश्र, श्री
रामनरेश शुक्ल, श्री
रामनारायण त्रिपाठी, श्री
रामप्रसाद, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामप्रसाद नौटियाल, श्री
रामप्रसाद सिंह, श्री
रामबली मिश्र, श्री
रामभजन, श्री
राममूर्ति, श्री
रामरतन प्रसाद, श्री
रामराज शुक्ल, श्री
रामलखन, श्री
रामलखन मिश्र, श्री
रामलाल, श्री
रामवचन यादव, श्री
रामशंकर द्विवेदी, श्री
रामशंकर रविवासी, श्री
रामसनेही भारतीय, श्री
रामसहाय शर्मा, श्री
रामसुन्दर पाण्डेय, श्री
रामसुन्दर राम, श्री
रामसुभग वर्मा, श्री
रामसुमेर, श्री
रामस्वरूप, श्री
रामस्वरूप गुप्त, श्री
रामस्वरूप भारतीय, श्री
रामस्वरूप मिश्र विशारद, श्री
रामहरख यादव, श्री
रामहेत सिंह, श्री
रामेश्वर प्रसाद, श्री
रामेश्वर लाल, श्री
लक्ष्मणराव कदम, श्री
लक्ष्मीदेवी, श्रीमती
लक्ष्मीशंकर यादव, श्री
लालबहादुर सिंह, श्री
लालबहादुर सिंह कश्यप, श्री
लुत्फअली खां, श्री
लेखराज सिंह, श्री
वंशनारायण सिंह, श्री
वंशीदास धनगर, श्री
वंशीधर मिश्र, श्री
वशिष्ठ नारायण शर्मा, श्री
वसी नक़वी, श्री
वासुदेव प्रसाद मिश्र, श्री
विचित्रनारायण शर्मा, श्री
विजयशंकर प्रसाद, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विश्राम राय, श्री
विष्णुदयाल वर्मा, श्री
विष्णुशरण दुब्लिश, श्री
वीरसेन, श्री
वीरेन्द्र नाथ मिश्र, श्री
वीरेन्द्रपति यादव, श्री
वीरेन्द्र वर्मा, श्री
वीरेन्द्रशाह, राजा
व्रजभूषण मिश्र, श्री
व्रजरानी मिश्र, श्रीमती
व्रजवासीलाल, श्री
व्रजविहारी मेहरोत्रा, श्री
शंकरलाल, श्री
शम्भूनाथ चतुर्वेदी, श्री
शांतिप्रपन्न शर्मा, श्री
शिवकुमार मिश्र, श्री
शिवकुमार शर्मा, श्री
शिवदानसिंह, श्री
शिवनारायण, श्री
शिवपूजन राय, श्री
शिवप्रसाद, श्री
शिवमंगलसिंह, श्री
शिवमंगलसिंह कपूर, श्री
शिवराजबली सिंह, श्री
शिवराम पांडेय, श्री
शिवराम राय, श्री
शिववक्ष सिंह राठौर, श्री
शिववचन राव, श्री
शिवस्वरूप सिंह, श्री
शुकदेव प्रसाद, श्री
शुगनचन्द, श्री
श्याममनोहर मिश्र, श्री
श्यामलाल, श्री
श्यामाचरण वाजपेयी शास्त्री, श्री
श्रीचन्द, श्री
श्रीनाथराम, श्री

श्रीनिवास, श्री
श्रीनिवास पंडित, श्री
सईद जहां मख़फी शेरवानी, श्रीमती
संग्राम सिंह, श्री
सच्चिदानन्दनाथ त्रिपाठी, श्री
सज्जनदेवी महनोत, श्रीमती
सत्यनारायणदत्त, श्री
सफ़िया अब्दुल वाजिद, श्रीमती
सम्पूर्णानन्द, डाक्टर
सहदेव सिंह, श्री
सावित्रीदेवी, श्रीमती
सियाराम गंगवार, श्री
सियाराम चौधरी, श्री
सीताराम, डाक्टर
सीताराम शुक्ल, श्री
सुन्दरदास, श्री दीवान
सुन्दरलाल, श्री
सुरजू राम, श्री
सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी, श्री
सूर्य्यप्रसाद अवस्थी, श्री
सेवाराम, श्री
हनुमानप्रसाद मिश्र, श्री
हबीबुर्रहमान अंसारी, श्री
हबीबुर्रहमान आज़मी, श्री
हबीबुर्रहमान खां हकीम, श्री
हमीद खां, श्री
हरगोविन्द पन्त, श्री
हरगोविन्द सिंह, श्री
हरदयाल सिंह पिपल, श्री
हरदेव सिंह, श्री
हरसहाय गुप्त, श्री
हरिप्रसाद, श्री
हरिश्चन्द्र अष्ठाना, श्री
हरिश्चन्द्र बाजपेयी, श्री
हरिसिंह, श्री
हुकुम सिंह, श्री
हेमवतीनन्दन बहुगुणा, श्री
होतीलाल दास, श्री

प्रश्नोत्तर

तारांकित प्रश्न

जिला फतेहपुर के एक न्यायालय में आग का लगाया जाना

*१--श्री अनन्तस्वरूप सिंह (जिला फतेहपुर)--क्या सरकार को यह विदित है कि जिला फतेहपुर के एक जुडीशियल अफसर के इजलास में आग लगादी गई है ?

मुख्य मंत्री (श्री गोविन्द वल्लभ पंत)--जी हां।

*२--श्री अनन्तस्वरूप सिंह--अगर हां, तो क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिन मुकदमों की फाइलें जल गई हैं उन मुकदमों के मुकदमाबाजों से पुनः कोर्ट फीस वगैरह ली जायेगी ?

श्री गोविन्द बल्लभ पंत--सरकार ने जिलाधीश फतेहपुर के पास इस आशय के आदेश भेज दिये हैं कि पुनः स्टाम्प ड्यटी तथा कोर्ट फीस से छूट पाने के लिये उस जुडीशियल अफसर के इजलास में जिसमें संबंधित मुकदमा चल रहा था, एक हलफनामा दाखिल करना पर्याप्त समझा जाय।

श्री अनन्तस्वरूप सिंह--क्या माननीय मुख्य मंत्री जी को यह पता है कि फतेहपुर इजलास में यह दूसरी घटना है ?

श्री गोविन्द वल्लभ पंत--जी हां।

श्री अनन्तस्वरूप सिंह--क्या माननीय मुख्य मंत्री जी यह बताने का कष्ट करेंगे कि न्यायालय के रक्षार्थ जो इन्तजाम किया गया है वह अनुपयुक्त है ?

श्री गोविन्द वल्लभ पंत---कचहरी की हिफाजत के लिये एक सिपाही रहता है, वह घूमता है, कभी जब ज्यादा आदमी होते हैं तो दूसरे कोने में गड़बड़ कर देते हैं। वहां कुछ और गार्ड बढ़ाने पर गौर किया जायगा।

रामपुर रियासत में विलीनीकरण के पश्चात् बेकारी का बढ़ना

*३---**श्री कृष्णशरण आर्य** (जिला रामपूर)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि भूतपूर्व रामपुर रियासत के प्रदेश में विलीन होने के फलस्वरूप वहां की बेकारी तथा गरीबी में अधिकता हुई है?

नियोजन उपमंत्री (श्री फूल सिंह)---भूतपूर्व रामपुर रियासत के उत्तर प्रदेश म विलीन होने के फलस्वरूप गरीबी व बेकारी की कोई विशेष समस्या रामपुर में पैदा नहीं हुई है। रसद व पूर्ति विभाग में एक बड़े अंश तक छटनी होने के कारण जो समस्या उत्तर प्रदेश के और जिलों में पैदा हुई है वही रामपुर में भी है।

*४---**श्री कृष्णशरण आर्य**---यदि हां, तो क्या सरकार इसके कारणों को बताने की कृपा करेगी?

*०५---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि रामपुर जिले के प्रदेश में विलयन से वहां बढ़ती जा रही बेकारी तथा गरीबी को रोकने के लिये सरकार की ओर से क्या-क्या उपाय अब तक किये गये है?

श्री फूल सिंह---उपरोक्त दशा में इन दोनों प्रश्नों के उत्तर का सवाल नहीं उठता।

श्री कृष्णशरण आर्य---क्या सरकार यह बताने का कष्ट करेगी कि केन्द्रीय सरकार ने उत्तर प्रदेश के किन्हीं नगरों की बेकारी और गरीबी पर विशेष ध्यान देने योग्य ठहराया है और उसमें रामपूर भी शामिल है?

श्री फूल सिंह---इसके लिये नोटिस की आवश्यकता होगी।

श्री कृष्णशरण आर्य---क्या मंत्री महोदय यह बताने का कष्ट करेंगे कि रामपुर विलीनीकरण होने के बाद वहां की बेकारी और गरीबी को दूर करने के लिये क्या-क्या उपाय किये गये?

श्री फूल सिंह---तमाम प्रदेश की बेकारी और गरीबी को दूर करने के जो उपाय हैं वही रामपुर पर भी लागू हैं।

श्रमदान द्वारा किये गये कार्यों को स्थायी बनाने पर व्यय

*६---**श्री रामसुन्दर पांडेय** (आजमगढ़)---क्या मुख्य मंत्री २२ अप्रैल के प्रश्न संख्या ९ के उत्तर के संबंध में बताने की कृपा करेंगे कि वित्तीय वर्ष ५३-५४ में श्रमदान द्वारा किये कार्यों को स्थायी बनाने के लिये कितना रुपया व्यय किया गया?

श्री फूल सिंह---नियोजन तथा विकास की स्थायी समिति की पिछली बैठक में यह तय हुआ कि श्रमदान द्वारा किये गये कार्यों को स्थायी बनाने के लिये सरकार कुछ भी न खर्च कर सकेगी। यह अवश्य स्पष्ट कर दिया गया है कि जिला नियोजन समितियां जहां भी संभव हो नियमों के अन्दर जो रुपया उन को मिले उस से यह कार्य करवालें।

श्री रामसुन्दर पांडेय---क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि ऐसी योजनायें जो प्लानिंग कमेटी की शक्ति के बाहर हों, क्या उन्हें सरकार अपनी शक्ति से बनवाने की कृपा करेगी ?

श्री फूल सिंह---जो योजना कि जिला प्लानिंग कमेटी की शक्ति के बाहर हो और जो देश के लिये बहुत आवश्यक हो, उसकी सहायता करने के ऊपर विचार किया जा सकता है।

श्री रामसुन्दर पांडेय---क्या माननीय मुख्य मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या उनके पास आजमगढ़ जिले से कुछ ऐसी योजनायें आयी हैं जिनके लिये सहायता मांगी गयी है ?

श्री फूल सिंह---अवश्य आयी होंगी।

*७-८---**श्री रामसुन्दर पांडेय**---[२३ सितम्बर, १९५४ के लिये स्थगित किये गये।]

जौनपुर जिले में जफराबाद रोड पर गठिया नाले पर पुल की आवश्यकता

*९---**श्री बाबूनन्दन** (जिला जौनपुर)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जौनपुर जिले में वह जफराबाद वाली रोड पर गठिया नाले पर ४,००० रु० की सहायता जनता द्वारा देने पर पुल बनाने की व्यवस्था कर रही है ?

श्री फूल सिंह---जी नहीं।

श्री बाबूनन्दन---क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जनता द्वारा सहायता देने पर भी सरकार उस रोड पर पुल बनवाने की व्यवस्था क्यों नहीं कर रही है ?

श्री फूल सिंह---सरकार को इस बात की कोई सूचना नहीं है कि जनता की तरफ से कोई सहायता वहां मिलने की आशा है।

रत्ना शुगर मिल, शाहगंज में ईख की पेराई तथा किसानों को मूल्य का भुगतान

*१०---**श्री बाबूनन्दन**---क्या उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इस वर्ष गन्ने की पेराई के समय में शाहगंज रत्ना शुगर मिल में कितने मन ईख की पेराई हुई और कितना रुपया किसानों को ईख की कीमत के रूप में दिया गया ?

उद्योग मंत्री के सभासचिव (श्री मुहम्मद रऊफ जाफरी)---रत्ना शुगर मिल, शाहगंज ने १९५३-५४ के सीजन में ९,३९,४३१ मन गन्ने की पेराई की और ईख की कीमत के हेतु किसानों को १३,०१,२७४ रु० ५ आना ९ पाई भुगतान किया।

*११---**श्री बाबूनन्दन**---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उपर्युक्त मिल कितने दिन तक चली और कितने दिन बाद बन्द हो गई ?

श्री मुहम्मद रऊफ जाफरी---उक्त मिल में पेराई ९ दिसम्बर, १९५३ को प्रारम्भ हुई और १ फरवरी, १९५४ को बन्द हो गई।

श्री बाबूनन्दन---क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि यह रुपया कितने दिनों बाद किसानों को दिया गया ?

उद्योग मन्त्री (श्री हुकुम सिंह)--सीजन खत्म होने के पहले ही दे दिया गया।

श्री बाबूनन्दन---क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जब किसान मिलों में गन्ना पेरने के लिये लेकर जाते हैं तो उनसे फी गाड़ी कितना कर किस हेतु लिया जाता है ?

श्री हुकुम सिंह---इसकी कोई सूचना नहीं है।

मुरादाबाद जिले में राजा का सहसपुर तथा अमरोहा शूगर फैक्टरियों पर शेष उपकर (सेस)

*१२--**श्री महीलाल** (जिला मुरादाबाद)--क्या उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अमरोहा, जिला मुरादाबाद, शुगर फैक्ट्री पर राज्य का कितना धन उपकर (सेस) संबंधी शेष है ?

श्री मुहम्मद रऊफ जाफरी---१ जुलाई, १९५४ ई० को अमरोहा फैक्ट्री पर केन सेस का १,३६,१३८ रु० १४ आ० शेष था।

*१३--**श्री महीलाल**---क्या उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शुगर फैक्ट्री अमरोहा पर शुगर केन सोसाइटी का कमीशन का कितना धन शेष है ?

श्री मुहम्मद रऊफ जाफरी--अमरोहा फैक्ट्री पर केन सोसाइटी के कमीशन का कोई रुपया शेष नहीं है।

*१४--**श्री महीलाल**---क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि शुगर फैक्ट्री राजा का सहसपुर, जिला मुरादाबाद के विरुद्ध कोई तहकीकात राज्य सरकार की, सेस छुपाने अथवा कम देने के सिलसिले में चल रही है ?

श्री मुहम्मद रऊफ जाफरी---उद्योग विभाग को इस संबंध में कोई सूचना नहीं है।

श्री महीलाल--क्या माननीय मंत्री महोदय बतलाने की कृपा करेंगे कि १,३६,१३८ रु० १४ आ० में कौन-कौन सन् का धन शेष है।

श्री हुकुम सिंह---इसी गुजश्ता सीजन का मालूम होता है।

श्री महीलाल---क्या माननीय मंत्री महोदय बतलाने की कृपा करेंगे कि यह रुपया अब तक क्यों नहीं वसूल किया गया ?

श्री हुकुम सिंह---वसूल किया जा रहा है।

श्री महीलाल---क्या माननीय मंत्री महोदय बतलाने की कृपा करेंगे कि इस रुपये को वसूल करने के लिये मिल मालिकों के खिलाफ अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री हुकुम सिंह---जिलाधीश को हिदायत की गई है कि जिस तरीके से हो वह रुपया वसूल करने की कोशिश की जाय।

श्री गेंदा सिंह (जिला देवरिया)---क्या कुछ पिछले वर्ष के सेस की रकम इस मिल के ऊपर बाकी है ?

श्री हुकुम सिंह---संभवतः नहीं बाकी है।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनी ताल)--क्या यह वही मिलमालिक हैं जिन्होंने गोकुलनगर और बिजनौर में भी केन सेस नहीं दिया है ?

श्री हुकुम सिंह--मैंने मिलकियत के डाकुमेंट्स तो उनके नहीं देखे हैं।

भोटिया जाति के विकास के लिये राज्य सरकार की योजना

*१५--**श्री झारखंडेराय** (जिला आजमगढ़)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि भारत-तिब्बत सीमा पर बसने वाली भोटिया जाति (जो प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्र में बसती है) के विकास के लिये राज्य सरकार ने केन्द्रीय सरकार के पास कोई योजना बनाकर भेजी है ?

श्री फूल सिंह--जी हां।

*१६--**श्री झारखंडेराय**--अगर हां, तो क्या सरकार उस योजना की रूपरेखा सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी ?

श्री फूल सिंह--इस इलाके के लिये तथा लगे हुये इलाकों के लिये वहां की परिस्थिति को ध्यान में रखते हुये विभिन्न विभागों के अन्तर्गत कुछ योजनाओं का प्रस्ताव केन्द्रीय सरकार को भेजा गया है। उनकी रूपरेखा माननीय सदस्य की मेज पर रखी हुई सूची में है।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ४३६ पर।)

*१७--**श्री झारखंडेराय**--क्या सरकार कृपा कर बतलायेगी कि उस योजना में कितने धन व्यय का अनुमान है ?

श्री फूल सिंह--यदि केन्द्रीय सरकार से सहायता मिली तो इन योजनाओं पर करीब दो करोड़ १२ लाख रुपया व्यय होने का अनुमान है।

श्री झारखंडेराय--क्या माननीय मुख्य मंत्री जी बतलाने का कष्ट करेंगे कि यह योजना केन्द्रीय सरकार को कब भेजी गई और कब तक उसके आने की आशा है ?

श्री फूल सिंह--यह योजना काफी समय से गई हुई है लेकिन कब तक आयेगी यह नहीं कहा जा सकता।

श्री झारखंडेराय--क्या मुख्य मंत्री जी जिस योजना का जिक्र उत्तर में है उस को पूरे हाउस को बताने की कृपा करेंगे ?

श्री अध्यक्ष--मैं इतने लम्बे जवाब को पढ़ने की इजाजत नहीं दूंगा; आप कोई इत्तला मांगें तो वह दी जा सकती है।

श्री नारायणदत्त तिवारी--क्या मन्त्री जी बतायेंगे कि जिन कम्युनिकेशन सड़कों का जिक्र योजना में है वह कौन-कौन सी सड़कें हैं जो प्रस्तावित हैं ?

श्री फूल सिंह--बिना नोटिस के यह नहीं बताया जा सकता ?

श्री नारायणदत्त तिवारी--क्या मंत्री जी बतायेंगे कि काटेज इंडस्ट्रीज की जो रूपरेखा बताई गई है उसमें से कौन-कौन सी योजनायें चलाई जायंगी ?

श्री फूल सिंह--जड़ी-बूटियों और उनके बने हुये सामान की योजनायें है।

श्री रामसुन्दर पांडेय---क्या माननीय मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि यदि केन्द्रीय सरकार से इस योजना को चलाने के लिये सहायता नहीं मिली तो भी क्या प्रदेशीय सरकार इस योजना को चालू करेगी ?

श्री फूल सिंह---यह तो इस वक्त नहीं कहा जा सकता।

श्री नारायणदत्त तिवारी---क्या मंत्री जी बतलायेंगे कि इस समय भारत-तिब्बत सीमा पर भोटिया जाति के एरिया के विकास के लिये यह सरकार क्या कर रही है ?

श्री फूल सिंह---उनमें से कुछ योजनायें थोड़े पैमाने पर चालू की जा रही हैं।

श्री नारायणदत्त तिवारी---क्या मंत्री जी बतायेंगे कि थोड़े पैमाने पर जो योजना पप्पलकोटी चालू की गई हैं वह क्या हैं ?

श्री फूल सिंह---मसलन स्टड ब्रीडिंग केन्द्र हैं और भेड़ों के पालने के केन्द्र हैं, यह में चालू की जायंगी।

बस्ती जिला प्लानिंग कमेटी को स्वीकृत धन

*१८---**श्री मथुराप्रसाद पांडेय** (जिला बस्ती)---क्या सरकार कृपया यह बतायेगी कि बस्ती जिला प्लानिंग कमेटी की बैठकें सन् १९५३-५४ में कितनी बार हुईं ?

श्री फूल सिंह---पांच बार।

*१९---**श्री मथुराप्रसाद पांडेय**---क्या सरकार कृपया यह बतायेगी कि बस्ती जिला प्लानिंग कमेटी को सन् ५१-५२ व सन् ५२-५३ तथा सन् ५३-५४ में कितना-कितना अनुदान दिया गया था और वह धनराशि किन-किन मदों में कहां-कहां खर्च हुई ?

श्री फूल सिंह---बस्ती जिला प्लानिंग कमेटी को सन् ५१-५२ में ४६,७०० रु०, ५२-५३ में ४५,१०० रु० तथा ५३-५४ में ३,८३,६६२ रु० अनुदान दिया गया था और जिन-जिन मदों पर जहां-जहां यह धनराशि व्यय हुई है उसकी एक सूची माननीय सदस्य की मेज पर रखी है।

(देखिये परिशिष्ट 'ख' आगे पृष्ठ ४७०---४७७ पर।)

श्री मथुराप्रसाद पांडेय---क्या सरकार बतायेगी कि जिस मद में इतना रुपया दिया गया है वह काम पूरा हुआ है या नहीं ?

श्री फूल सिंह---कुछ मदों में काम पूरा हो गया है।

श्री मथुराप्रसाद पांडेय---क्या सरकार को पता है कि सन् १९५२-५३ में जो रुपया प्लानिंग कमेटी को दिया गया था उसमें से भी अधिकतर काम अधूरे पड़े हुये हैं ?

श्री फूल सिंह---माननीय सदस्य तो वहां के रहने वाले हैं, उनकी इत्तिला शायद सही हो।

श्री सीताराम शुक्ल (जिला बस्ती)---क्या सरकार कृपा करके बतलायेगी कि बस्ती जिले के प्लानिंग कमेटी के सदस्यों की कुल संख्या कितनी है ?

श्री फूल सिंह---जितने और जिलों में है उतने ही वहां हैं।

श्री जोरावर वर्मा (जिला हमीरपुर)---क्या माननीय मंत्री जी को मालूम है कि जो धनराशि भिन्न-भिन्न मदों में दी गई है वह खर्च नहीं हुई है उसका क्या कारण है ?

श्री फूल सिंह---मुख्तलिफ चीजों के मुख्तलिफ कारण हो सकते हैं, मसलन् कुछ काम तो ऐसे हो सकते हैं जिनके लिये कुछ एक्सपर्ट आदमी न मिलें, जैसे अस्पताल के लिये डाक्टर्स वगैरह किसी काम के लिये इंजीनियर्स वगैरह। मुमकिन है कि किसी काम में कुछ लापरवाही और देर भी हुई हो।

बस्ती जिले के सूचना अफसर की मोटर की मरम्मत पर व्यय

*२०---**श्री मथुराप्रसाद पांडेय**---क्या सरकार कृपया बतलायेगी कि बस्ती जिले में सूचना अफसर को जो मोटर प्रचार के लिये मिली है उसकी मरम्मत कितनी बार हुई है और मरम्मत में कुल कितना रुपया खर्च हुआ?

श्री फूल सिंह---इस मोटर की बड़ी मरम्मत एक बार और मामूली मरम्मत सात बार हुई और इस मरम्मत में कुल ३४९२ रु० १३ आ० ३ पाई खर्च हुआ।

श्री मथुराप्रसाद पांडेय---क्या सरकार यह बताने की यह कृपा करेगी कि यह मोटर कब दी गई थी?

श्री फूल सिंह---सन् १९५१ में दी गई थी।

श्री मथुराप्रसाद पांडेय---क्या सरकार को पता है कि मोटर के बारबार खराब होने से बस्ती जिले में प्रचार का काम कुछ भी नहीं हुआ है?

श्री फूल सिंह---मोटर के खराब होने से काम को तो अवश्य हानि हुई होगी यह स्पष्ट है।

श्री मथुराप्रसाद पांडेय---क्या सरकार इस मोटर को बदलकर शीघ्र ही कोई दूसरा मोटर देने का प्रबन्ध करेगी?

श्री फूल सिंह---अगर यह मालूम होगा कि यह मोटर मरम्मत के काबिल भी नहीं है तो जरूर दूसरी मोटर का इन्तजाम किया जायगा।

श्री वीरेंद्रपति यादव (जिला मैनपुरी)---क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि यह मोटर जब दी गई थी तो क्या नई थी?

श्री फूल सिंह---यह गालिबन नई नहीं थी।

श्री मदनमोहन उपाध्याय (जिला अल्मोड़ा)---क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि प्लानिंग आफिसर्स और इन्फारमेशन आफिसर्स के पास जो सरकारी गाड़ियां रहती हैं क्या उनका इस्तेमाल प्लानिंग कमेटी के मेम्बर्स भी प्रचार के कार्य में कर सकते हैं?

श्री फूल सिंह---प्लानिंग कमेटी के मेम्बर प्लानिंग के काम में इस्तेमाल के लिये ले जा सकते हैं।

श्री रामसुन्दर पांडेय---क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि इन मोटरों की मरम्मत सरकारी वर्कशाप में हुई या प्राइवेट वर्कशाप में?

श्री फूल सिंह---बड़ी मरम्मत सरकारी वर्कशाप में हुई।

शाहजहांपुर जिले में माल के मुकदमों की कमी

*२१—**श्री प्रतिपाल सिंह** (जिला शाहजहांपुर)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम के परिणामस्वरूप कचहरियों में माल के मुकदमे बहुत कम दायर होते हैं ?

श्री फूल सिंह—जमींदारी विनाश तथा भूमि व्यवस्था अधिनियम लागू होने के फलस्वरूप माल के मुकदमों के दायर होने की संख्या काफी गिर गयी है, विशेषकर शाहजहांपुर जिले में।

*२२—**श्री प्रतिपाल सिंह**—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि शाहजहांपुर की दो तहसीलों जलालाबाद और पुवांया में इस साल ऐसे मुकदमे दायर ही नहीं हुये ?

श्री फूल सिंह—जलालाबाद व पुवांया तहसीलों में पिछले एक साल या उसके लगभग समय में माल के मुकदमे दायर हुये हैं।

१ अप्रैल, १९५३ से ३१ मार्च, १९५४ तक मुकदमों के दायर होने की संख्या इस प्रकार थी :—

तहसील पुवांया	७३९ मुकदमे
तहसील जलालाबाद	९०४ मुकदमे

१ अप्रैल, १९५४ से ३० जून, १९५४ तक की अवधि में भी मुकद्दमे दायर हुये जिनका विवरण इस प्रकार है :—

तहसील पुवांया	१४९ मुकदमे
तहसील जलालाबाद	२१ मुकदमे

*२३—**श्री प्रतिपाल सिंह**—यदि उपरोक्त प्रश्नों के उत्तर हां में हों, तो क्या सरकार जुडिशियल आफिसरों को भी इसी अनुपात से कम करने के प्रश्न पर विचार करेगी ?

श्री फूल सिंह—जहां तक शाहजहांपुर जिले का संबंध है सरकार यह विचार करने जा रही है कि क्या वहां पर तैनात दो जुडीशल अफसरों में से एक को हटा लेना संभव है। इससे बड़ा प्रश्न कि क्या राज्य में जुडिशियल अफसरों की संख्या में, जनहित को बिना क्षति पहुंचाये हुये कुछ भी कमी करना संभव हो सकता है, कुछ समय से सरकार के विचाराधीन है। इस विशेष विषय की जांच सरकार ने एक उच्च अधिकारी को सौंपें जिसके सुझावों पर सरकार विचार कर रही है। जुडिशल अफसरों की संख्या में निकट वर्तमान में कोई पर्याप्त कमी करना अभी संभव नहीं मालूम होता, किन्तु सरकार उतने ही जुडीशल अफसरों को रखने का निश्चय रखती है, जितने जिलों में मुकद्दमों को निबटाने के लिये आवश्यक हैं।

*२४—**श्री मन्नीलाल गुरुदेव** (जिला हमीरपुर) (अनुपस्थित)—[२३ सितम्बर, १९५४ के लिये स्थगित किया गया।]

जिला हमीरपुर में कम्युनिटी प्रोजेक्ट योजना

*२५—**श्री मन्नीलाल गुरुदेव** (अनुपस्थित)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला हमीरपुर में कम्युनिटी प्रोजेक्ट की योजना में अब तक क्या-क्या काम हो चुका है और आगामी वर्ष में क्या काम होगा ?

श्री गोविन्द वल्लभ पन्त—जिला हमीरपुर में कम्यूनिटी प्रोजेक्ट में कम्यूनिटी प्रोजेक्ट की कोई योजना नहीं है।

*२६—श्री मन्नीलाल गुरुदेव (अनुपस्थित)—[२३ सितम्बर, १९५४ के लिये स्थगित किया गया।]

जिला ग़ाजीपुर में १९४२ के सामूहिक जुर्माने का वितरण

*२७—श्री कामता प्रसाद विद्यार्थी (जिला बनारस) (अनुपस्थित)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला गाजीपुर में सन् १९४२ में सामूहिक जुर्माने के रुपये में से किन-किन संस्थाओं को कितना-कितना रुपया दिया गया ?

श्री गोविन्द वल्लभ पन्त—जिन-जिन संस्थाओं को जितना-जितना रुपया सन् १९४२ के सामूहिक जुर्माने में से दिया गया उनकी एक सूची माननीय सदस्य की मेज में प्रस्तुत कर दी गई है ।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ ४४८ पर)

*२८—श्री कामता प्रसाद विद्यार्थी (अनुपस्थित)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि हायर सेकेंडरी स्कूल, करंडा, गाजीपुर को उसमें से कितना रुपया मिला है ?

श्री गोविन्द वल्लभ पन्त—हायर सेकेंडरी स्कूल, करंडा, गाजीपुर को उसमें से कुछ भी रुपया नहीं दिया गया है।

प्रेम महाविद्यालय, मथुरा की इंजीनियरिंग परीक्षा को मान्यता न देना

*२९—श्री देवकी नन्दन विभव (जिला आगरा) (अनुपस्थित)—क्या यह सच है कि प्रेम महाविद्यालय मथुरा के इंजीनियरिंग विभाग की परीक्षा को मान्यता नहीं दी गई है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री हुकुम सिंह—

(क) जी हां।

(ख) मान्यता प्रदान न करने के निम्नलिखित कारण हैं :—

१—इस विद्यालय में अध्यापकगणों तथा इक्वीपमेंट का स्तर निम्न है।

२—प्रैक्टिकल ट्रेनिंग का उचित प्रबन्ध नहीं है।

एटा-अलीगंज सड़क पर काली नदी पर पुल का प्रबन्ध

*३०—श्री चिरंजीलाल जाटव (जिला एटा) (अनुपस्थित)—क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि एटा से अलीगंज सड़क पर काली नदी घुमरी पर पड़ती है ? क्या उस पर वे पुल बनवाने का प्रबन्ध कर रहे हैं ?

श्री गोविन्द वल्लभ पन्त—जी हां, पुल बनवाने का प्रबन्ध हो रहा है ।

गोंडा जिले में पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत नलकूपों का निर्माण

*३१—श्री गंगा प्रसाद (जिला गोंडा) (अनुपस्थित)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि कि गोंडा जिले के अन्तर्गत पंचवर्षीय योजना में कितने नलकूप लगेंगे और हर तहसील और हर परगना में नलकूपों की संख्या कितनी होगी ?

श्री गोविन्द वल्लभ पन्त—गोंडा जिले में पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत कुल १५५ नलकूप बनाने की योजना है जिसकी सूची माननीय सदस्य के मेज पर रख दी गई है।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ ४७९ पर)

सिविल जजों के स्थायी रिक्त स्थान

*३२—**श्री भगवान सहाय** (जिला शाहजहांपुर)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि राज्य में सिविल जजेज की जगहें कितनी और कब से खाली पड़ी हैं ?

श्री गोविन्द वल्लभ पन्त—राज्य की सिविल सरविस (जुडिशियल ब्रांच) के काडर की कुल स्थायी संख्या २१७ है, जिसमें ५६ जगहें सिविल जजेज की हैं और बाकी १६१ मुंसिफों की हैं। इस समय ५१ अफसर वास्तव में सिविल जजेज की जगहों पर काम कर रहे हैं पर स्थायी रूप से इनमें आफिसर्स को कन्फर्म करना बाकी है।

*३३—**श्री भगवान सहाय**—क्या यह सही है कि कुछ ऐसे आफिसर्स (जुडिशियल) हैं जो सिविल जज की जगह पर कन्फर्म नहीं हुये हैं परन्तु सिविल और सेशन जज की जगह पर कन्फर्म हो गये हैं अथवा परमानेन्ट वेकेन्सीज में डिस्ट्रिक्ट और सेशन जज की जगह पर काम कर रहे हैं ?

श्री गोविन्दवल्लभ पन्त—जी हां।

*३४—**श्री भगवान सहाय**—यदि हां, तो क्यों ?

श्री गोविन्द वल्लभ पन्त—सिविल जजेज की जगहों के स्थायी रूप से खाली होने की तारीखें निश्चित करना तभी संभव होता है जब जुडिशियल सरविस के अफसर सिविल ऐन्ड सेशन्स जज के ग्रेड में कन्फर्म हो जाते हैं। इसलिये ऐसा होता है कि अफसरों की सिविल ऐन्ड सेशन्स जज के ग्रेड में पदोन्नति पहले हो जाती है तथा वह डिस्ट्रिक्ट जज की जगह पर भी काम करने लगते हैं और उनके सिविल जजेज की जगहों में कन्फरमेशन के आदेश बाद में जारी होते हैं। अफसरों को हाल ही में डिस्ट्रिक्ट जजों पर और सिविल एन्ड सेशन्स जजों पर कन्फर्म किया गया है, और इसके फलस्वरूप सिविल जजेज की जो जगहें स्थायी रूप से खाली हुई हैं उनका ब्योरा तैयार होने पर शीघ्र ही सिविल जजेज की जगहों में कंफरमेशन के आदेश जारी किये जायंगे।

श्री भगवान सहाय—क्या माननीय मुख्य मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि ५१ सिविल जजों की जगहों पर जो आफिसर आज कल काम कर रहे हैं उनमें कुछ ऐसे भी हैं कि जो पांच-छः साल से सिविल जजों की जगह पर ही अस्थायी रूप से काम कर रहे हैं ?

श्री गोविन्द वल्लभ पन्त—यह मुमकिन हो सकता है।

श्री भगवान सहाय—क्या मुख्य मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जब ५१ वेकेन्सीज एक साथ नहीं हुईं और यह सब अफसर समय-समय पर लिये गये तो यह नौबत कैसे आई कि सारे ही आफिसर परमानेन्ट नहीं हैं ?

श्री गोविन्द वल्लभ पन्त—वास्तव में सिविल जज में और मुन्सिफ में कोई अन्तर नहीं है उनका ग्रेड भी वही रहता है और सैलरी भी वही रहती है। सिर्फ एक फारमल तरीके पर सिविल जज का कन्फर्मेशन होता है और वह इस हिसाब से कि जब वह डिस्ट्रिक्ट और सेशन जज हो जाता है तो हिसाब लगा कर उसका कन्फर्मेशन किया जाता है। इस बीच हायर जुडिशियल सरविसेज के रूल्स बने और हाई कोर्ट इसका कोई फैसला नहीं कर पाया इसलिये उस खाने में उनका नाम नहीं है लेकिन इससे कोई डिफरेंस नहीं आता है।

श्री नारायण दत्त तिवारी—क्या सरकार सिविल जज या डिस्ट्रिक्ट और सेशन जजों के संबंध में जो नियमावली है उसमें कोई संशोधन करने जा रही है ?

श्री गोविन्द वल्लभ पन्त—संशोधन बहुत से हो चुके हैं। मुमकिन है जरूरत होने पर फिर भी हों।

श्री भगवान सहाय---क्या माननीय मुख्य मंत्री जी कृपा कर बतायेंगे कि यह नौबत कैसे आई कि कन्फर्म्ड मुंसिफ सिविल जजों पर कन्फर्म्ड हुये बगैर ही डिस्ट्रिक्ट और सेशन जज की स्थायी जगहों पर काम कर रहे हैं ?

श्री गोविन्द वल्लभ पंत---यह बराबर होता रहता है। जैसे डिप्टी कलेक्टर्स के ग्रेड में आफिशियेट करते हैं वह वर्षों तक करते रहते हैं। मगर जब तक कि कई लोग रिटायर न हो जायं या उनकी जगहें परमानेंट तौर पर खाली न हो जायं उनका कन्फरमेशन फारमल नहीं होता। मगर उनके इन्टरेस्ट में या राइट में कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिये यह तरीका इस तरह का है जो असाधारण सा मालूम हुआ कि पहले ऊपर का जब मामला तय हो जाता है तब नीचे का हो पाता है।

कुमायूं कोआपरेटिव डेवलपमेंट फेडरेशन की हल्द्वानी शाखा में गबन की शिकायत

*३५---**श्री खुशीराम** (जिला अल्मोड़ा)---क्या दिनांक १५ दिसम्बर, १९५३ को कुमायूं कोआपरेटिव डेवलेपमेंट फेडरेशन लिमिटेड की हल्द्वानी शाखा के सुपरिंटेंडेंट ने जिलाधीश नैनीताल को १,५०० रु० के एक कथित गबन के बारे में पुलिस द्वारा तहकीकात होने की दरख्वास्त पेश की थी ?

वन उपमंत्री (श्री जगमोहन सिंह नेगी)---जी नहीं।

*३६---**श्री खुशीराम**---क्या इस मामले में पुलिस द्वारा अथवा सहकारी विभाग द्वारा रिपोर्ट कुलिन्दा के समक्ष आज तक कोई तहकीकात हुई ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी---प्रश्न नहीं उठता।

अलीगढ़ ताला कुटीर उद्योग को सहायता

*३७---**श्री नेकराम शर्मा** (जिला अलीगढ़)---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि गवर्नमेंट लाक फैक्ट्री अलीगढ़ को उसने व्यवसाय बढाने की दृष्टि से खोला है ? यदि हां, तो अलीगढ़ ताला कुटीर उद्योग को इसके द्वारा कहां तक सहायता दी गई है ?

श्री मुहम्मद रऊफ जाफरी---सरकार ने यह फैक्टरी ताला बनाने वालों की औद्योगिक कठिनाइयां दूर करने और तालों की लीवर, डाईज प्लेट इत्यादि बनाने के उद्देश्य से खोली है। इस फैक्टरी में नये प्रकार की, विशेषकर डाईज और पंच तैयार किये जाते हैं। नये डिजाइन के ताले भी बनाये जाते हैं जिनको स्थानीय ताले बनाने वाले उपयोग में लाते हैं। उसके अतिरिक्त ताला बनाने वालों को अनेक प्रकार की प्राविधिक सहायता प्रदान करने का प्रयत्न किया जाता है। पिछले तीन वर्षों में फैक्टरी ने लगभग २६,४२२ रुपये के मूल्य के लीवर, डाइज, पंच प्लेट आदि तैयार किये।

*३८---**श्री नेकराम शर्मा**---क्या यह सच है कि अलीगढ़ ताला कुटीर उद्योग के विकास के लिये छोटी-छोटी मशीनें विलायत से श्री पाल टेल्को द्वारा मंगाई गई थीं ? यदि हां, तो कब ?

श्री मुहम्मद रऊफ जाफरी---(क) जी हां।

(ख) सन् १९५० में।

*३९---**श्री नेकराम शर्मा**---क्या सरकार कृपया बतायेगी कि ये मशीनें ठीक तरह से चल रही है ?

श्री मुहम्मद रऊफ जाफरी---जी हां।

श्री नेकराम शर्मा—क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि कितनी कैपीटल से इस फैक्टरी की स्थापना हुई थी ?

श्री हुकुम सिंह—इसके लिये नोटिस की आवश्यकता है ।

श्री नेकराम शर्मा—क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि यह फैक्टरी इस समय प्राफिट पर चल रही है या लास पर ?

श्री हुकुम सिंह—यह कोई प्रोडक्शन सेंटर नहीं है । सिर्फ इसमें डिमांस्ट्रेशन होता है, लोगों को हेल्प करने के लिये । लिहाजा यह कहना कि प्राफिट पर काम कर रही है या नुकसान पर, यह ठीक बात नहीं है ।

श्री नेकराम शर्मा—क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि यह छोटी मशीनें जो मंगाई गई वह किस कंट्री से मंगाई गईं ?

श्री हुकुम सिंह—सवाल में विलायत से पूंछी गई वही बात मैंने बतलाई ।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि लाक फैक्टरी कितनी पूंजी और लागत से खोली गई और कितने कर्मचारी काम कर रहे हैं ?

श्री अध्यक्ष—इसके लिये पहले ही बता दिया गया है ।

श्री नन्दकुमार देव वाशिष्ठ (जिला अलीगढ़)—क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि अलीगढ़ में जो फैक्ट्रियां हैं उनमें से कितनी फैक्ट्रियों में इस फैक्ट्री का बना हुआ सामान इस्तेमाल हुआ ?

श्री हुकुमसिंह—इसकी तादाद ठीक नहीं बतायी जा सकती है ।

श्री नेकराम शर्मा—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जो प्राइवेट कंसर्न्स हैं क्या उनमें यह माल नहीं बनता ?

श्री हुकुम सिंह—जैसा फैक्ट्री में बनता है वैसा नहीं बनता है ।

श्री रतनलाल जैन—(जिला बिजनौर)—क्या इस ताला कुटीर उद्योग की सहायता करने के लिये वह कोई फेडरेशन इसके माल का वितरण करने के लिये बनाने का विचार कर रहे हैं ?

श्री हुकुम सिंह—ऐसा कोई प्रश्न विचारार्थ नहीं है ।

जिला जौनपुर की तहसील मछलीशहर में श्रमदान से निर्मित मार्ग

*४०—श्री नागेश्वर द्विवेदी (जिला जौनपुर) (अनुपस्थित)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जौनपुर जिले की मछलीशहर तहसील में पिछले श्रमदान में कुल कितनी मील नई कच्ची सड़क गांव पंचायतों द्वारा बनाई गईं और वे सड़कें कौन-कौन हैं ?

श्री गोविन्द वल्लभ पन्त—कुल ३३ मील, १ फरलांग, १३५ गज, १ फुट नई कच्ची सड़कें बनाई गईं और उन सड़कों की सूची माननीय सदस्य की मेज पर रख दी गई है ।

(देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ ४८०–४८१ पर ।)

गाजीपुर जिले में प्लानिंग विभाग द्वारा विभिन्न कार्यों पर खर्चा

*४१—श्री कमला सिंह (जिला गाजीपुर) (अनुपस्थित)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि गाजीपुर जिले में प्लानिंग विभाग द्वारा १९५२–५३ और १९५३–५४ में तहसीलवार कितना रुपया किस कार्य पर खर्च हुआ है ?

श्री गोविन्द वल्लभ पन्त---सूची माननीय सदस्य की मेज पर रखी हुई है।

(देखिये नत्थी 'च' आगे पृष्ठ ४८२-४८४ पर।)

*४२---**श्री कमला सिंह** (अनुपस्थित)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सैदपुर तहसील में प्लानिंग विभाग की तरफ से १९५२-५३ और १९५३-५४ में कितना कार्य हुआ है ?

श्री गोविन्द वल्लभ पन्त---सूची माननीय सदस्य की मेज पर रखी हुई है।

(देखिये नत्थी 'छ' आगे पृष्ठ ४८५-४८७ पर।)

जिलों गाजीपुर की सैदपुर तहसील म एन० ई० ब्लाक खोलने की सिफारिश

*४३---**श्री कमला सिंह** (अनुपस्थित)---क्या सरकार को मालूम है कि गाजीपुर जिले में सैदपुर तहसील की हालत खराब होने के कारण जिलाधीश ने सैदपुर में एक एन० ई० ब्लाक खोलने की सिफारिश की है ?

श्री गोविन्द वल्लभ पन्त---जी हां।

अल्मोड़ा नगर में शरणार्थियों के रहने की व्यवस्था

*४४---**श्री गोवर्धन तिवारी** (जिला अल्मोड़ा) (अनुपस्थित)---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि अल्मोड़ा नगर में कितने शरणार्थी परिवार रहते हैं ?

श्री हुकुम सिंह---अल्मोड़ा नगर में लगभग ७३ शरणार्थी परिवार रहते हैं।

*४५---**श्री गोवर्धन तिवारी** (अनुपस्थित)---क्या सरकार के पास उनकी ओर से कोई ऐसी प्रार्थना आई है कि यदि उन्हें मकान बनवाने का स्थान मिल जाय तो वे अपने लिये मकानों को स्वयं बना लेगें ?

श्री हुकुम सिंह---जी नहीं।

*४६---**श्री गोवर्धन तिवारी** (अनुपस्थित)---क्या डिप्टी कमिश्नर अल्मोड़ा ने इसके सम्बन्ध में सरकार के पास अपना कोई सुझाव भेजा है ?

श्री हुकुम सिंह---जी नहीं। इस विषय में कोई सुझाव सरकार को नहीं मिला है।

वार्धा ग्रामोद्योग संघ द्वारा निर्मित मगन चूल्हा तथा गोबर गैस प्लाण्ट

*४७---**श्री शम्भूनाथ चतुर्वेदी** (जिला आगरा)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उसने वार्धा ग्रामोद्योग संघ द्वारा निर्मित मगनचूल्हा तथा गोबर गैस प्लान्ट के परीक्षात्मक प्रयोग (Experimental tests) गांवों में प्रचार की दृष्टि से किये हैं ?

श्री मुहम्मद रऊफ जाफ़री---जी नहीं।

*४८---**श्री शम्भूनाथ चतुर्वेदी**---यदि हां, तो वह उनकी व्यावहारिकता के संबंध में किस परिणाम पर पहुंची ?

श्री मुहम्मद रऊफ जाफरी---प्रश्न नहीं उठता।

श्री शम्भूनाथ चतुर्वेदी---क्या सरकार को विदित है कि इस चूल्हे में लकड़ी की बहुत बचत होती है और यह निम्न तथा मध्यम वर्ग के लिये बहुत ही उपयोगी साबित हो सकता है ?

श्री हुकुम सिंह---जी हां, लकड़ी की बचत होती है।

श्री शम्भूनाथ चतुर्वेदी—क्या सरकार इसका परीक्षण करके प्रचार करने की कोशिश करेगी ?

श्री हुकुम सिंह—सरकार इस पर विचार कर रही है।

भ्रष्टाचार विरोधी समितियों पर व्यय

*४९—**श्री मुरलीधर कुरील** (जिला कानपुर)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उत्तर प्रदेश में इस समय कितनी भ्रष्टाचार रोको समितियां कार्य कर रही हैं तथा वह कहां-कहां काम कर रही हैं ?

श्री गोविन्द वल्लभ पन्त—५१ भ्रष्टाचार विरोधी समितियां प्रदेश में कार्य कर रही हैं। प्रत्येक जिले में एक ऐसी समिति है।

*५०—**श्री मुरलीधर कुरील**—क्या सरकार कृपया यह बतायेगी कि गत दो वर्षों में भ्रष्टाचार रोको समितियों द्वारा भ्रष्टाचार संबंधी कितने मामले सरकार के सम्मुख पेश किये गये तथा उनका परिणाम क्या हुआ ?

श्री गोविन्द वल्लभ पन्त—इस संबंध में जिलों से आवश्यक सूचना मांगी गई है परन्तु अभी जवाब नहीं आये।

*५१—**श्री मुरलीधर कुरील**—क्या सरकार कृपया यह बतायेगी कि उक्त भ्रष्टाचार रोको समितियों के उपर कितना रुपया प्रति वर्ष व्यय किया जाता है ?

श्री गोविन्द वल्लभ पन्त—प्रत्येक जिले की भ्रष्टाचार विरोधी समिति को प्रति वर्ष ५०० रु० का अनुदान दिया जाता है।

श्री गेंदा सिंह—क्या माननीय मुख्य मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इन भ्रष्टाचार समितियों के कौन-कौन सदस्य हैं ?

श्री गोविन्द वल्लभ पन्त—विधान सभा के सभी सदस्य इसके मेम्बर हैं, इनके अलावा डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट और सुपरिन्टेंडेंट पुलिस और ५ आदमी जो कि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के यहां से नामजद होकर फेहरिस्त आती है उसमें से यहां से नामजद किये जाते हैं। बार ऐसोसियेशन का प्रेसीडेंट भी इसका सदस्य होता है। मुझे पूरी फेहरिस्त तो याद नहीं है लेकिन इतने लोग तो इसके सदस्य हैं ही।

श्री मुरलीधर कुरील—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इनकी रिपोर्ट कब तक आ जायगी ?

श्री गोविन्द वल्लभ पन्त—यह तो मैं ठीक कह नहीं सकता। मैंने इसीलिये जवाब दे दिया कि इसके आने में देर हो तो कम से कम जितना जवाब दिया जा सकता है उतना तो सदन के सामने आजाय।

श्री रामनारायण त्रिपाठी (जिला फैजाबाद)—इन समितियों के अधिकार क्या हैं ?

श्री गोविन्द वल्लभ पन्त—इन समितियों के अधिकार के बारे में जो अभी हाल में डिसिप्लीनरी इंक्वायरी कमेटी की बैठक हुई थी, उसके बाद खास हिदायत भेजी गई है। उनसे आशा की जाती है कि वह लोगों में ऐसी भावना पैदा करेंगे कि रिश्वत वगैरा न दी जाय इसके अलावा यह भी कि जो भी करप्शन के मामले हैं उसकी रिपोर्ट उनको दी जाय जब भी उसकी मीटिंग हो और जो कोई मामला यह समझें उनके सामने डिस्कशन को ला सकें। यही बातें हैं जो मोटे तौर पर मुझे ख्याल हैं।

श्री वीरेन्द्रपति यादव---क्या मुख्य मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो करप्शन के मामले समिति के सामने आते हैं उनकी जांच किस के द्वारा कराई जाती है ?

श्री गोविन्द वल्लभ पन्त---जिस मुहकमे के मुताल्लिक मामला होता है उसी के द्वारा जांच होती होगी। कोई खास हिदायत नहीं है कि इसके लिये कोई अलग मुहकमा है जिसके जरिये जांच की जाय।

श्री नारायणदत्त तिवारी---क्या माननीय मुख्य मंत्री जी के पास शिकायतें आई हैं कि बहुत से जिलों में भ्रष्टाचार समिति की मीटिंग साल में एक बार भी नहीं बुलाई गई ?

श्री गोविन्द वल्लभ पन्त---यह शिकायत तो मेरे पास नहीं आई। मगर यह हिदायत दी गई है कि जो प्लानिंग कमेटी की मीटिंग होती है उसी के साथ-साथ इनकी भी मीटिंग कर दी जाय जिससे सबको हिस्सा लेने का मौका मिल सके।

श्री वीरेन्द्रपति यादव---क्या माननीय मुख्य मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो केसेज होते हैं उनकी जांच जो समिति के असरकारी सदस्य हैं उनके द्वारा हो सकती है ?

श्री गोविन्द वल्लभ पन्त---मैं समझता हूं कि यह बोझा उन पर डालना ठीक नहीं है किसी के खिलाफ वह जांच करें और उसको अपना दुश्मन बनायें। यह उनके लिये अच्छा नहीं है।

श्री गेंदा सिंह---क्या माननीय मुख्य मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यदि भ्रष्टाचार समिति के चेयरमैन या पदाधिकारी के विरुद्ध शिकायत हो तो क्या उस पर विचार भ्रष्टाचार समिति में हो सकता है ?

श्री गोविन्द वल्लभ पन्त---यह तो भ्रष्टाचार समिति के तय करने की बात है कि वह किसी बात पर विचार करती है या नहीं। जो समिति है वह अपने काम को किस तरह करे यह तो उसका अधिकार है।

श्री ब्रजभूषण मिश्र (जिला मिर्जापुर)---क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि कितना रुपया इन भ्रष्टाचार रोको समितियों के फंड में दिया गया ?

श्री गोविन्द वल्लभ पन्त---५०० रुपया दिया गया।

श्री राजनारायण (जिला बनारस)---क्या माननीय मुख्य मंत्री जी कृपा कर बतायेंगे कि ये भ्रष्टाचार समितियां जितने समय से काम कर रही हैं उनमें जहां तक मेरी जानकारी है .....।

श्री अध्यक्ष---आप प्रश्न कीजिये।

श्री राजनारायण---उनके सामने कितने केस आये और डिपार्टमेंट के जरिये उनमें क्या कार्यवाही हुई ? और यदि नहीं हुई तो क्या माननीय मुख्यमंत्री जी ने भ्रष्टाचार समितियों की जगह कोई पीपिल्स रिप्रेजेंटेटिव्स की भ्रष्टाचार समिति बनाना चाहते है जिसमें सरकारी नियंत्रण न हो ?

श्री गोविन्द वल्लभ पन्त---यह तो सवाल नहीं, एक थीसिस की बात है।

श्री शिवकुमार शर्मा (जिला बिजनौर)---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जो शिकायतें ऐंटी करप्शन कमेटी के सामने आती हैं, क्या कमेटी को अधिकार है कि उनकी तहकीकात को सी० आई० डी० की मार्फत करा सके ?

श्री गोविन्द वल्लभ पन्त---कमेटी सी० आई० डी० को अगर खुद लिखे तो उसके लिये तो कोई दूसरा मुहकमा फिर कायम करना पड़ेगा। कमेटी को, जो कुछ बातें वह अपने यहां करती है और उसको किसी मामले में गवर्नमेंट से बात करने की जरूरत हो या सी० आई० डी० को हिदायत देने की जरूरत हो तो उसकी रिपोर्ट गवर्नमेंट को होनी चाहिये।

*५२-५४---**श्री जगन्नाथ सिंह** (जिला बलिया)---[१६ सितम्बर, १९५४ के लिये स्थगित किये गये।]

राज्य के कम्युनिटी प्रोजेक्ट्स तथा नेशनल एक्सटेन्शन ब्लाक

*५५---**श्री रामहेत सिंह** (जिला मथुरा)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि किस किस जिले में कम्युनिटी प्रोजेक्ट तथा नेशनल एक्स्टेंशन ब्लाक खोले गये हैं ?

श्री फूलसिंह---कम्युनिटी प्रोजेक्ट्स तथा नेशनल एक्सटेन्शन ब्लाकों की जिलेवार सूची माननीय सदस्य की मेज पर रक्खी हुई है।

(देखिये नत्थी 'ज' आगे पृष्ठ ४८८-४८९ पर)

*५६---**श्री रामहेत सिंह**---इन कम्युनिटी प्रोजेक्ट तथा नेशनल एक्स्टेंशन ब्लाकों में कितना धन उत्तर प्रदेश सरकार तथा केन्द्रीय सरकार का खर्च होगा ?

श्री फूलसिंह---वर्तमान योजना के अनुसार कम्युनिटी प्रोजेक्टस तथा नेशनल एक्सटेंशन ब्लाक चालू होने पर तीन वर्ष में उत्तर प्रदेश और केन्द्रीय सरकार का जो धन व्यय होगा उसकी सूची भी सदस्य महोदय की मेज पर रक्खी है।

(देखिये नत्थी 'झ' आगे पृष्ठ ४९० पर।)

श्री रामहेत सिंह---क्या माननीय मंत्री महोदय बतायेंगे कि कम्युनिटी प्रोजेक्ट तथा एन० ई० एस० ब्लाक जहां खोले जाते हैं वह प्लानिंग कमेटियों की मांग पर या सरकार की आवश्यकताओं की वजह से खोले जाते हैं ?

श्री फूलसिंह---कम्युनिटी प्रोजेक्ट्स की पहली किस्त तो प्लानिंग कमेटियों के बनने से पहले खोली गयी। उसके बाद से जहां एन० ई० एस० ब्लाक्स खोले जाते हैं वह प्लानिंग कमेटियों की राय से खोले जाते हैं।

श्री रामनारायण त्रिपाठी---क्या माननीय मुख्य मंत्री उन जिलों के नाम इस सदन में पढ़ने की कृपा करेंगे ?

श्री फूलसिंह---सामूहिक विकास योजना के केन्द्रों की सूची इस प्रकार है:---
देहरादून, सहारनपुर, आगरा, मथुरा, एटा, बदायूं, शाहजहांपुर, फर्रुखाबाद, इटावा, इलाहाबाद, झांसी, बनारस, मिर्जापुर गाजीपुर, बलिया, गोरखपुर, बस्ती, आजमगढ़, देवरिया, अल्मोड़ा, टेहरी-गढ़वाल, पौड़ी-गढ़वाल, फैजाबाद और सुल्तानपुर।

एन० ई० एस० ब्लाक्स की सूची यह है:---

मुजफ्फरनगर, मेरठ, बुलन्दशहर, अलीगढ़, मथुरा, आगरा, बरेली, बिजनौर, मुरादाबाद, पीलीभीत, रामपुर, कानपुर, फतेहपुर, इलाहाबाद, बांदा, हमीरपुर, बनारस, जौनपुर, गोरखपुर, बस्ती, देवरिया, नैनीताल, अल्मोड़ा, पौड़ी-गढ़वाल, लखनऊ, उन्नाव, रायबरेली, सीतापुर, हरदोई, खीरी, बहराइच, प्रतापगढ़ और बाराबंकी।

श्री मदनमोहन उपाध्याय---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि एन० ई० एस० ब्लाक खोलते समय जो प्लानिंग कमेटी की राय ली जाती है उसी राय को सरकार मानती है या सरकार उस जिले के और भी रिप्रेजेंटेशनों पर विचार करती है पहले इसके कि वह एन० ई० एस० ब्लाक कहां खोले ?

श्री फूल सिंह---कमेटी की राय पर ही खोला जाता है आम तौर से।

श्री व्रजविहारी मेहरोत्रा (जिला कानपुर)---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि क्या उन्हीं क्षेत्रों में एन० ई० एस० ब्लाक्स भी खोले गये हैं जहां कि कम्युनिटी प्रोजेक्ट्स थे ?

श्री फूलसिंह---कुछ जिले एसे हैं जहां कि कम्युनिटी प्रोजेक्ट्स भी हैं और एन० ई० एस० ब्लाक्स भी हैं वरना आम तौर से ऐसा नहीं है कि दोनों एक साथ हों।

श्री नारायणदत्त तिवारी---क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि ऐसे कौन-कौन से जिले हैं जिनमें न तो अभी तक कोई एन० ई० एस० ब्लाक खुला है और न कम्युनिटी प्रोजेक्ट ही है ?

श्री अध्यक्ष---मैं समझता हूं कि इसके पूछने की आवश्यकता नहीं है। अभी उन्होंने जहां खुले है उनके नाम बता दिये, बाकी जो बच गये वहां नहीं खुले होंगे। यह आप स्वयं जान सकते हैं।

श्री रामनारायण त्रिपाठी---क्या माननीय मंत्री जी यह बतलायेंगे कि जब उत्तर प्रदेश में और भी जिले बाकी हैं जहां कि न तो एन० ई० एस० ब्लाक है और न कम्युनिटी प्रोजेक्ट्स हैं तो एक-एक जिले में दो-दो क्यों खोले गये ?

श्री फूल सिंह---ऐसा कोई जिला बाकी नहीं हैजहां इन दोनों में से कोई न हो।

श्री रामहेत सिंह---क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि ऐसे कौन-कौन से जिले हैं जहां दोनों ब्लाक खोले गये हैं ?

श्री फूलसिंह---दो तीन जिले हैं। एक तो झांसी है, एक देवरिया है, एक गोरखपुर है, अल्मोड़ा है, बस्ती है और इलाहाबाद है।

श्री व्रजभूषण मिश्र---क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जो क्षेत्र बहुत पिछड़े हुए हैं वहां एन० ई० एस० ब्लाक खोलने में प्राथमिकता दी जायगी ?

श्री फूलसिंह---जिला प्लानिंग कमेटी यह बात तय करते वक्त ध्यान में रखेगी।

जिलेवार प्लानिंग कमेटियों के लिए स्वीकृत धन

*५७---**श्री रामहेत सिंह**---क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गत दो वर्षों में जिलेवार प्लानिंग कमेटियों को कितना-कितना रुपया दिया गया है ?

श्री फूलसिंह---सूचो माननीय सदस्य की मेज पर रक्खी है।

(देखिये नत्थी 'ङ" आगे पृष्ठ ४९१-४९२ पर।)

मिर्जापुर और झांसी में सन्दल के पेड़

*५८---**श्री देवकीनन्दन विभव** (अनुपस्थित)---क्या मुख्य मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि मिर्जापुर और झांसी में संदल के पेड़ लगाने के जो प्रयोग किये गये उनका क्या परिणाम निकला ?

श्री गोविन्द वल्लभ पन्त---इतनी जल्दी परिणाम बतलाना संभव नहीं है।

गृह सोसाइटियों को सस्ती लकड़ी उपलब्ध करने पर विचार

*५९---**श्री देवकीनन्दन विभव** (अनुपस्थित)---क्या वन विभाग मध्यवर्ग की गृह समस्या सुलझाने के लिये गृह सोसाइटियों को सस्ती लकड़ी उपलब्ध करने पर विचार कर रहा है ?

श्री गोविन्द बल्लभ पन्त--जी नहीं। यदि कोई ऐसी सोसाइटी आवेदन पत्र भेजे तो उस पर उपयुक्त विचार किया जायगा।

नये राष्ट्रीय विकास केन्द्र खोलने के प्रश्न पर विचार

*६०--श्री नारायणदत्त तिवारी--क्या यह सही है कि तारीख २ अक्टूबर १९५४ से कुछ नये राष्ट्रीय विकास केन्द्र खुलने जा रहे हैं? अगर हां तो कहां-कहां?

श्री फूलसिंह--चालू वित्तीय वर्ष में कुछ नये राष्ट्रीय विकास केन्द्र खोलने का प्रस्ताव विचाराधीन है। खुलने की तिथि तथा स्थान अभी निश्चित नहीं हुए हैं।

*६१--श्री नारायणदत्त तिवारी--क्या सरकार ने राष्ट्रीय विकास केन्द्र अधिकारी तथा अन्य जिले के विभागीय अधिकारियों के बीच कार्य सम्बद्धता लाने के लिये कोई आज्ञा निकाली है? अगर हां, तो क्या सरकार उस आज्ञा की प्रतिलिपि मेज पर रखेगी?

श्री फूलसिंह--जी हां। राष्ट्रीय विकास केन्द्र अधिकारी तथा अन्य जिले के अधिकारियों के बीच कार्य सम्बद्धता लाने के लिये जो आदेश निकाले गये हैं उनकी प्रतिलिपियां सदस्य महोदय की मेज पर रखी हुई हैं।

(देखिये नत्थी 'ट' आगे पृष्ठ ४९३-४९४ पर)

श्री नारायणदत्त तिवारी--श्रीमन्, इसके पहले कि मैं परिपूरक प्रश्न पूछूं मैं आपसे एक व्यवस्था चाहता हूं। मुझे जो उत्तर आज दिये गये हैं उसमें खाली मुख्य मंत्री छपा हुआ है, मुख्य मंत्री जी के दस्तखत नहीं हैं। तो क्या यह प्रश्नों के उत्तर वैध माने जा सकते हैं?

श्री अध्यक्ष--दस्तखत तो होना चाहिए। मेरे पास भी जो आया है उसमें दस्तखत नहीं है। मालूम होता है कि गलती से रह गया है।

श्री फूलसिंह--मेरे खयाल में गलती हो गयी है। जो मेरे पास कागज है उसमें दस्तखत हैं।

श्री अध्यक्ष--जब वे यहां उत्तर दे रहे हैं स्वयं तो उनका अस्तित्व तो इन्कार नहीं कर सकते। जो उत्तर दे रहे हैं वह सही माने जायंगे।

श्री नारायणदत्त तिवारी--क्या माननीय मुख्य मंत्री जी बतलायेंगे कि इस वर्ष कितने ब्लाक खोलने का कार्य विचाराधीन है?

श्री फूलसिंह--अभी यह निश्चित नहीं है। गालिबन तीस ब्लाक खोलने का विचार है कम से कम ३० और ज्यादा से ज्यादा ५०।

श्री नारायणदत्त तिवारी--क्या माननीय मुख्य मंत्री जी को मालूम है कि टेकिनकल मैटर के बहाने जिलों के विभागाध्यक्ष आपने अपने ब्लाक के कार्यकर्ताओं को अलग से कार्यक्रम दे दिया करते हैं जिससे ब्लाक के कार्यक्रम में बाधा पड़ती है?

श्री फूलसिंह--शायद ऐसा रहा हो, लेकिन आइन्दा अब नहीं रहेगा, क्योंकि जो नया ढांचा बनाया जा रहा है उसमें सब मुहकमों को इसके लिए जिम्मेदार किया जा रहा है।

श्री नारायणदत्त तिवारी--क्या माननीय मंत्री जी कृपया यह बतलाएंगे कि यह जो नया ढांचा बनाया जा रहा है वह क्या है?

श्री फूलसिंह---सब सुहकमों की जिम्मेदारी होगी एन० ई० एस० ब्लाक में। जिलाधीश और कमिश्नर की भी जिम्मेदारी होगी, अपने-अपने क्षेत्र में सब कि जिम्मेदारी होगी। सब अफसरों की इंट्री होगी कि उन्होंने डेवलपमेंट के काम में कितनी दिलचस्पी ली।

श्री गेंदा सिंह---क्या जो नये ब्लाक खुलने वाले हैं उनमें अभावग्रस्त क्षेत्रों का ध्यान सरकार रखेगी ?

श्री फूलसिंह---यह तो मैं पहले ही कह चुका हूं कि जहां-जहां ब्लाक खोले जायंगे वह जिला प्लानिंग कमेटी की सलाह से खोले जायंगे और जिला प्लानिंग कमेटी उन सब बातों को ध्यान में रख कर ही सिफारिश करेगी।

जिला बुलन्दशहर में प्रथम राष्ट्रीय विस्तार सेवा क्षेत्र का उद्घाटन

*६२---श्री रामचन्द्र विकल (जिला बुलन्दशहर)---क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि बुलन्दशहर जिले में प्रथम राष्ट्रीय विस्तार सेवा क्षेत्र कहां स्थापित किया गया और कब ?

श्री फूलसिंह---बुलन्दशहर जिले में पहले राष्ट्रीय विस्तार सेवा क्षेत्र का उद्घाटन ऊंचा गांव में २६-१-१९५४ को हुआ।

*६३---श्री रामचन्द्र विकल---क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि इस विस्तार सेवा क्षेत्र में अब तक क्या-क्या प्रगति हो चुकी है ?

श्री फूलसिंह---इस क्षेत्र में ३० जून, १९५४ तक जो-जो कार्य हो चुके हैं उनकी सूची सदस्य महोदय की मेज पर रख दी गई है।

(देखिये नत्थी 'ठ' आगे पृष्ठ ४९५ पर।)

*६४---श्री रामचन्द्र विकल---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बुलन्दशहर जिले में दूसरा राष्ट्रीय विस्तार सेवा क्षेत्र किस-किस परगना में स्थापित किया गया और उसमें कौन-कौन पंचायत केन्द्र सम्मिलित किये गये ?

श्री फूलसिंह---बुलन्दशहर जिले में दूसरा राष्ट्रीय विस्तार सेवा क्षेत्र अभी तक नहीं खोला गया है।

श्री रामचन्द्र विकल---क्या माननीय मुख्य मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे यह जो राष्ट्रीय विस्तार सेवा क्षेत्र सूची में पेश है इसका अधिकांश भाग पहले ही हो चुका था ?

श्री फूलसिंह---मेरा खयाल ऐसा तो नहीं है।

श्री रामचन्द्र विकल---क्या माननीय मुख्य मंत्री जी ३३ मील की उस सड़क का हवाला देने की कृपा करेंगे जिसकी विस्तार सेवा क्षेत्र के खुलने के बाद मरम्मत की गई ?

श्री फूलसिंह---इसके लिये नोटिस की आवश्यकता है।

श्री रामचन्द्र विकल---क्या माननीय मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि इस राष्ट्रीय विस्तार सेवा क्षेत्र में सरकार का कुल कितना व्यय होगा ?

श्री फूलसिंह---करीबन ७ लाख रुपये।

श्री रामचन्द्र विकल---क्या माननीय मुख्य मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि इस ७ लाख रुपये में सरकारी कर्मचारियों का व्यय भी सम्मिलित है?

श्री फूलसिंह---जी हां।

श्री रामचन्द्र विकल---क्या माननीय मुख्य मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि राष्ट्रीय विस्तार सेवा क्षेत्र में जो कर्मचारी कार्य कर रहे हैं उनका मासिक वेतन क्या है?

श्री अध्यक्ष---हर एक का पूछना चाहते हैं?

श्री रामचन्द्र विकल---केवल एक केन्द्र का।

श्री फूलसिंह---इसके लिये नोटिस की आवश्यकता होगी किन्तु ७ लाख रुपयों में से उसका बहुत थोड़ा सा अंश है।

श्री रामचन्द्र विकल---क्या माननीय मुख्य मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि बुलन्दशहर जिले में दूसरी राष्ट्रीय विस्तार सेवा क्षेत्र खोलने की कोई योजना विचाराधीन है?

श्री फूलसिंह---जी हां।

श्री शिवकुमार शर्मा---क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि इस सात लाख रुपये में क्या-क्या मदें सम्मिलित हैं और प्रत्येक में कितना-कितना अनुमानित व्यय होता है?

श्री फूलसिंह---इसके लिये नोटिस की आवश्यकता है। वैसे ४ लाख रुपये के करीब तो तकावी वगैरह के लिये है और डेढ़ लाख रुपया सबसिडी का है, बाकी वे मदें हैं जो डेवलपमेंट की मदें हैं।

हमीरपुर जिले में भूमिहीन कृषकों के लिए वनभूमि

*६५---श्री तेजप्रताप सिंह (जिला हमीरपुर)---क्या जिलाधीश हमीरपुर ने कुनेहटा तथा चिलहटा (बिदार) जंगलों में खेती के लिये जमीन पट्टे पर उठाई है? यदि हां, तो पट्टे पर भूमि पाने वालों में भूमिहीन व्यक्ति कितने हैं?

श्री जगमोहनसिंह नेगी---हाल में कुछ वर्षों से इन जंगलों में खेती के लिए कोई जमीन पट्टे पर नहीं उठाई गई है। कुछ व्यक्तियों को लगभग २०-२५ वर्ष पूर्व पट्टे पर भूमि दी गई थी और इनके पट्टे प्रतिवर्ष नये कर दिये जाते रहे हैं। ऐसे पट्टेदारों की संख्या १५१ है। इनमें से जब पट्टे दिए गये थे उस समय केवल तीन व्यक्ति भूमिहीन थे।

*६६---श्री तेजप्रताप सिंह---क्या सरकार कृपया यह बतायेगी कि कुल कितनी दरख्वास्तें जिलाधीश, हमीरपुर के पास भूमि पाने के लिये आई थीं? यह भूमि किन आधारों पर लोगों को दी गई और इनमें से कितने लोगों ने कृषि करना प्रारम्भ कर दिया है?

श्री जगमोहनसिंह नेगी---जैसा कि प्रश्न ६५ के उत्तर में कहा गया है कि अभी हाल में कोई भूमि पट्टे पर नहीं दी गई है। इस साल कोई ऐसा प्रार्थना-पत्र ही नहीं आया। भूतकाल में जो भूमि खेती करने के लिये उपलब्ध थी वह पट्टे पर दी गई थी। इस समय इन सभी पट्टेदारों की भूमि पर कृषि हो रही है।

श्री तेजप्रताप सिंह---क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि प्रार्थना-पत्र आने पर इन जंगलों की जमीन भूमिहीन लोगों को दी जायगी?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—जैसा मैंने कहा कि वहां पर कृत्रिम रूप से वृक्ष लगाने (प्लान्टेशन) का काम चालू है और अधिक बढ़ाने का विचार है। इस जिले में कृषि कार्य में जितनी भूमि आई हुई है उसके अनुपात में जिस भूमि में वन लगे हुये हैं। अतएव भूमिहीनों को जंगल की भूमि कृषि के लिए देना उचित न होगा।

श्री तेजप्रताप सिंह—क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि १९५३ ई० में जो २५ एकड़ में वृक्ष लगाये गये वह कौन-कौन वृक्ष लगाये गये और किस स्थान पर लगाये गये और सन् ५४ में जो वृक्ष लगाने का विचार है वह कहां पर लगाये जायंगे ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—इसके लिये नोटिस की आवश्यकता होगी।

हमीरपुर जिले में राजकीय वनों की उन्नति

*६७—**श्री तेजप्रपाप सिंह**—क्या सरकार कृपया बतायगी कि हमीरपुर जिले में कुल कितने रकबे में सरकारी जंगल हैं? क्या सरकार ने इन वनों को उन्नतिशील बनाने की कोई योजना बनाई है? यदि हां, तो वह क्या है?

श्री जगमोहन सिंह नेगी—जिला हमीरपुर में कुल ८३,४४० एकड़ सरकारी वन हैं। इन वनों में अधिकतर वे क्षेत्र हैं जो या तो जमींदारी विनाश होने के फलस्वरूप सरकार में निहित हो गये हैं और या इन इन्क्लेव्ज (enclaves) में हैं जो हाल ही में इस राज्य में सम्मिलित किए गए हैं। इन वनों को उन्नतिशील बनाने के हेतु इनमें (plantation) कृत्रिम उत्पादन किया जा रहा है। सन् १९५३ में २५ एकड़ भूमि में वृक्ष लगाये गये और १९५४ में १४० एकड़ भूमि में वृक्षारोपण किया जाना निश्चित किया गया है।

उत्तर प्रदेश हैन्डलूम बोर्ड के सदस्य

*६८—**श्री बशीर अहमद हकीम** (जिला सीतापुर)—क्या सरकार कृपया हैन्डलूम बोर्ड उत्तर प्रदेश के सदस्यों की एक सूची मेज पर रखेगी जिससे यह भी ज्ञात हो कि उसके कौन-कौन सदस्य हैन्डलूम कोआपरेटिव सोसाइटियों के प्रतिनिधि हैं?

श्री मुहम्मद रऊफ जाफरी—उत्तर प्रदेशीय हैन्डलूम बोर्ड के सदस्यों की सूची माननीय सदस्य की मेज पर रख दी गई है।

(देखिये नत्थी 'ड' आगे पृष्ठ ४९६ पर।)

*६९—**श्री बशीर अहमद हकीम**—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उपरोक्त बोर्ड के सदस्यों के चुनाव का क्या तरीका है और वे कितने समय तक सदस्य रहते हैं?

श्री मुहम्मद रऊफ जाफरी—उपरोक्त बोर्ड के सदस्यों का चुनाव नहीं होता बल्कि वे मनोनीत होते हैं। उनके कार्यकाल की अवधि निश्चित नहीं की गई है।

*७०—**श्री बशीर अहमद हकीम**—क्या सरकार कृपया बतायगी कि उपरोक्त बोर्ड को १९५३-५४ और १९५४-५५ में करघा उद्योग की सहायता के रूप में जो रुपया दिया गया है उसमें से कितना केन्द्रीय सरकार ने दिया और कितना प्रदेशीय सरकार ने ?

श्री मुहम्मद रऊफ जाफरी—उपरोक्त बोर्ड को करघा उद्योग की सहायता के रूप में कोई रुपया नहीं दिया गया।

श्री बशीर अहमद हकीम—क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि यह जो बोर्ड बनाया गया वह किस आधार पर बनाया गया?

श्री हुकुम सिंह—जिन लोगों को इस उद्योग से दिलचस्पी है उन लोगों को इस बोर्ड में रखा गया है।

गोरखपुर जिले की आनन्दनगर चीनी मिल द्वारा प्राप्त केन सेस

*७१–**श्री द्वारिकाप्रसाद पांडेय** (जिला गोरखपुर)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि गोरखपुर जिले की आनन्दनगर चीनी मिल द्वारा सन् १९५२–५३ और १९५४ में कितना केन सेस मिला ?

श्री हुकुम सिंह—गोरखपुर जिले की आनन्दनगर चीनी मिल से निम्नलिखित धनराशि केन सेस के रूप में वसूल हुई :—

सन्		रु०	आ०	पा०
१९५२	..	३,७४,९५३	११	०
१९५३	..	५,६२,३५४	४	०
१९५४	..	३,३७,५८५	५	९

*७२—**श्री द्वारिका प्रसाद पांडेय**—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उक्त केन सेस की धनराशि में से स्थानीय तहसील के विकास के निमित्त कितना धन व्यय किया गया अथवा करने की योजना है ?

श्री हुकुम सिंह—केन सेस की धनराशि प्रदेश के सामान्य राजस्व में सम्मिलित कर दी जाती है। अतः इस प्रश्न का उत्तर देना कठिन है।

गोरखपर जिले में परमिट द्वारा काटे गये वन

*७३—**श्री द्वारिका प्रसाद पांडेय**—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि सन् १९५१–५२ और ५३ में गोरखपुर में कुल कितने क्षेत्रफल के कौन-कौन से वन परमिट द्वारा कटाये गये और क्या वह किसी शर्त पर कटाये गये ?

श्री गोविन्द वल्लभ पन्त—माननीय सदस्य का तात्पर्य भूतपूर्व निजी वनों से प्रतीत होता है। अभीष्ट सूचना एक सूची में दी हुई है, जो मेज पर रखी है।

(देखिये नत्थी 'ढ' आगे पृष्ठ ४९७ पर।)

गोरखपुर तथा देवरिया जिलों के बाढ़ क्षेत्रों में विकास योजना

*७४—**श्री केशव पांडेय**—(जिला गोरखपुर)—क्या सरकार ने गोरखपुर, देवरिया जिले के बाढ़ क्षेत्रों में किसी विकास योजना को चालू करने की व्यवस्था की है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गोविन्द वल्लभ पन्त—नियोजन विभाग में ऐसी कोई योजना विचाराधीन नहीं है। अभाव विभाग में इस क्षेत्र के विकास के लिये कुछ योजनायें बनाई गई हैं जिन पर सम्बन्धित विभागों में विचार किया जा रहा है।

*७५—**श्री शम्भूनाथ चतुर्वेदी**—[२३ सितम्बर, १९५४ के लिये स्थगित किया गया।]

देवरिया जिले के शरणार्थी परिवारों को सहायता

*७६—**श्री रामेश्वरलाल** (जिला देवरिया)—क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि देवरिया जिले में कितने शरणार्थी पश्चिमी पंजाब से आकर निवास करते हैं ?

श्री हुकुम सिंह---इस समय देवरिया जिले में पश्चिमी पंजाब के ४२१ शरणार्थी हैं।

*७७---**श्री रामेश्वरलाल**---क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि देवरिया जिले में कितने शरणार्थी परिवारों को सरकार ने जीवकोपार्जन हेतु साधन सम्पन्न बनाने के लिये आर्थिक या अन्य तरह की सहायता दी है?

श्री हुकुम सिंह---देवरिया जिले में ८२ विस्थापित परिवारों को ऋण के रूप में कुल ५१,९६२ रु० की आर्थिक सहायता दी गयी और ७५ परिवारों को नियंत्रित वस्तुओं के लाइसेंस, कोटा व परमिट दिये गये।

*७८---**श्री रामेश्वरलाल**---क्या सरकार कृपया बतायेगी कि देवरिया जिले में कितने विधवा शरणार्थी परिवार हैं जिनकी क्षतिपूर्ति सरकार द्वारा मंजूर हो चुकी है परन्तु उन्हें अभी तक नहीं मिली है? यदि हां, तो क्यों?

श्री हुकुम सिंह---पाकिस्तान में छोड़ी गयी संपत्ति की क्षतिपूर्ति का सारा कार्य केन्द्रीय सरकार करती है। इसलिये प्रान्तीय सरकार का इस प्रश्न से कोई सम्बन्ध नहीं है, न ही राजकीय सरकार के पास इस विषय के आंकड़े हैं।

अतारांकित प्रश्न

१---**श्री नागेश्वर द्विवेदी** (जिला जौनपुर)---[२३ सितम्बर १९५४ के लिये स्थगित किया गय।]

राज्य के सामूहिक विकास केन्द्र तथा राष्ट्रीय सेवा प्रसार क्षेत्र

२---**श्री कमला सिंह** (जिला गाजीपुर)---क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उत्तर प्रदेश में कितने प्रोजेक्ट और ब्लाक खुले हैं और निकट भविष्य में कितने कहां-कहां खुलने वाले हैं?

श्री गोविन्द वल्लभ पन्त---उत्तर प्रदेश में अब तक कुल २६ सामूहिक विकास केन्द्र और ४१ राष्ट्रीय प्रसार सेवा क्षेत्र खुल चुके हैं। निकट भविष्य में कितने प्रसार सेवा क्षेत्र कहां-कहां खोले जायें, यह प्रश्न विचाराधीन है।

३---**श्री कमला सिंह**---[२३ सितम्बर, १९५४ के लिए स्थगित किया गया।]

मऊ नगरपालिका के अध्यक्ष श्री इश्तियाक आब्दी की मुअत्तिली के संबंध में काम रोको प्रस्ताव की सूचना

श्री अध्यक्ष---मेरे पास एक कामरोको प्रस्ताव की सूचना श्री झारखंडेराय जी ने भेजी है वह इस प्रकार है, मऊ नगरपालिका के अध्यक्ष श्री इश्तियाक आब्दी को प्रान्तीय सरकार ने मुअत्तिल कर दिया? इसके कारण मऊ की जनता में घोर असंतोष फैला हुआ है। आये दिन विरोध सभा प्रदर्शन एवं हड़ताल तथा संघर्ष की बातें होती रहती हैं कई हजार दस्तखतों से प्रान्तीय सरकार के पास भी विरोध आवेदन पत्र आया है विभिन्न पार्टियों के समर्थकों के बीच एक लगातार तनातनी का वातावरण बना है।

यह स्थित खतरे से भरी है। सरकार का यह काम प्रजातंत्र पर हमला है।

अतः मुअत्तली से उत्पन्न इस खतरे से भरी परिस्थिति पर विचार करने के लिये कार्य स्थ गन प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं। मुझे इसके विषय में अधिक कहने की आवश्यकता नहीं है।

[श्री अध्यक्ष]

एक मुअत्तली का मामला कहीं पर हुआ वह इतने महत्व का समझा गया कि उसके लिये कामरोको प्रस्ताव पेश किया गया। मैंने उसको यहां पर पढ़ कर सुना दिया इसलिये कि कामरोको प्रस्तावों की बहुतायत होती चली जाती है। मैं यह आशा करता हूं कि कामरोको प्रस्ताव के महत्व को समझते हुये प्रस्ताव ऐसे विषय पर ही होना चाहिये जो कि प्रान्त के लिये बहुत महत्व का हो। इसमें मैं यह महत्व नहीं समझता हूं और इससे यह भी नहीं मालूम होता है कि यह निश्चित है और ऐसी भीषण परिस्थिति उत्पन्न हुई भी है या नहीं है और इसकी खबर किसी को मालूम भी होना प्रतीत नहीं होती है। ऐसी अवस्था में मैं इसको अवैध करार देता हूं।

अधिष्ठाता मंडल के सदस्यों का नाम निर्देशन

श्री अध्यक्ष—उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया नियमावली के नियम ७ (१) के अन्तर्गत इस सत्र के लिये मैंने निम्नलिखित सदस्यों को अधिष्ठाता मंडल का सदस्य मनोनीत किया है:

१—श्री बेचनराम गुप्त
२—श्री भगवती प्रसाद शुक्ल (जिला बाराबंकी)
३—श्रीमती प्रकाशवती सूद
४—श्री राधाकृष्ण अग्रवाल
५—श्री सुल्तानआलम खां
६—श्री सुरेश प्रकाश सिंह
७—श्री हरिश्चन्द वाजपेयी
८—श्री मलखान सिंह
९—श्री कालिका सिंह और
१०—श्री महीलाल

याचिका समिति के सदस्यों का नाम निर्देशन

श्री अध्यक्ष—उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया नियमावली के नियम २१० के अन्तर्गत इस सत्र के लिये मैंने श्री हरगोविन्द पंत, श्री विष्णु शरण दुब्लिश श्री इर्तजा हुसैन श्री नारायण दत्त तिवारी तथा श्री गंगा प्रसाद सिंह को याचिका समिति का सदस्य मनोनीत किया है तथा नियम २११(१) के प्रतिबन्ध के अनुसार मैंने श्री हरगोविन्द पंत, उपाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश विधान सभा को उक्त समिति का सभापति नियुक्त किया है।

सिंचाई कर आंदोलन सम्बन्धी सूचना मंत्री के भाषण की प्रतिलिपि दिये जाने की प्रार्थना

श्री राज नारायण (जिला बनारस)—श्रीमन्, मुझे ऐसा मालूम हुआ है कि कल पुनः माननीय सिंचाई मंत्री, श्री कमलापति जी ने अपने भाषण की टाइप कापी वितरित की है। इसलिये हमें भी उसकी एक प्रतिलिपि दी जाय, ताकि विशेषाधिकार के प्रश्न पर सामने आने पर विलंब की शिकायत न हो।

श्री अध्यक्ष—आप पूरी जांच करने के बाद उसके लिये कहें।

श्री राजनारायण—हमारे पास उसके फैक्टस हैं। मैंने यह सूचना इसलिये दी है कि फिर विलम्ब का प्रश्न न उठाया जाय।

हस्तिनापुर नगर विकास मंडल विधेयक, १९५४

उद्योग मंत्री (श्री हुकुम सिंह)—अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से हस्तिनापुर नगर विकास मंडल विधेयक, १९५४ को पुरःस्थापित करता हूं।

(देखिये नत्थी 'ण' आगे पृष्ठ ४९८–५१० पर।)

†उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी (टेम्पोरेरी पावर्स आफ कंट्रोल) (संशोधन) विधेयक, १९५४

खंड २

२—यू० पी० इलेक्ट्रिसिटी (टेम्पोरेरी पावर्स आफ कंट्रोल) ऐक्ट, १९४७की धारा १ की उपधारा (४) में संख्या "१९५४" के स्थान पर संख्या "१९५६" रख दी जाय। यू० पी० ऐक्ट ६, १९४७ की धारा १ (४) का संशोधन।

*श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—श्रीमन्, मैं आप की आज्ञा से निम्नलिखित संशोधन उपस्थित करता हूं—

"खंड २ में उल्लखित संख्या "१९५६" के स्थान पर संख्या "१९५५" कर दी जाय।

श्रीमन्, इस संशोधन को रखने के कुछ कारणों पर प्रकाश डालना मैं अत्यन्त आवश्यक समझता हूं। माननीय वित्त मंत्री अपने इस प्रस्ताव के द्वारा इस विधेयक की मियाद दो वर्ष के लिये और बढ़ाना चाहते हैं और चाहते हैं कि बिजली के उत्पादन कंट्रोल और डिस्ट्रीब्यूशन पर और दो साल के लिये प्रदेश भर में कंट्रोल जारी रहे। लेकिन माननीय परिपूर्णानन्दजी ने जो स्पष्टयोक्ति दी उसमें बताया कि १६ या १९ शहरों में से कंट्रोल हटा लिया गया है और केवल ६ शहरों में वितरण पर कंट्रोल है। इसी संबंध में आगे उन्होंने यह भी बतलाया कि इन शहरों में गंगा हाईडिल ग्रिड में उत्पादन बढ़ गया है। तो यह कंट्रोल उठा लिया जायगा। कुछ दिनों पहले सरकार ने एक प्रश्न के उत्तर में बताया था कि शारदा और पथरी के बिजलीघर सन् ५५ तक बन जायंगे और सरकार का दावा है कि उनसे ४१ हजार किलोवाट बिजली मिलने वाली है और जिसका संबंध गंगा हाईडिल ग्रिड से भी हो जायगा। जब सन् ५५ में शारदा और पथरी के बिजलीघर बनने ही वाले हैं तो कोई कारण नजर नहीं आता कि इस विधेयक की मियाद एक साल के लिये क्यों न बढ़ाई जाय। दूसरा बड़ा कारण जो इस संबंध में बताया गया है वह यह कि एक साल इस विधेयक को केवल इसलिये बढ़ाया जाय कि तब तक इस सदन को एक कमेटी बैठायी जाय, जो प्रान्त की विद्युत प्रणाली की पूरे पैमाने पर वास्तविक जांच करे और यह देखे कि आज इस प्रान्त की विद्युत प्रणाली, जो अलग-अलग बिजली घर हैं चाहे वे सरकारी हों या गैर सरकारी हों, उन पर कितने नियंत्रण की आवश्यकता है। कंज्यूमर्स को क्या दिक्कतें हैं और साथ ही साथ वह रेट्स सिस्टम की भी जांच करे कि आया जो अलग-अलग बिजली कम्पनियां हैं, जो बिजली के रेट्स अलग-अलग शहरों में लगे हुये हैं, वे कैपिटल एक्सपेंडिचर के अनुसार, उसके मेंटेनेंस के खर्चे के अनुसार लगे हैं कि नहीं लगे हैं तथा वह विस्तृत रूप से इस बात की सलाह दें कि प्रान्त में बिजली के भविष्य के लिये सरकार को क्या करना चाहिये, राज्य को क्या करना चाहिये। मैं तो सरकार से प्रार्थना करता हूं, सरकार को सुझाव देता हूं, सरकार से मांग करता हूं और उससे अनुरोध करता हूं कि वह सदन के माननीय सदस्यों और विद्युत विभाग के एक्सपर्ट्स की एक कमेटी बनावें जो इस विधेयक के प्रस्ताव पर, इसके आधार पर और इसके मंतव्य पर विचार करे और विचार करने के बाद एक साल में रिपोर्ट पेश करे और उस रिपोर्ट के आधार पर एक नया विधेयक बिजली के नियंत्रण के संबंध में, उसके प्रसार के संबंध में और वितरण के तरीके के संबंध में लाया जाय। जिन बातों को मैं पहले कह चुका हूं उन सब को मैं दोहरा कर इस सदन का कीमती समय नहीं लेना चाहता हूं, क्योंकि इस संबंध में मैं उसी दिन निवेदन कर चुका हूं लेकिन इतना मैं कहूंगा कि आदरणीय

---

†२६ अप्रैल, १९५४ को कार्यवाही में छपा है।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री नारायणदत्त तिवारी]

सदन के सम्मुख दो तीन दिन ही हुये प्रश्न आये हैं अगर माननीय सदस्य इसको ध्यान में रखें तो मैं समझता हूं कि प्रत्येक माननीय सदस्य और स्वयं माननीय मंत्री जी भी इस बात के लिये तैयार होंगे कि सरकार यदि शीघ्र इस संबंध में कमेटी बनावे तो एक साल के अन्दर ही सारी कार्यवाही हो जाय ।

श्री परिपूर्णानन्द वर्मा (जिला गोरखपुर)—मान्यवर, मैं इस संशोधन का विरोध करता हूं और विरोध के साथ मुझे दुख यह होता है कि परसों परिस्थिति स्पष्ट कर देने के बाद भी केवल एक विरोध के लिये संशोधन उपस्थित कर दिया जाता है । इस तरह के संशोधन से समय की हानि होती है । मैंने स्पष्ट निवेदन कर दिया था कि मार्च सन् १९५५ से इस प्रकार की जो नयी स्कीम है उस से कितनी बिजली प्राप्त होने की आशा है और मैंने यह निवेदन कर दिया था कि खटीमा पावर हाउस से ४१ हजार किलोवाट बिजली मिलने की उम्मीद है । मार्च, ५५ के बाद उसके प्राप्त होने की आशा है तो ऐसी परिस्थित में जब कि १९५५ के तीसरे महीने से बिजली मिलेगी और जब कि नये विधेयक के लिये कहा गया है कि १९५६ में आयेगा तो इससे कौन सा अन्तर पड़ जाता है, यह बात मेरी समझ में आती नहीं ।

एक बात मैं और इस संबंध में निवेदन कर देना चाहता हूं कि माननीय सदस्य यह चाहते हैं कि इस सम्बन्ध में एक कमेटी बैठायी जाय जो इस मसले पर विचार करे । अगर यह कमेटी सितम्बर सन् ५४ में बनी तो सन् ५५ के सितम्बर तक एक साल तो यों ही हो जाता है तो फिर सन् ५६ तक कितना बाकी ही रहता है, इसलिये यह तो कुछ ऐसी बात नहीं है । हां, एक बात जरूर है जैसा कि माननीय विद्युत मंत्री जी ने उस दिन बतलाया था कि यह समस्या सरकार के सम्मुख निरन्तर विचाराधीन है और हर महीने, हर छःमाही परिस्थिति बदलती चली जा रही है और अधिक से अधिक मात्रा में बिजली देने की चेष्टा की जा रही है जहां तक हाइडल ग्रिड का संबंध है उस पर पुनः एक मर्तबा विचार किया जा सकता है। यह तो कर दिया गया है कि जो पुरानी अर्जियां थीं उनको रद्द करके नये ढंग से वितरण की व्यवस्था भी की जा रही है, तथा उत्तर प्रदेश के माननीय सदस्य जो इसके वितरण के संबंध में रुचि रखते हैं वे जानते हैं कि इस बात की हम बराबर कोशिश करते जा रहे हैं कि नियम अधिक से अधिक उदार होते चले जायं ।

कुछ आंकड़ों को उन्होंने गलत भी समझा है । मैंने उस दिन यह निवेदन किया था । कि उत्तर प्रदेश में १३ ऐसे नगर हैं जहां पर बिजली बिलकुल डिकंट्रोल है । दूसरी बात मैंने यह कही थी कि ६ ऐसे नगर है जिन नगरों में पावर के ऊपर कंट्रोल है। फिर मैंने यह बतलाया था कि १९ ऐसे नगर पड़ते हैं जिन नगरों में प्रायरटी के हिसाब से वितरण होता है । तो ये तीन चीजें जान लेने के बाद मैं नहीं समझता कि कौन सी चीज बाकी है जिसकी जानकारी प्राप्त करना श्री नारायण दत्त जी के लिये जरूरी है । इन शब्दों के साथ मैं इस संशोधन का विरोध करता हूं ।

श्री अवधेश प्रताप सिंह (जिला फैजाबाद)—माननीय अध्यक्ष महोदय, जब यह बिल पेश हुआ था तो उसकी फर्स्ट रीडिंग के समय ही मैं इस सिलसिले में बहुत कुछ कह चुका था इसलिये अधिक समय नष्ट करना मैं नहीं चाहता परन्तु इस समय भी मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि मैं श्री नारायण दत्त जी के संशोधन के समर्थन में खड़ा हुआ हूं और मैं भी चाहता हूं कि इसकी अवधि इस समय केवल एक साल के लिये ही बढ़ाई जाय और इस में मैं समझता हूं कि उन्हें कोई विशेष आपत्ति न होनी चाहिये । एक साल की अवधि रखने से हमें अगले साल फिर हालत उस वक्त की देखकर आगे के लिये नीति बनाने में मदद मिलेगी और हम आसानी से एक साल की अवधि रख सकते हैं । जहां तक कमेटी की नियुक्ति का सवाल है वह भी अगर मान लिया जाय तो वह एक निर्दोष सवाल है । यदि ऐसी कोई कमेटी नियुक्त कर दी जायगी तो वितरण में बहुत सुविधा होगी और जरूरतमन्द लोगों को पहले बिजली मिल सकेगी। इसलिये एक साल की मुद्दत रखने और कमेटी के नियुक्त करने में कोई विशेष आपत्ति न होनी चाहिये ।

श्री रामनारायण त्रिपाठी (जिला फैजाबाद)—अभी माननीय परिपूर्णानन्द जी ने, श्रीमन्, यह बताया कि खटीमा पावर हाउस से सन् ५५ के आखिर तक बिजली पैदा होने वाली है और वित्त मंत्री जी ने सूचना दी कि वह ५४ की जून में ही चालू हो जायगा। कहा गया कि वहां ३ टरबाइन हैं और उन में से एक चालू हो जायगा। एक साल का फर्क तो यही है। इससे गलतफहमी हो रही है। एक साल के बाद आप फिर गौर कर सकते हैं और आवश्यक है कि इस समय केवल एक साल की ही अवधि बढ़ाई जाय। जब श्री परिपूर्णानन्द जी स्वयं कहते हैं बिजली की प्रगति बहुत जोर पर यहां है तो हो सकता है कि एक साल में स्थिति और भी बेहतर हो जायगी और एक साल बाद ही कंट्रोल हटाने की बात कही जा सकती है, २ साल तक जनता को परेशान करने की क्या आवश्यकता है। मंत्री जी ने अपने बजट भाषण में कहा था कि मऊ, गोरखपुर आदि में भी कई लाख किलोवाट बिजली के प्लांट चालू हो रहे हैं और इन स्टेशन्स को इंन्टर कनेक्ट करने का माननीय वित्त मंत्री जी का इरादा है। इसलिये एक साल का एक्सटेंशन बहुत काफी है, और २ साल तक रुकने की आवश्यकता नहीं है। एक दो साल में ज्यादा फर्क नहीं है और इलेक्ट्रिसिटी ऐक्ट के मातहत जो कौंसिल या बोर्ड रेट्स वगैरह के होने चाहिये वह निश्चित अवधि के बावजूद नहीं बन रहे हैं। इसलिये हमें फिर मौका मिलेगा कि हम कानूनी दिक्कतों की तरफ माननीय वित्त मंत्री जी का ध्यान आकर्षित कर सकें और उनको भी स्थिति उस वक्त की साफ करने का मौका मिलेगा। इसलिये आशा है वित्त मंत्री जी के सलाहकार माननीय परिपूर्णानन्द जी उन को यही सलाह देंगे कि इस वक्त इस की मियाद एक साल के लिये ही बढ़ाई जाय।

***वित्त मंत्री (श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम)**—जनाबवाला, यह संशोधन एक साल की बाबत है और जिस बिना पर यह खयाल कायम किया गया है कि एक साल हो जाना कोई गलत बात नहीं है, वह खयाल ही असल में गलत है। शारदा पावर स्टेशन हो या पथरी पावर स्टेशन हो उनकी बिजली जिस एरिया को मिलेगी उसकी निस्बत कल मैंने अपनी तकरीर में यह कहा था कि उस रकबे को तो हम अभी सोच रहे हैं कि बावजूद कंट्रोल होने के डिकन्ट्रोल कर सकेंगे या नहीं, यह अख्तियार उनके लिये नहीं लिये जा रहे हैं जो इधर पावर स्टेशंस मऊ मैनपुरी या गोरखपुर के बन रहे हैं। कंट्रोल जी जरूरत उतनी उनके लिये नहीं है जितनी कि जहां इस वक्त बिजली है और आइन्दा दो सालों के अन्दर और बढ़ जाने की तवक्को नहीं हो सकती है। ऐसे मुकाम मैंने बतलाये थे जहां-जहां कंट्रोल नहीं है उनको छोड़कर आज जहां-जहां लाइसेंसीज काम कर रहे हैं उनके जरिये से बिजली बढ़ाई गई है, उनको बढ़ाने के लिये कहा गया है और बढ़ाने की कोशिश हो रही है, लेकिन वह बढ़कर पूरी नहीं हो सकती है, तो दो साल से पहले इसलिये यह समझना कि इसकी जरूरत कहीं भी नहीं होगी, ठीक नहीं है। और एक जगह भी इस अख्तियार के इस्तेमाल करने की जरूरत हो सकती है तो इसके बाकी रहने की जरूरत है। लेकिन इसके होने के यह माने नहीं है कि कंट्रोल कायम रखा जाय। इस के होते हुये भी जहां कंट्रोल लगे हुये थे वहां से हमने कंट्रोल उठा दिये। यह मैंने कल बतला दिया था कि दो साल से पहले इन्तजाम नहीं हो सकेगा और इस अख्तियार को इस्तेमाल करने की जरूरत गवर्नमेंट को रहेगी और इसीलिये दो साल का वक्त मांगा गया है।

कमेटी के बारे में मेरे भाई अवधेश प्रताप सिंह जी ने तकरीर की थी और मुझे अफसोस है कि उस दिन पांच बजने में कुछ मिनट बाकी रह गये थे जब मैं बोलने के लिये खड़ा हुआ और उस वक्त वह मौजूद नहीं थे वरना मैं अर्ज करता उनकी खिदमत में कि जहांतक उनका ताल्लुक है कभी तकलीफ फरमाते मेरे पास आने की और जो जो बातें उनको मालूम होतीं उसको बतलाते और उन्हीं से नहीं, हर मेम्बर के लिये मेरा यह दावत है, आपने चूंकि कहा इसलिये आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूं कि मेरे पास तकलीफ फरमाते और जो जो बातें आपको मालूम

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम]

होतीं बतलाते और मेरी मदद करते कि मैं जो जो गलत मामले हैं उनको ठीक करूं और जो कमियां है उनको दूर करूं। महज तकरीर कर देने से तो कोई फायदा होता नहीं है। आपने जो फरमाया कि कमेटी कायम करो तो उसकी कतई जरूरत नहीं है। इस हालत में जबकि एक मुस्तकिल स्टैंडिंग कमेटी इस डिपार्टमेंट की मौजूद है उसके सामने जो भी मामले बिजली के मुताल्लिक हो सकते है जा सकते हैं। मैं भी देख सकता हूं, खुद मेम्बर्स देख सकते हैं अगर कोई कमी हो वह लेजिस्लेचर की कमेटी है उसी काम के वास्ते, उसके होते हुये फिर और किसी कमेटी के बनाने की जरूरत मेरी समझ में नहीं आती। ऐसी कोई बात हो जिसमें इस सदन के मेम्बरों को छोड़कर गैर मेम्बरों की कमेटी की बात हो तो समझ में आती, लेकिन जब इस डिपार्टमेंट की स्टैंडिंग कमेटी कायम है कि उस मुहकमे की हर बात की देखभाल करे और उसमें मशविरा दे और उसकी कमी को पूरा करने की तरफ मदद करे यह सब उसमें हो सकती है फिर किसी कमेटी की क्या जरूरत है। इसलिये मैं समझता हूं कि इस तरमीम की जो इस हाउस के सामने इस वक्त है, जरूरत नहीं है और उसको मंजूर नहीं करना चाहिये।

श्री नारायणदत्त तिवारी---श्रीमन् मैं माननीय परिपूर्णानन्द जी के लिये समझता हूं कि वे और भी अधिक धन्यवाद के पात्र हैं कि उन्होंने उस दिन और आज भी बड़ी कृपा करके हमको उन तथ्यों से अवगत कराया। उन्होंने यह बताया कि शारदा पावर हाउस तो मार्च, १९५५ तक चलने वाला है, १९५५ तक बन जाने वाला है।

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम---यह गलतफहमी ख्वाहमख्वाह हो रही है। वह भी यह नहीं कहते हैं और मैं पहले भी कह चुका हूं कि शारदा पावर हाउस का एक टरपाइन तैयार हो जायगा और बाकी जो रहेगा वह मार्च, १९५६ तक तैयार होगा।

श्री नारायणदत्त तिवारी---अगर आज की तारीख को फाइनल मान लिया जाय और यह मान लिया जाय कि इस तारीख के बाद से शारदा पावर हाउस काम करने लगेगा तो ठीक है, लेकिन हमारी बदकिस्मती यह है कि आज तक जितनी तारीखें गवर्नमेंट ने बतलायीं हैं वह गलत साबित हुयी हैं। अगर यह तारीख सही साबित हो जाय तो बहुत अच्छी बात है। माननीय मंत्री जी ने जो रूपरेखा हमारे सामने रखी उस के कारण तो मैं समझता हूं कि सन् १९५६ भी लिखना बेकार होगा। माननीय मंत्री को एक लम्बी तारीख देनी चाहिये थी और उनको तो अगर १९६६ याद आता तो वही रख देना चाहिये था और वही अच्छा होता और मैं समझता हूं कि तब तक मैनपुरी और मऊ आदि की जितनी डिमांड है वह भी पूरी हो जाती। जहां तक मेरा अपना खयाल है कि यह काम दो साल में भी पूरा होने वाला नहीं है। मैं तो हैरान हूं इस बात पर कि माननीय मंत्री का और सरकार का कितना समय बेकार खर्च होता है कि उन्हें बार बार संशोधन लाने पड़ते हैं कि इसको एक साल बढ़ाने की जरूरत है और इसको दो साल बढ़ाने की जरूरत है। हर दो साल के बाद यह होता है कि इसकी मियाद फिर बढ़ाई जाय और ठीक वही काम बतलाया जाता है। मैं समझता हूं कि इससे सरकर का रुपया फिजूल खर्च होता है। अगर सरकार यह समझती है कि इस विधेयक को या किसी स्कीम को इतने दिन तक रखना है तो उसके लिये उसको प्रोवाइड करना चाहिये, उसका प्राविजन करना चाहिये।

माननीय मंत्री जी ने स्टैंडिंग कमेटी को ले कर जो दलील दी है वह मैं समझता हूं कि बिल्कुल निरर्थक है। उनका कहना यह था कि जब डिपार्टमेंट की एक कमेटी राय देने के लिये मौजूद है तो किसी दूसरी बड़ी कमेटी की क्या जरूरत है। यदि ऐसा होता तो फ्लड कमेटी या रेन्ट कंट्रोल कमेटी आदि की क्या जरूरत थी। जितनी बड़ी कमेटियां बनती हैं किसी मामले में जांच आदि करने के लिये तो उनकी क्या

जरूरत है ? मेरा तो निवेदन यह था कि एक विशेष मामले, बिजली का नियंत्रण उत्पादन रेट और वितरण के सम्बन्ध में एक निश्चित विचार को रख कर एक कमेटी बनायी जाय, लेकिन माननीय मंत्री जी ने इसको स्टैंडिंग कमेटी से मिला दिया। मैं समझता हूं कि इस कमेटी का ताल्लुक स्टैंडिंग कमेटी से किसी हालत में भी नहीं होना चाहिये। क्योंकि स्टैंडिंग कमेटी तो साल में एक बार, दो बार या तीन बार बुला ली जाती है और उसमें मेम्बरों के सामने साइक्लोस्टाइल्ड शीट्स बांट दिये जाते हैं और प्रस्ताव पास हो जाते हैं। इस स्टैंडिंग कमेटी और एक एक्सपर्ट कमेटी में बहुत बड़ा फर्क है। मैं तो समझा था कि हमारे माननीय परिपूर्णानद जी ने, जिनको कि वित्त और शक्ति विभाग का अवैतनिक और अनाम डिप्टी मिनिस्टर समझता हूं, हमारी कमेटी की बात मान ली, क्योंकि उन्होंने यह कहा कि एक साल तक तो कमेटी रिपोर्ट नहीं दे पायेगी। मैं उस समय उनको धन्यवाद देने जा रहा था, लेकिन उसी समय माननीय वित्त मंत्री ने कुछ संशोधन किया और एक हवाला दे दिया। मैं श्रीमान्, आपके द्वारा मंत्री जी से यह निवेदन करना चाहता हूं कि मैं अपने संशोधन को वापस लेने को तैयार हूं अगर माननीय मंत्री जी हमको आश्वासन दे दें कि वह बिजली के उत्पादन और रेंट के सम्बन्ध में सदन के माननीय सदस्यों की एक एक्सपर्ट कमेटी बनायेंगे।

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—इस सदन के मेम्बरों की एक कमेटी एक्सपर्ट कमेटी कहला सकेगी या नहीं मुझे शक है। इस हाउस के मेम्बरों की एक कमेटी मौजूद है और मैं समझता हूं कि किसी और कमेटी की और जरूरत नहीं है। उसमें व्यक्तिगत रूप से एक्सपर्ट भी आ सकते हैं और इस सम्बन्ध में जो भी बात होगी उसके सामने जा सकती है।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड २ में उल्लिखित संख्या "१९५६" के स्थान पर संख्या "१९५५" कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड २ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

शीर्षक, प्रस्तावना तथा खंड १

यू० पी० इलेक्ट्रिसिटी (टेम्पोरेरी पावर्स आफ कंट्रोल) (संशोधन) विधेयक, १९५४

यू० पी० इलेक्ट्रिसिटी (टेम्पोरेरी पावर्स आफ कन्ट्रोल) ऐक्ट, १९४७ में कुछ प्रयोजनों के निमित्त संशोधन करने का — यू० पी० ऐक्ट ६, १९४७

विधेयक

यह आवश्यक है कि यहां पर आगे चल कर प्रतीत होने वाले कुछ प्रयोजनों के निमित्त यू० पी० इलेक्ट्रिसिटी (टेम्पोरेरी पावर्स आफ कंट्रोल) ऐक्ट, १९४७ में संशोधन किया जाय; — यू० पी० ऐक्ट ६, १९४७।

अतएव एतद्द्वारा निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

१—(१) यह अधिनियम यू० पी० इलेक्ट्रिसिटी (टेम्पोरेरी पावर्स आफ कंट्रोल) (संशोधन) अधिनियम, १९५४ कहलायेगा; — संक्षिप्त शीर्ष नाम तथा प्रारम्भ।

(२) यह तुरन्त प्रचलित होगा।

श्री अध्यक्ष——प्रश्न यह है कि खंड १ प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम——जनाबवाला, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी (टेम्पोरेरी पावर्स आफ कंट्रोल) (संशोधन) विधेयक, १९५४ पारित किया जाय ।

श्री अध्यक्ष——प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी (टेम्पोरेरी पावर्स आफ कण्ट्रोल) (संशोधन) विधेयक, १९५४ पारित किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

*उत्तर प्रदेश कृषि आय-कर (संशोधन) विधेयक, १९५४

राजा वीरेन्द शाह (जिला जालौन)——श्रीमन, जब यह कृषि-आय कर बिल सिलेक्ट कमेटी में भेजा गया था उस वक्त भवन में यह तय हुआ था कि वहां से लौटने पर जनरल डिसकशन इसके बारे में होगा । तो ऐसा न हो कि हम लोग इस पर जनरल डिस्कशन न करने पायें । इसलिये मैं प्रार्थना करूंगा कि इस पर जनरल डिस्कशन हो ।

श्री अध्यक्ष——ठीक है यह उस वक्त कहा गया था कि जल्दी जल्दी में वह सिलेक्ट कमेटी के पास भेजा गया । तो जब कोई बिल सेलेक्ट कमेटी से वापस आता है, तो उसके ऊपर जनरल डिस्कशन वैसे आम तौर पर नहीं होता है । तो इसके ऊपर उसमें मौका दिया जाय । राजस्व मंत्री, आपको तो कोई आपत्ति नहीं है ।

माल मंत्री के सभा सचिव (श्री द्वारका प्रसाद मौर्य)——आपने स्वयं कह दिया, मुझे कोई आपत्ति नहीं है ।

(कुछ ठहर कर)

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश कृषि आय-कर (संशोधन) विधेयक, १९५४ पर जैसा कि वह प्रवर समिति द्वारा संशोधित हुआ है, विचार किया जाय ।

वैसे तो जब यह विधेयक इस भवन में प्रस्तुत किया गया था तो जहां मुझे खयाल है काफी विचार-विनिमय हुआ था लेकिन.....

राजा वीरेन्द्र शाह——कोई विचार-विनिमय नहीं हुआ था ।

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य——लेकिन जैसा कि हमारे विरोधी सदस्य चाहते हैं कि उसके लिये जनरल डिस्किशन हो और स्वयं माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने भी उसकी इजाजत दी है, इसलिये थोड़े शब्द इस सम्बन्ध में मैं निवेदन कर देना चाहता हूं कि प्रस्तुत संशोधित विधेयक के द्वारा जो पहले कृषि-आय-कर जिस आमदनी पर लिया जाता था वह ३,००० से ऊपर होने पर लिया जाता था । लेकिन अब वह दर ३,००० से बढ़ा कर ४,२०० रुपया कर दी गई है, यानी ४,२०० से नीचे की कृषि आय पर कोई कर नहीं लिया जायगा ।

दूसरे इस सम्बन्ध में कृषि-आय-कर देने वालों के लिये एक और विशेष सुविधा इस प्रकार की कर दी गई है कि जिस समय असेसमेंट का नोटिस जायगा तो उसमें उस

---

*प्रवर समिति द्वारा संशोधित विधेयक २३ अगस्त, १९५४ की कार्यवाही में छपा है ।

व्यक्ति की ३० एकड़ से अगर ऊपर की जोत की भूमि है तो उसमें जो रेट है सर्किल का उसके हिसाब से साढ़े बारह गुने का मल्टिपिल लगा कर अगर ४,२०० रुपये से अधिक होगा तो नोटिस भेजा जायगा। इससे आसानी हो जायगी। लोगों को इस बात में कोई भ्रम नहीं रहेगा कि उनकी आमदनी लगाने में कोई ग़लती की गई है या नहीं। अगर वह देख लें कि साढ़े बारह गुने का मल्टीपिल करके सर्किल रेट पर ४,२०० रुपये की आमदनी है और वह इसे सही समझता है तो अदालत में मुकदमा लड़ने की और परेशान होने की कोई जरूरत बाकी नहीं रह जायगी। वैसे अगर उन्हें कोई आपत्ति है तो उन्हें पूर्ण अधिकार है कि कोई गलती है तो उसके मुताबिक वह अपनी गलती को दुरुस्त कराने के लिये आवेदन-पत्र दे सकते हैं।

बाग के बारे में आम शिकायत यह थी कि पेड़ों के ऊपर जो आमदनी लगाई जाती है उसके लिये कोई नियम नहीं था कि किस पेड़ की कितनी आमदनी हो। कहीं-कहीं यह शिकायत मिली कि फी पेड़ १० रुपये रखा गया और कहीं यह कि फी पेड़ १२ रुपया रखा गया, तो यह परिस्थिति थी। इसका इस संशोधन द्वारा सुधार कर दिया गया है कि बाग की भूमि जैसी कि अन्य भूमि है उसमें मल्टीपिल पर ही कृषि आय कर लगाया जायगा। इस मल्टीपिल को प्रदेश के भिन्न-भिन्न भागों की परिस्थिति के अनुसार किया जायगा, जिस जिले की जैसी हालत होगी, जैसे दरख्त होंगे उसके अनुसार यह मल्टीपिल मुकर्रर किया जायगा। अगर कलमी आम वगैरा के पेड़ हैं तो उस भूमि में मल्टीपिल ज्यादा होगा और कहीं देशी आम के पेड़ हैं तो उसमें कम होगा, उसी प्रकार से वहां पर कम कर दिया जायगा। उसमें अपील डिवीजनल कमिश्नरों को भी सुनने का अधिकार दिया गया है, जिससे अगर किसी को शिकायत हो तो उस सम्बन्ध में भी उसको सुविधा मिल जाय। तो इस खास संशोधन में सुविधा की बात की गयी है। ४२,००० के ऊपर जो टैक्स लगेगा उसका विवरण अनुसूची में दे दिया गया है। उसमें १५०० तक तो कोई टैक्स लगेगा नहीं। १,५०० के ऊपर ३,५०० की जो आमदनी होगी उस पर एक आने के हिसाब से रखा गया है। तो इस प्रकार जितने कम आमदनी वाले लोग हैं उनके लिये टैक्स कम है। आमदनी ज्यों ज्यों बढ़ती गयी है त्यों-त्यो टैक्स की दर बढ़ाई गई है और सिद्धान्त से तो इस भवन ने बहुत बार स्वीकार कर लिया है कि विशेष आमदनी वालों पर टैक्स देने का बोझा अधिक होना चाहिये। उस सिद्धांत के अनुसार अनुसूची में परिवर्तन कर दिया गया है। बाकी और कोई बिशेष बात होगी तो बहुत से संशोधन दूसरी तरफ से आये हुए हैं, उस समय यह विचार कर लिया जायगा। मुझे आशा है कि जो सिद्धान्त और ढंग स्वीकार किया गया है उससे जनता को और खासकर नीची आमदनी वालों को विशेष सुविधा होगी और सभी कृषि आय कर देने वालों के लिये, जहां तक प्रोसीजर का सवाल है, विशेष सुविधा कर दी गयी है। मुझे आशा है कि भवन इसे स्वीकार करेगा।

*श्री अवधेश प्रताप सिंह (जिला फ़ैजाबाद)—माननीय अध्यक्ष महोदय, कृषि आय-कर संशोधन विधेयक, जो इस समय इस सम्मानित सदन के सन्मुख उपस्थित किया गया है उसके विरोध में मैं खड़ा हुआ हूं। श्रीमन्, माननीय सचिव महोदय के कथनानुसार जो कुछ भी सुविधाएं वह दे रहे हैं वह मैं भी आप की आज्ञा से सदन के सम्मुख रखूंगा।

श्रीमन्, मुझे इससे इन्कार नहीं हो सकता कि जहां तक आज तक आय कर न देने की सीमा ३,००० रुपया है उस जगह आप ४,२०० रुपया कर रहे हैं, परन्तु साथ ही साथ इसके और भी सुविधाएं जो छीनी जा रही हैं, यदि उन पर माननीय सचिव महोदय ध्यान दें तो वह समझ सकते हैं कि जो कुछ भी सुविधाओं का बखान किया जा रहा है वह उसके सामने नगण्य हैं। उन सुविधाओं में एक यह भी है कि जब गवर्नमेंट की ओर से किसी कर दाता के पास नोटिस भेजा जायगा तो उसके साथ एक ऐसा विवरण भेजा जायगा जिसमें उस धनराशि का

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री अवधेश प्रताप सिंह]

पता रहेगा कि जिस पर उसको कर देय हो सकता है या उस पर जो भी कर लगाया जा सकता है। श्रीमन्, इन सुविधाओं को देखते हुये हैं, जो वह दे रहे हैं, मैं आप के द्वारा उनका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि आज तक कृषि आय कर का जितना निर्धारण होता है वह एस० डी० एम०, उनके तहसीलदार और क्लर्क के द्वारा जिस तरह से कर-दाताओं पर क्लेश डाला जाता है, वह सब पर विदित है और हर माने में वह इस विभाग में सर्वोपरि होते हैं। श्रीमन्, एस० डी० एम० और असेसिंग आफिसर जो होते हैं, वह तो नाम मात्र के अधिकारी हैं, वास्तविकता तो यह है कि इस विभाग के जो नायब तहसीलदार होते हैं, जो क्लर्क होते हैं वह मनमाने ढंग से काम करते हैं, सर्वोपरि रहते हैं, और जिस तरह से जो चाहते हैं, करते हैं। इस संशोधन में उस कर दाता की रक्षा के लिये कोई जगह नहीं रह जाती है। और बहुत से उदाहरण हैं इसके कि इस अनुदारता और कठोरता से लोग परेशान होते आये हैं। श्रीमन् अब इसके साथ जहां पर करदाताओं का प्रश्न उठता है, यह उन्हीं के उन कागजातों पर जो कि भेजे जायंगे उन्हीं पर भरोसा किया जाता है तो मैं समझता हूं कि किसी भी कर दाता के लिये मुक्ति नहीं है और साथ ही साथ उद्देश्य और कारण देखते हैं तो यह स्पष्ट नहीं होता है। विधेयक पर यदि ध्यान दिया जाय तो यह अवश्यम्भावी है कि पहले के दृष्टिपात से यह पता चल सकता है कि जो धनराशि या आयकर नायब तहसीलदार या उनके क्लर्कों द्वारा निश्चित किया जायगा वही अन्तिम रूप से मान्य होगा। ऐसी हालत में श्रीमन्, जहां पर आप उनके लिये सुविधा कर रहे हैं वहां अब बजाय सुविधा करने के उनकी क़ब्र खोद रहे हैं। आज वह लोग जो कि न्यायालय में नहीं आ सकते हैं या जो कि कागज नहीं तैयार कर सकते उनके लिये आप और भी परेशानियों का बोझ उनके सर पर लाद रहे हैं।

श्रीमन्, रहा यह कि लखनऊ में अब तक केवल एक प्राधिकारी थे जो अपीलों की सुनवाई करते थे। अब इस विधेयक में उसमें संशोधन किया जा रहा है और एडीशनल कमिश्नर को भी अधिकार दिया जा रहा है कि अपीलों की सुनवाई कर सकें। श्रीमन्, मैं आप के द्वारा सदन का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं, और मैं इसको अधिकार-पूर्वक कहना चाहता हूं कि आज कल हर एडीशनल कमिश्नर के पास इस क़दर काम बढ़ा है कि वह २०-२५ के करीब मुकदमों पर एक दिन में निर्णय देते हैं और वह क्या निर्णय देते हैं, उन पर भी वह अपना समय नहीं दे पाते। इसके बाद अगर यह ऐग्रीकल्चरल इनकम टैक्स की अपीलों का काम उनके पास जायगा तो कहां तक न्याय की हम उनसे आशा कर सकते हैं।

श्रीमन्, इसी के साथ साथ मैं यह भी बता दूं कि फैजाबाद के ऐडीशनल कमिश्नर की यह दशा है कि २०, २५ मुकदमें रोज उनके पास निर्णय करने के लिये रहते हैं। न्याय मन्त्री जी के पास बार एसोसियेशन फैजाबाद का एक डेपुटेशन भी आया था जिसके द्वारा यह अनुरोध किया गया था कि एडीशनल कमिश्नर के पास से काम घटाया जाय न कि बढ़ाया जाय। इस विधेयक द्वारा उनका काम बढ़ाया जा रहा है और कर दाताओं को जो सुविधायें पहले प्राप्त थीं उनसे उनको वंचित किया जा रहा है। श्रीमन्, कृषि आयकर सूची में भी कुछ परिवर्तन किये गये हैं और उसका कारण यह बताया जाता है कि उसमें सरलता आ जाय और एक समानता आ जाय। परन्तु श्रीमन्, वास्तविक कसौटी पर रख कर अगर देखा जाय तो मालूम होगा कि करदाताओं को इन परिवर्तनों से जो किये जा रहे हैं लाभ पहुंचा है या नुकसान। यदि क्लर्कों की सुविधा के लिये यह विधेयक आता हो, यदि नायब तहसीलदारों की सुविधा के लिये यह विधेयक आता हो, तब तो ठीक है। यदि सरकार की आमदनी बढ़ाने के लिये यह विधेयक आता हो तो मुझे कुछ नहीं कहना है। पर अगर यह कहा जाता है कि यह करदाताओं की सुविधा के लिये, जनता की सुविधा के लिये आ रहा है तो यह घोर अन्याय है। श्रीमन्, जहां पर आमदनी का प्रश्न उठता है, करदाता जो पहले देता था उससे कहीं अधिक उसे देना होगा। श्रीमन्, हम पर यह बोझ लादा जा रहा है। यह भी नहीं है कि हम जिस तरह से चाहें अपने कर का निर्धारण करा सकते हैं, यानी ६ (२) (ए) के अनुसार या ६ (२) (बी)

के अनुसार बल्कि श्रीमन्, मैं आपके द्वारा माननीय सभा सचिव का ध्यान इस ओर भी आकर्षित करा देना चाहता हूं कि पुराने समय में जमींदारी विनाश अधिनियम के पूर्व भूतपूर्व जमींदारों को अपने बागों के लिये लगान में एक पैसा भी नहीं देना पड़ता था । पर अब उनको उनका लगान भी देना होगा और साथ ही साथ इसका भी बोझा उनको सहना है। किसानों को उन बागों पर अभी कोई लगान नहीं है । पर भूतपूर्व जमींदारों के लिये लगान भी देना होगा और साथ साथ ऐग्रीकल्चरल इनकम टैक्स भी देना पड़ेगा। तो क्या मैं आप के द्वारा माननीय मन्त्री जी से यह अनुरोध कर सकता हूं ? क्या हमारे अनुरोध को वह मानने के लिये तैयार नहीं हैं और माननीय राजनारायण जी की धमकियों से ही उनका ध्यान आकर्षित हो सकता है ? श्रीमन्, मैं इतना निवेदन करना चाहता हूं कि उन भूतपूर्व जमींदारों पर यदि और बोझ डाला गया तो उनका जीवन व्यतीत होना दूभर हो जायगा। इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का विरोध करता हूं और आशा करता हूं कि सरकार इस पर ध्यान देगी और जिस प्रकार भी हो उनकी मुसीबतों को हटाने में अग्रसर होगी।

श्री मदनमोहन उपाध्याय (जिला अल्मोड़ा)---माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं, जो बिल आज इस हाउस के सामने रखा गया है उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि माननीय मंत्री जी ने जो हमारे एग्रीकल्चरल इनकमटैक्स देने वालो की तकलीफे हैं उन्हें दूर करने का प्रयत्न इसमें किया है। एक साल की बात है, अखबारों में भी कुछ ऐसी खबर छपी थी, कुछ हमारे साथी मलिहाबाद वगैरह के, जिनके पास आमों के पेड़ हैं, उन्होंने हमसे शिकायत की कि सरकार ने एक एक आम के पेड़ पर १६, १६ रु० ऐग्रीकल्चरल इन्कमटैक्स लगा दिया है जिसकी वजह से एक ऐसी हवा जिले के अन्दर फैल गयी हैं जिससे लोग समझने लगे हैं कि बजाय इसके कि टैक्स दिया जाय वह आम के पेड़ ही काट दें। अमरूद के बहुत से पेड़ों से २ रुपये की भी आमदनी नहीं होती लेकिन हमारे असेसिंग आफिसर्स ने पांच, पांच, छः, छः रुपया टैक्स लगा दिया। उसका नतीजा यह हुआ कि बहुत से लोगों ने बजाय टैक्स देने के अमरूदों के पेड़ों को काट दिया। तो इस प्रकार की एक ऐसी हवा फैलने लगी। लोग कहने लगे कि एक तरफ सरकार चाहती है कि फलों की पैदावार ज्यादा हो और दूसरी तरफ इस तरह से हमारे फलों पर टैक्स लगाया जा रहा है। लेकिन जो सफाई माननीय मंत्री जी ने दी और देंगे इसकी बिना पर भी हम चाहते थे कि फलों का प्रचार हमारे प्रदेश के अन्दर ज्यादा हो। उसको प्रोत्साहन देने के लिये सरकार को कुछ काम करना चाहिये। और मुझे खुशी है कि इसमें कुछ ऐसा प्राविजन रखा गया है।

अध्यक्ष महोदय, जैसा माननीय वीरेन्द्र शाह जी ने अपने नोट आफ डिसेंट में लिखा है इसमें तो साफ लिख दिया गया है कि जिसके पास तीस एकड़ से कम जमीन है उसपर टैक्स लगेगा ही नहीं । उसके पास कोई नोटिस जायगी ही नहीं। लेकिन आज भी देखा गया है कि जो असेसिंग आफिसर्स होते हैं वह गांव में जाते हैं, और जो सीधेसाधे लोग समझते नहीं उनको तंग करते हैं कि तुमने तीस चालीस पेड़ लगा रखे हैं टैक्स दो, हालां कि उनके पास तीस एकड़ जमीन नहीं है । उनको नोटिस भी देते हैं । और नोटिस देने के बाद जरूरी है कि उसका जवाब दिया जाय। अगर नोटिस का जवाब न दें तो असेसिंग आफिसर को अधिकार है कि साढ़े बारह गुना लगान फीसदी जो वह उस जमीन का देता है उसको असेस कर सकते हैं। इस तरह से हरेसमेन्ट करने के लिये उनको बड़ा अच्छा मसाला मिल जाता है। इसलिये माननीय मंत्री जी और उनके विभाग का ध्यान मैं इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि अगर आप को कोई भी मिसाल ऐसी मिल जाय कि किसी ऐसे आदमी जिसके पास तीस एकड़ जमीन नहीं थी उसके पास ऐग्रीकल्चरल इनकम टैक्स की नोटिस भेजी गयी तो सरकार उस अफसर को सख्त सजा दे। माननीय मंत्री जी को इस प्रकार का आश्वासन हम को देना होगा। तब हमें मौका मिल सकेगा कि हम कह सकेंगे कि यह एग्रीकल्चरल इनकम टैक्स जो मांगा जा रहा है वह तीस एकड़ से ज्यादा वालों पर ही लगाया जा रहा है। मैंने कमेटी में माननीय मंत्री जी को बताया था कि ऐसा ऐसा हो गया है। अमरूद के पेड़ कहां काटे गए, कहां कहां इन्कमटैक्स मांगा

[श्री मदन मोहन उपाध्याय]

गया मैंने ये मिसालें दीं। मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि कोई भी मिसाल उनको ऐसी मिल जाय जिसमें ३० एकड़ न होने पर ऐग्रिकल्चरल इनकम टैक्स का नोटिस आये तो सरकार उस पर सख्त कार्यवाही करेगी।

हमारी यह भी इच्छा है कि यह जो मिल्टीपिल है साढ़े १२, इसके स्थान पर १० रक्खा जाय। माननीय मंत्री जी यह जवाब देंगे कि यह तो मैक्जिमम है, इससे ज्यादा नहीं हो सकता। अलग-अलग एरियाज पर अलग-अलग तरह से लागू होगा। कहीं पर साढ़े ६ परसेंट हो सकता है, कहीं पर साढ़े ८ परसेंट और कहीं पर साढ़े बारह परसेंट। जैसे मलिहाबाद के आम हैं वहां पर शायद साढ़े बारह परसेंट लगाने का विचार हो। लेकिन जो यह मैक्जिमम साढ़े बारह परसेंट है इसको अगर १० परसेंट कर दिया जाय तो बहुत काफी था, क्योंकि दस से भी काम चल जाता है। नोट आफ डिसेंट इसलिये नहीं भेजा कि माननीय मंत्री जी यह कहेंगे कि जब चाहा नोट आफ डिसेंट लगा दिया। लेकिन राजा वीरेन्द्र शाह जी के संशोधन हैं कि टेन टाइम्स मल्टीपिल कर दिया जाय तो उनको भी तसल्ली हो जायगी और वह वाजिब भी मालूम होगा।

अध्यक्ष महोदय, माननीय वीरेन्द्र शाह जी ने जो कुछ कहा वह तो ठीक ही है लेकिन मैं इतना अवश्य कहना चाहता हूं कि तीस एकड़ से ज्यादा जिन जमींदारों पर जमीन होगी उनसे यह टैक्स वसूल होगा और क्योंकि ऐसे जमींदारों की तादाद कम होगी इसलिये जो कुछ भी सरकार रुपया वसूल करती है, वह चाहे बड़ा हो या छोटा हो, उस रुपये का दुरुपयोग न होना चाहिये। सरकार का ध्यान केवल इस ओर ही न जाना चाहिये कि जो बड़े-बड़े जमींदार हैं या बड़े-बड़े बाग लगाने वाले हैं उन्हीं पर टैक्स का बोझ डाला जाय बल्कि टैक्स वसूली के दूसरे रास्ते भी होने चाहिये, कैपिटलिस्ट्स से टैक्सेज वसूल किये जायं। लेकिन चूंकि यह रुपया काश्तकारों से लिया जाता है तो हम यह भी चाहते हैं कि सरकार जब इस रुपये को खर्च करे तो इस ओर ध्यान दे कि किस काम के लिये यह रुपया खर्च किया जा रहा है।

अध्यक्ष महोदय, जहां तक नोटिस का सवाल है कहा गया है कि किसान के पास टेम्पोरेरी एस्टिमेट्स का एक नोटिस भेजा जाया करेगा। उसमें लिखा होगा कि तुम्हारी इतनी आमदनी है और यह भी कहा गया कि पिछले साल जो उसकी आमदनी थी उसी के करीब-करीब हिसाब लगा कर एक टेम्पोरेरी एस्टिमेट भेजा जायगा और उससे कहा जायगा कि यह तुम्हारी अनुमानित इनकम है और इतना एग्रिकल्चरल इनकम टैक्स है, अगर उसे एतराज हो और वह उसे साबित कर देता है कि उसकी इनकम इतनी नहीं है तो वह कम हो जायगा। मान लीजिये कि पहले साल आमों की फसल अच्छी हुई और आमदनी ज्यादा हुई लेकिन इस साल आमों की फसल उतनी अच्छी नहीं हुई तो वह एतराज कर सकता है कि इस साल मेरी आमदनी कम हुई, लिहाजा जो टेम्पोरेरी एस्टिमेट्स भेजे हैं वे गलत हैं और अगर वह साबित कर देता है तो टैक्स माफ हो जाता है और अगर साबित न कर सका तो सरकार को अधिकार होगा कि वह जो लगान देता है उस पर उसका साढ़े बारह गुने तक असेस किया जा सकता है।

एक बात और मैं देखता हूं कि इसमें इनकम टैक्स वालों की नक़ल की गई है। ४,२०० रुपये उसमें मिनिमम हैं। यहां पर भी ४२०० रुपये रख दिये गये हैं। ४,२०० रुपये वाले इनकम टैक्स के फार्म को भरने में बड़ी परेशानी होती है। जिनकी उतनी इनकम नहीं होती उनको भी वह फार्म भेज दिया जाता है और उसके भरने में इतनी मुसीबत आती है कि समझ में नहीं आता कि उसको कैसे भरें। इसलिये इसमें जो यह लिखा हुआ है कि कोई फार्म बनेंगे और उसी फार्म के मुताबिक किसानों की आमदनी को असेस किया जायगा और उनको सहूलियत होगी। मैं इसके लिये इतना निवेदन करना चाहता हूं कि जो असेसिंग फार्म हों वह इतने सीधे-सादे हों कि जिनको हर साधारण किसान भी समझता हो और उनको भरने में कोई दिक्क़त न हो। अगर किसी को दिक्क़त हुई तो सिवाय इसके कि असेसिंग आफिसर से मिल कर

वह अपना पिंड छुड़ाने की कोशिश करें और कोई इसका नतीजा नहीं हो सकता है। इससे यह होगा कि उसका फायदा होगा और सरकार का नहीं होगा और न उस किसान का ही फायदा होगा और अगर फार्म सादा रहेगा तो फिर टैक्स की बचत भी नहीं कोई करेगा। आज यह होता है कि जो बहुत होशियार होते हैं वह इन्कमटैक्स से भी बच जाते हैं और जो सीधे-सादे आदमी होते हैं और फार्म भरना भी नहीं जानते हैं वह बेचारे फंस जाते हैं और उनको बड़ा भारी इन्कम टैक्स देना पड़ता है। होशियार आदमी तो बच जायगा लेकिन जो साधारण किसान होगा वह मजबूर हो कर असेसिंग आफिसर की शरण लेगा।

इन शब्दों के साथ मैं इस बिल का समर्थन करता हूं। मुझे इस बात की खुशी है कि राजस्व मंत्री जी सहूलियत देने की ग़रज से यह बिल हाउस के सामने लाये। जैसा कि वीरेन्द्र शाह जी ने लिखा है हो सकता है कि उनको विरोध हो और होना भी चाहिये और उनकी बात कुछ समझ में भी आती है लेकिन अवधेश प्रताप सिंह जी जो बात करते हैं वह समझ में नहीं आती। वह राजनारायण जी की धमकी से डरते हैं। वह उनको कोई धमकी नहीं देते हैं, मैं इस बात को मान सकता हूं कि राजा वीरेन्द्र शाह के जो मन के भाव हैं उनमें कुछ तत्व है और तथ्य है और उस पर विचार होना चाहिये। मैं राजस्व मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि वह राजा साहब की १० मल्टीपिल की बात मान लें और साढ़े बारह को बदल दें और इसको निकाल दें। मैं यह आशा करता हूं कि वह इस बात को मान लेंगे। बहुत सी बातें जो राजा साहब ने प्रकट की हैं उसमें उन्होंने अपने विचार प्रकट किये हैं। अन्त में मैं फिर निवेदन कर के इस बिल का समर्थन करता हूं।

श्री शम्भूनाथ चतुर्वेदी (जिला आगरा)--माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने इस बिल को देखा, मुझे सन्देह है कि कृषि पर जो इस समय करों की वृद्धि की जा रही है वह उसको वहन कर सकेगी या नहीं। इससे अधिक मुझे आपत्ति यह है कि यह डिस्क्रिमिनेटरी लेजिस्लेशन है। इससे जो कृषि में लगे हुये हैं उनके ऊपर एक प्रकार का आक्षेप भी होता है।

पहली बात यह है कि ७।। का मल्टीपिल अभी हाल ही में १२।। कर दिया गया है। इस प्रकार ६० फीसदी की वृद्धि इसमें हो चुकी है। यह भी हम जानते हैं कि कोई किसान चाहे वह ४० एकड़ का हो या ५० एकड़ का हो हिसाब किताब नहीं रखता। अगर रखेगा तो उसके लिये उसको कोई क्लर्क रखना पड़ेगा और यही एक कर उस पर हो जायगा। ६० फीसदी तो मल्टीपिल द्वारा वृद्धि हो गयी। अब एक्जिस्टिंग रेट्स थे उनमें ६ पाई से ले कर ४८ पाई तक वृद्धि अलग-अलग इनकम में की गई है। इस तरह से यह जो नया भार उनके ऊपर पड़ जाता है जो क़रीब-करीब ८० प्रतिशत के होता है। इस समय जब कि एग्रीकल्चरल प्राइसेज़ गिर रही है, इतना भार किसानों के ऊपर लादना कहां तक उपयुक्त होगा?

दूसरी बात जो इस संबंध में मुझे कहनी है वह यह कि कर की वृद्धि न केवल पिछले रेट्स से ज्यादा ही है बल्कि जो दूसरे इनकमटैक्स के रेट्स हैं उनसे भी ज्यादा है। ३ पाई से लेकर २४ पाई तक हैं, अधिक पड़ती है। जो इनकम टैक्स लगाया जाता है उसमें से २० प्रतिशत अर्न्ड इनकम को बाद बाज़ कर दिया जाता है लेकिन यहां एक पैसा भी बाज़ नहीं दिया जाता। मैंने जो इसका हिसाब लगाया है वह कुछ इस प्रकार है :--

	इनकमटैक्स		ऐग्रीकल्चरल इनकम टैक्स	
	रु०	आ०	रु०	आ०
५ हजार के ऊपर इनकम पर	११७	३	२१८	१२
१० हजार से ऊपर	४९२	३	८४३	१२
			जो करीब-करीब दूना होता है	
५० हजार से ऊपर	१३,२१०	१५	१८,३४३	१२

[श्री शम्भूनाथ चतुर्वेदी]

हमारे यहां जो लोग अन्य व्यवसायों में लगे हुये हैं यानी बिजनेस करते हैं, वकालत करते हैं या डाक्टरी करते हैं, जिनकी इनकम असेस करना मुश्किल होता है, या मिडिल मैन है, या जो कलम चलाकर अपनी रोजी पैदा करता है या स्पैकुलेटर कमीशन एजेन्ट है, उनकी इनकम पर तो कम टैक्स लगता है और ऐग्रीकल्चर में अपना खून पसीना बहा कर जो रोजी पैदा करते हैं, उनके ऊपर ज्यादा है। इसीलिये मैं कहता हूं कि यह डिसिक्रिमिनेटरी टैक्स है। इस समय तक हम अन्न संकट से पूरी तरह बाहर नहीं हुये हैं, फिर जब कि प्राईसेज गिर रही हैं, इस प्रकार करों में वृद्धि किया जाना मेरे खयाल से उचित नहीं है। मैं समझता हूं कि सरकार का ऐसा मंशा नहीं होगा। क्योंकि ऐग्रीकल्चर की प्राईसेज के बारे में वह इतनी सतर्क थी कि अगर वे और गिरती तो सरकार उनको स्टेबिलाईज करने की कोशिश करती फिर ऐसे समय में कृषि पर इस कर के बोझ का लादा जाना अन्न के उत्पादन की वृद्धि के लिये कहां तक हितकर होगा। मैं समझता हूं कि किसी ग़लती की वजह से ऐसा हुआ है और सरकार की ऐसी मंशा नहीं हो सकती। इसलिये मैं आशा करता हूं कि सरकार इस पर पुनः विचार करेगी।

*श्री रमेशचन्द्र शर्मा (जिला जौनपुर)—आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय राजस्व मंत्री को इस विधेयक के लाने के लिये धन्यवाद देता हूं। यह एक बहुत ही स्पष्ट विधेयक है लेकिन जो लोगों को भ्रम हुआ है मेरा विचार है कि वह उसकी भाषा को अच्छी प्रकार से न समझने के कारण ही हुआ है। यदि उसकी भाषा को समझ लिया जाय तो मेरा विचार है कि इस छोटे से विधेयक में कोई भी आपत्ति या अशुभ कामना प्रकट नहीं की जा सकती। पहले प्रारंभ में ३ हजार के ऊपर आयकर लगाया गया था लेकिन अब उसके स्थान में ४२ सौ रुपया कर दिया गया है। यह किसानों के लिये मांगलिक वस्तु है। ३ हजार तक किसानों को कोई कर नहीं देना होगा। १,५०० रुपए तक किसी को कोई हिसाब नहीं रखना होगा। इसके अलावा एक मांगलिक बात यह है कि जब किसानों के पास तालिका आयेगी तो उसमें सर्किल रेट आदि भी दिया हुआ होगा जिससे अगर कोई आपत्ति करना चाहे तो उसके आंकड़ों से लाभ उठा सके।

अब तक प्रथा यह थी कि प्रत्येक व्यक्ति को उसके लिये न्यायालय दौड़ना पड़ता था और बहुत ही व्ययशील साधनों से सर्किल रेट को प्राप्त करना होता था। इधर-उधर जाने में उसका व्यय होता था लेकिन अब वह सब उस तालिका में मिल जायगा। पहले ७ गुना था लेकिन अब साढ़े बारह गुना कर दिया गया है। दूसरी बात यह है कि इस भारत के नवनिर्माण में सभी को कुछ न कुछ बलिदान करना ही है। यह एक सैद्धांतिक प्रश्न है। इस देश में किसानों का हाथ ऊपर है, वह किसानों का देश कहलाता है अतः उसके लिये किसानों को कुछ बलिदान अवश्य करना होगा, अगर सबको सब कुछ मिलता ही जाय और किसी को कुछ देना ही न पड़े तो यह बड़ी ही आनन्दायक बात होगी। परन्तु ऐसा विचारना एक भ्रम की बात होगी कि हमें देश के नवनिर्माण में कोई कर्तव्य ही नहीं करना है। यह जो त्याग की भावना है वह एक मांगलिक भावना है और सराहने योग्य है। अतः अध्यक्ष महोदय, मैं इस बिल का जो कि सदन में उपस्थित किया गया है, समर्थन करता हूं।

श्री शिवनारायण (जिला बस्ती)—अध्यक्ष महोदय, मैं इस बिल का स्वागत करता हूं क्योंकि पहले जो टैक्स लगाया गया था उसमें ३ हजार के ऊपर लगाया गया था लेकिन अब उसके स्थान पर ४२ सौ कर दिया गया है। जिसको ४,२०० रुपए की आमदनी होगी वह कोई मामूली आदमी नहीं होगा, वह दूसरों की गाढ़ी कमाई से मौज उड़ाने वाला होगा। ऐसे आदमी जो गरीबों की कमाई पर शहरों में कोठियों में बैठे मौज करते हैं उनके ऊपर यह कर लगाया जायगा। हम इस देश को आज ऊंचा ले जाना चाहते हैं,

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

इस देश में समाजवाद लाना चाहते हैं। हमारे समाजवादी भाई सरकार से कहते हैं कि ३० एकड़ से ज्यादा किसी के पास भूमि न हो लेकिन सरकार कहती है कि ३० एकड़ से नीचे लोगों के ऊपर कोई टैक्स न होगा, १,५०० रुपए की आमदनी वालों पर एक पैसा भी टैक्स नहीं लगाया जायगा। ३५ सौ रुपए तक एक आना रुपया लगाया जायगा, यह कोई बड़ी रकम नहीं है। इसके अलावा हर तरीके से सुभीता पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। मैं सन् ३७ से आज तक का शजरा बता सकता हूं। मैं जानता हूं कि यह बिल सरकार नेकनीयती के साथ लायी है। जमींदारों के साथ उसकी कोई बदनीयती नहीं है बल्कि सरकार ने उन लोगों का पालन-पोषण किया है। मैं भी झोपड़ी का ही रहने वाला हूं, मैं भी गांव का ही रहने वाला हूं और मैं इस बात को अच्छी तरह से जानता हूं कि आज भी जमींदार दूसरों की कमाई पर मौज उड़ाते हैं और अपने बंगले में नौ-नौ बजे तक सोते रहते हैं। अगर कोई उनसे मिलने के लिये जाय तो वह मिल भी नहीं सकते। यह मैं खुद अपनी आंखों से देख कर आया हूं। यहां आने के पहले मैं अपने क्षेत्र का दौरा करके आया हूं और मैंने आज भी देखा है कि जो बड़े बड़े लोग हैं वे दूसरों के ऊपर डंडे बरसा कर अपना काम कराते हैं जिनको देख कर आंखों में आंसू आ जाता है। इसलिये मैं तो गवर्नमेंट के इस काम की सराहना करता हूं कि उसने बहुत सोच समझ कर इस विधेयक को प्रस्तुत किया है। मैं तो कहता हूं कि सरकार को चाहिये कि वह इस तरह का कानून बना दे कि किसी के पास ३० एकड़ से अधिक जमीन न हो, और उनसे जमीन लेकर गरीबों को दे दिया जाय। तभी हमारे राष्ट्र का और प्रांत का कल्याण हो सकता है। जमींदारी एबालिशन हुआ लेकिन आज भी गांव पंचायतों की जो जमीन खाली है वह वहां के प्रधान और सरपंचों के रिश्तेदार और काका-काकी के ही नाम लिखवा दिया जाता है।

राजा वीरेन्द्र शाह—क्या आप बिल के ऊपर बोल रहे हैं?

श्री शिवनारायण—जी हां, मैं बिल के ऊपर ही बोल रहा हूं, गलत नहीं बोल रहा हूं। अध्यक्ष महोदय, फिर कुछ पेड़ों के सम्बन्ध में कहा गया कि सरकार उसकी आमदनी के ऊपर भी टैक्स लगा रही है। तो उसके लिये तो बाकायदा सर्किल रेट के हिसाब से कागजात तैयार होंगे, उसका हिसाब किताब बनेगा, इसलिये उसमें कोई अन्तर नहीं होगा। सरकार चाहती है कि हरी, बेगारी व जो मुफ्त की कमाई है वह बन्द हो। सब कोई मिल जुल कर अपने खेतों के अन्दर काम करें और मैं समझता हूं कि तभी समाजवादियों का भी प्रोग्राम पूरा होगा और गरीबों को भी रोटी मिलेगी। मैं इस बात को मानता हूं कि हमारे विरोधी दल के भी साथी हमारे साथ ही जेल खाने गये थे और उन्होंने तथा हमने मिल कर एक साथ ही नारा लगाया था कि 'अंग्रेजों भारत छोड़ो' हम उनके कोई दुश्मन नहीं है और न हम किसी को टीज करना चाहते हैं। हम ईमानदारी से अपना काम करना चाहते हैं। हम सब अपने देशवासियों को साथ लेकर चलना चाहते हैं और इसी में हम अपने देश का कल्याण समझते हैं। मैं अपने जमींदार भाइयों से कहना चाहता हूं कि वे गवर्नमेंट की नीयत पर शक न करें।

श्री अध्यक्ष—आज जमींदार कोई नहीं है।

श्री शिवनारायण—मेरा मतलब एक्स जमींदारों से है। मैं तो उनसे कहता हूं कि ३० एकड़ से अधिक जो जमीन उनके पास हो वे उनको लेकर गरीबों में बांट दें। बहुत से लोग ऐसे हैं, जिनके पास चार-चार सौ, पांच-पांच सौ एकड़ सीर है। हमारे यहां कांग्रेस कमेटी के एक बाबू महादेव सिंह जी हैं जिन्होंने वहां के ठाकुरों से कहा कि जिन्होंने नजराने के रुपए दिये उनको तो ५०—५० बीघे तक खेत दे दिये गये और वे गरीब जिनके पास पैसे नहीं थे उनको ४ बीघे तक भी खेत नहीं दिये गये। इस तरह से उन्होंने बहुत कुछ कह सुन कर उन लोगों को चार-चार बीघे खेत दिलवाया। दफा ५९ के मातहत बहुत से लोगों ने पटवारियों को पैसे दे कर कागज में अपना नाम लिखवा लिया। इस तरह से मैं समझता हूं कि गवर्नमेंट ने जो काम किया है वह बहुत ठीक किया है और वह बहुत सोच समझ कर इस बिल को लायी है। अतः मैं इसका समर्थन करता हूं।

(इस समय १ बज कर १५ मिनट पर सदन स्थगित हुआ और २ बजकर २२ मिनट पर उपाध्यक्ष श्री हरगोविंद पंत की अध्यक्षता में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

श्री राम सुभग वर्मा (जिला देवरिया)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अभी-अभी पूर्व वक्ताओं और माननीय मंत्री जी के भाषणों के सुनने के बाद और इस पुस्तिका को पढ़ने के बाद मुझे खुशी हुई कि सरकार ने विवेकपूर्वक काम करने का प्रयत्न किया है लेकिन इस संशोधित विधेयक में जो तीन हजार के बजाय बयालीस सौ बढ़ा दिया गया है यह आपके हक में अच्छा है। लेकिन कर के हिसाब लगाने में बहुत सी गड़बड़ियां हो जाया करती हैं। यह गड़बड़ी इस प्रकार की होती है कि कर्मचारियों के द्वारा कर का नोटिस किसानों के पास चला जाता है और उस नोटिस के मुताबिक जब तक वह अपना हिसाब-किताब नहीं दे पाते हैं तब तक उन के ऊपर यह कर लगाया जा सकता है। इस हिसाब-किताब देने के सिलसिले में बहुत से छोटे-छोटे किसान बड़ी परेशानी उठाते हैं और बड़े काश्तकार जो कि हिसाब किताब के पंडित हैं और इस तरह के हिसाब-किताब देने में माहिर हैं और अपना हिसाब जोख-नाप कर देते हैं वह अपनी जान इस परेशानी से और कर से बचा लेते हैं। छोटे काश्तकार जो अपना हिसाब समुचित रूप से बना कर नहीं ले जा पाते हैं इस कर के झमेले में फंस जाते हैं। और सफाई न देने के कारण उनको डांड़ देना पड़ता है। इसलिये हिसाब सीधा-सादा मांगा जाय।

दूसरी चीज इसमें यह है कि ३० एकड़ से ज्यादा जमीन रखने वालों के ऊपर यह कर लागू होगा, लेकिन मैं माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा माननीय मंत्री जी को बतला देना चाहता हूं कि इस तीस एकड़ के हिसाब-किताब में बहुत से ऐसे बड़े काश्तकार जिनके पास ३० एकड़ से ज्यादा जमीन है, न मालूम कर्मचारियों की दोस्ती के कारण या न मालूम और किसी कारण, इस लिस्ट में उनका नाम नहीं आता है। मैं अपने यहां की एक मिसाल देता हूं। मेरे यहां बभनौली में एक बड़ा फार्म है। यह प्राइवेट फार्म है लेकिन इतना बड़ा फार्म होते हुए भी उस पर किसी प्रकार का टैक्स नहीं लगा है। ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके पास अधिक जमीन है और उन लोगों ने यह सोच कर कि ३० एकड़ से ज्यादा जमीन पर टैक्स लगेगा अपनी जमीन अपने खानदान के सब आदमियों के नाम से कर दी है। जैसे अपने लड़के के नाम कर दी, औरत के नाम कर दी, भाई, भतीजे, चाचा, नाना, आदि और कई आदमियों के नाम से उस जमीन को २५-२५ एकड़ के हिस्सों में बांट दिया जिससे उनके ऊपर कृषि-आयकर न लग सके। जिससे इस टैक्स में बचत हो सकती है, ऐसी बातें मुझे कई जगह पर अपने यहां देखने में आयीं, और मैं एक चीज आपको बतलाऊं। फलों के पेड़ों के ऊपर हिसाब लगा कर, कर जो रखा गया था, जहां जैसी पैदावार होगी वैसा ही कर लग जायगा तो इस बात को मान करके एक हमारे माननीय सदस्य ने बताया कि इस वजह से बहुत से पेड़ कटने शुरू हो गये। हमारे यहां तमकुही राज्य में कई सौ फलदार पेड़ थे, कटवा लिये। तो एक तरफ तो सरकार पेड़ लगाने का प्रोत्साहन देती है और दूसरी तरफ ऐसी व्यवस्था करती है कि जिसकी वजह से हजारों पेड़ कटते हैं और काटे जा रहे हैं। तो मैं आपसे अर्ज करूंगा कि बहुत से पेड़ ऐसे हैं जिन पर कई सालों तक फल नहीं लगते तो उसका हिसाब-किताब कर लगाने के समय कैसे किया जायगा ?

ऐसे ही जमीन के बारे में है जो पिछली बार उसने कर दिया है उसी के हिसाब से दफ्तर से बन कर हिसाब जायगा कि आपको इतना कृषि-आयकर देना होगा। अब मान लीजिये कि किसी साल सूखा पड़ गया, या जानवरों की वजह से फसल खराब हो गयी या अनावृष्टि हो गयी तो और नुकसान होने के बाद अब उनको उसी रेट से जो कि पिछली दफा कर लगा था, कर देना पड़ेगा, इस तरह तो बड़ा अनर्थ हो जायगा। अगर इसकी रिपोर्ट पटवारी ने यह नहीं दी कि फसल खराब हो गयी है तो वही कर देना होगा। अब जैसा कि कहा गया कि

३० एकड़ से ज्यादा जमीन वालों के ऊपर कर लगेगा तो इसके सम्बन्ध में अध्यक्ष महोदय, आपको बताऊं कि कुछ जमीनें ऐसी हैं कि जिनमें पैदावार इतनी नहीं हो सकती जिससे कि उस भार को वह वहन कर सके। जितनी उसमें लागत बुवायी के समय लगी थी उतनी भी नहीं निकलती, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? कैसे कर को दे सकते हैं?

पेड़ों की भी यही हालत रहती है। आम पर बौर नहीं आता है, उस वक्त पेड़ों के कर वसूल होते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, कृषि सम्बन्धी विपदाओं के बारे में है। किसान जब शुरू-शुरू में बावर करता है तो बहुत से कीटाणु ऐसे होते हैं कि उनके बावर किये हुए खेतों में छोटे-छोटे पौधे साफ हो जाते हैं। या और कई वजहों से, जैसा मैंने अभी बताया कि बाढ़ आयी और हजारों खेत बह गये, यह गये। मैंने अभी बतलाया कि बाढ़ आयी और हजारों एकड़ खेती स्वाहा हो गयी और वहां मालूम भी नहीं होता कि यहां कुछ बोया भी गया था। ऐसी अनेक कृषि सम्बन्धी विपदायें आया करती हैं जिनसे वह संभल नहीं पाते हैं और परेशान हो जाते हैं। कर लग जाता है तो और भी परेशानी बढ़ जाती है। मैं माननीय मंत्री जी से विनय करूंगा कि इन सब बातों को देखते हुए अच्छी तरह से जानकारी की जाय। जैसे फलवाले पेड़ हैं तो देखा जाय कि कैसी फसल हुयी और केवल पटवारियों तथा अधिकारियों की रिपोर्ट पर ही निर्भर नहीं रहना चाहिये कि उन्होंने लिख दिया कि फसल नहीं मारी गयी है और उसी को मान लिया गया बल्कि अच्छी तरह से जानकारी करायी जानी चाहिये। ऐसा होता है कि कहीं फसल अच्छी होती है और कहीं मारी जाती है तो जानकारी कराने के बाद इस रेट को लागू किया जाय तो अच्छा होगा। दूसरी बात यह है कि यह जो रेट साढ़े बारह गुना लगान का लगाया गया है उसके लिये मैं मंत्री जी से कहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा १० गुना कर दिया जाय तो बहुत अच्छा होगा, जिसको कि किसान अच्छी तरह आसानी से दे सकता है।

*राजा वीरेन्द्र शाह---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो बिल सरकार की ओर से भवन के सामने पेश है उसकी कुछ बातें तो ऐसी हैं कि जिनके देखने से यह मालूम होता है कि करने वाले लोगों को कुछ फायदा होगा और कुछ सुविधा होगी। श्रीमन्, जो बातें इसमें छिपाकर और जो एक नीति निर्धारित की है उसके बारे में मैं पहले कहना चाहता हूं कि यह जो कृषि-आय कर लगाया गया तो उस समय लगाया गया जब जमींदारियाँ थीं और उनको समाप्त करने के लिये सरकार की यह नीति थी कि इनकी आमदनी को कम किया जाय और उसके लिए टैक्स लगाया जाय। इसलिये यह टैक्स लगाया गया। जब जमींदारियां खत्म हो गयीं और दुबारा एग्रीकल्चरल इन्कम टैक्स के लिये यह कहा गया और उसकी ओर मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। जिस समय हमारे देश में अन्न की कमी थी और देश के सभी नेताओं ने कृषि वर्ग से अपील की कि हमें अधिक से अधिक अन्न पैदा करना चाहिये, इसमें हर पार्टी के लोगों ने प्रोत्साहन दिया और उसके बाद इस प्रांत के किसानों ने फार्म खोले और अपने रुपये लगाये और हमारे प्रांत में अन्न का उत्पादन बढ़ाने में उनको सफलता प्राप्त हुयी। मैं आपका ध्यान इस बात की तरफ दिलाना चाहता हूं कि जहां तक उनका यह कहना है बड़े-बड़े फार्मों से और जो हम सरकार की नीति को देख रहे हैं उससे यह साबित होता है कि सरकार की नीति है कि कोई फार्म या मिकैनाइज्ड फार्म्स इस प्रांत में न रखने पायें और उसी नीति से सरकार इस टैक्स को लगाने जा रही है।

मैं श्रीमन्, आपके द्वारा सरकार से यह कहना चाहता हूं कि जबकि हमारा देश और हमारा प्रांत कृषि प्रधान है और कृषि यहां के निवासियों का मुख्य पेशा है वहां पर सरकार की यह नीति रही जब कि हम लोगों ने सरकार के कहने से या सरकार के हुक्म या राय से इंवेस्टमेंट किया, बड़े-बड़े फार्म खोले और डेवलपमेंट की ओर सरकार का कदम बढ़ रहा है और देश को तरक्की की ओर ले जाना चाहते हैं और अच्छा यह है कि जितने भी ऐडवाइजर्स और जो बड़े बड़े लोग डेवलपमेंट में आयें उनको सब तरीके सिखाये जायं और उनकी ऐडवाइस पर चलते

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[राजा वीरेन्द्रशाह]

हुए काम किया जाय । मेरी समझ में नहीं आता कि इस कृषि विभाग में तरक्की करने के लिये हमारे मंत्री जी या सरकार का यह ध्यान क्यों नहीं होता कि ३० एकड़ या ५० एकड़ के अन्दर मिकेनाइज्ड फार्मिंग करायी जाय । आज दुनिया के दूसरे मुल्क हैं, रूस है, अमरीका है जहां हमारे मंत्रिगण गये हैं, रूस में जगनप्रसाद जी रावत गये हुए हैं, वहां की चीजों से मुकाबला करने के लिये या उन चीजों का छोटा रूप देने के लिये क्यों नहीं यहां ३० एकड़ या ५० एकड़ भूमि में मिकेनाइज्ड फार्मिंग का तरीका अख्तियार किया जाता यह मेरी समझ में नहीं आता ।

श्री चरण सिंह---एक जरा सी बात दरयाफ्त करना चाहता हूं कि यहां आबादी क्या है और जमीन कितनी है और रूस में आबादी कितनी है और जमीन कितनी है तभी हिसाब लगाया जायगा ।

राजा वीरेन्द्र शाह---यह बात सही है जो मंत्री जी कहते हैं लेकिन दूसरी तरफ भी कोई कदम नहीं उठाया जाता । इंडस्ट्रीज खोलने के लिये पैसा नहीं है तो फिर किया जाय । हमारे प्रधान मंत्री जी, जवाहर लाल नेहरू जी, ने पंजाब में एक फार्म देखा । उन्होंने जो वाक्य कहा वह अखबारों में छपा हुआ है कि इस तरह से फार्म अगर देश में लोग करें, जिस तरह से उन्होंने दो सौ एकड़ का फार्म देखा, तो हमारे देश की बहुत तरक्की होगी और उन्होंने उसकी बहुत तारीफ की । तो उधर तो यह तजवीज की कि लोगों को प्रोत्साहन किया जाय कि दो सौ एकड़ जैसे फार्म खोले जायं और हमारे सेंटर के कृषि मंत्री देशमुख जी हैं, उनका भी कहना यह है कि देश में जापानी ढंग और विलायत के नये-नये तरीकों से काम होना चाहिये । तो एक तरफ तो मिकेनाइज्ड फार्मिंग बतायी जाती है और इधर श्रीमन्, उसकी जड़ काटने के लिये यह बिल यहां रखा गया है । इससे क्या फायदा काश्तकारों को पहुंचेगा कि ३,००० के बजाय ४,२०० पर इसे लगाना पर साथ ही साथ इतना मल्टिपिल और इतना रेश्यु और रेट्स बढ़ा देना इससे छोटे काश्तकारों को जो फायदा हो सकता था वह नहीं हो सकेगा । मैं उसको डिटेल में नहीं बताऊंगा । परिपूर्णानन्द जी बैठे हुए हैं, वह तो सब फिगर्स रखते हैं । वह जब भाषण देंगे तो वह भी बतायेंगे कि ५५,००० पर तो श्रीमन् अब तक १० आने का रेश्यू पड़ता था और अब आप ३५,००० के ऊपर १० आना लगाना चाहते हैं । यह एक मोटी सी चीज मैंने निकाल कर दे दी कि २० हजार कम आमदनी पर भी आप उतना ही ज्यादा ले लेना चाहते हैं । तो यह तो सरकार के ऊपर है कि जो पालिसी जिस तरह की वह चाहे रखें, लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि इससे कोई तरक्की होने वाली नहीं है । हमें श्रीमन्, सब से बड़ा विरोध इस बात का है कि सरकार को कम से कम १०-५ साल तो एक नीति पर चलना चाहिये । सेंटर से एक नीति बन कर आती है और यू०पी० की सरकार और अन्य राज्य सरकारें उसके विपरीत कार्य करती हैं । ऐग्रिकल्चरल की नीति यहां की सेंटर से बिलकुल विपरीत है ।

श्रीमन्, मैं बताना चाहता हूं कि जो चीज देशहित के लिये आप करना चाहते हैं, वह करिये लेकिन यह कहां का न्याय है कि अभी दो साल हुए जमींदारों को आपने हटाया और उसके बाद उन्होंने आपके प्रोत्साहन पर ऊसर और बंजर भूमि को तोड़ा । एक ओर तो सरकार के कार्य की यह हालत है कि २५६ ट्रैक्टरों में से अब ८५ ट्रैक्टर ही चल रहे हैं । तो सरकार के इस प्रयत्न के बाद प्रांत के दूसरे वासियों ने हजारों बीघा ऊसर बंजर जमीन जो कृषि योग्य नहीं थी उसको तोड़ कर उत्पादन योग्य बनाया । क्या कारण है ? मैं मानता हूं कि सरकार बगैर कर बढ़ाये हुये नहीं चल सकती । लेकिन इसका कोई कारण मेरी समझ में नहीं आता कि वह इतनी जल्दी में है कि दो साल के अन्दर उनको सांस लेने की फुर्सत भी नहीं लेने देना चाहती, अभी वह ट्रैक्टरों के दाम भी चाहे न दे सके हों लेकिन श्रीमन् १० आने रुपया सरकार ने उनके ऊपर रख दिया । इस तरह से तो यह उल्टा डेवलपमेंट हो रहा है । एक तरफ तो उनको प्रोत्साहन दें और दूसरी तरफ टैक्स लगा कर उनको खत्म कर दें । यह तो रहा श्रीमन्, इसके मुताल्लिक । आगे जो अमेंडमेंट आयेंगे उनमें मैं टैक्स के मल्टीपिल के बारे में बताऊंगा । मैंने लिख कर भी दे दिया है और

माननीय मंत्री जी से सेलेक्ट कमेटी में भी कहा था। आप के कांग्रेस के ही मेम्बर माननीय चतुर्वेदी जी साहब ने यहां पर अभी इसी भवन में बतलाया कि यह टैक्स जो आप तजवीज कर रहे हैं, यह इन्कमटैक्स से भी अधिक होगा। यह मैं उन्हीं के बताये हुये शब्दों को कह रहा हूं। ऐग्रीकल्चरिट्स के साथ में जो यह नई रियायत की जा रही है उसका रेट इन-कम टैक्स से भी अधिक पड़ेगा। मल्टीपिल की यह हालत है कि साढ़े सात गुना जब तय किया था उस वक्त यह देख कर तय किया था कि गल्ले का क्या भाव है और क्या भाव रहेगा। अब उसको बढ़ा कर आपने साढ़े बारह गुना मैक्जिमम कर दिया। गल्ले का भाव गिर गया और यह अब साढ़े बारह गुना हो गया। इधर तो आप टैक्स बढ़ाते जा रहे हैं और फिर मल्टीपिल क्यों रखा जा रहा है यह मेरी समझ में नहीं आता। चाहिये यह था कि साढ़े सात गुना जो पहले था वही रखते। लेकिन नहीं साढ़े बारह गुना आपने कर दिया। क्यों? क्योंकि सरकार का फायदा है उसमें।

अब फायदे के लिये श्रीमन् मैं बताऊं कि इससे कुल आमदनी जो होती है वह मेरे ख़याल से डेढ़ करोड से कम ही होगी, ६० लाख या ७० लाख, मैं आंकड़ों में नहीं जाना चाहता, वह माननीय मंत्री जी बतायेंगे मगर इससे ज्यादा इस टैक्स से कोई फायदा सरकार को नहीं होने वाला है। यह कोई इतनी बड़ी रक़म नहीं है कि जिससे कोई बड़ी भारी योजनायें चलायी जा सकती हैं या कोई एक बांध भी बनाया जा सकता है। लेकिन मैं यह बतलाना चाहता हूं कि जितने भी इस भवन में मेम्बर बैठे हुये हैं, हर एक को इस टैक्स से कष्ट है। इसकी वसूली, इसका तरीका, इसका करप्शन, किस तरह से यह वसूल किया जाता है और किस तरह से परेशानी होती है, इन सब को देखते हुये मैं यह समझता हूं कि जो गवर्नमेंट आफ़ इंडिया से एक कमीशन आया हुआ था, वहां पर रिपोर्ट भी मांगी गयी थी, इस प्रान्त से भी रिपोर्ट मांगी गयी थी, जो लोगों ने रिपोर्ट की है कि टैक्स हटा लिया जाय। अब वह वक्त नहीं रहा कि जमींदारों से तीन-तीन करोड़ रुपये और ४-४ करोड़ रुपया जो पहले मिलता था वह अब मिल सके। अब इस टैक्स में कोई ऐसी चीज नहीं रही जिसके लिये सरकार इतना ख़र्च करे। सब खर्चा वगैरह निकाल कर २५, ३० लाख शायद सरकार को मिलता हो तो मिलता हो।

इसलिये मैं तो यही कहूंगा कि माननीय मंत्री जी फिर इसको सोचें। इस टैक्स की कोई जरूरत नहीं है। इसको हटा लिया जाय। इससे प्रान्त को कोई लाभ नहीं होता और जो लोग कृषि के उत्थान में लगे हुये हैं उनको इससे प्रोत्साहन नहीं मिलेगा। उनको प्रोत्साहन मिले, तभी कृषि में तरक्की हो सकती है। आगे जब क्लासेज आयेंगे तो मैं और कहूंगा। इस समय मैं इतना ही कह कर माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि वह इस पर फिर सोचें और टैक्स को हटा लें तो ज्यादा अच्छा होगा।

श्री रतनलाल जैन (जिला बिजनौर)---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं कृषि मंत्री को बधाई दूंगा कि उन्होंने इस विधेयक के द्वारा अब तक कृषि का कर लेने का जो कानून था उसको इतना सरल बना दिया है। मुझे श्री अवधेशप्रताप सिंह के भाषण में यह सुन कर आश्चर्य हुआ कि वह इस कानून को कहते हैं कि इसमें सरलता नहीं है। मैं तो यह देखता हूं कि जहां पर पेचीदोगियां थीं, और झगड़े थे, वहां पर इस कानून में उनको बहुत सरल बना दिया गया है और मंत्री जी ने यह सब अपने भाषण में कह दिया है। एक चीज पर उनका ध्यान नहीं गया है। इसमें यह भी दिया गया है कि किसान को यह भी अधि-कार होगा कि वह एक साल में कर आमदनी पर देता है तो अगले साल में वह परते पर दे सके। पहले बदलने के लिये, एक तरीके से दूसरे तरीके पर जाने के लिये उसे बोर्ड आफ रेवेन्यू की आज्ञा लेनी पड़ती थी जिसको लेना करीब-करीब असम्भव था। इससे करदाताओं को बहुत परे-शानी थी। यह भी इसमें बहुत बड़ी सहूलियत दे दी गयी है कि कर इस वर्ष में आमदनी पर देता है अगले साल में अगर वह ठीक नहीं समझता है तो परते पर देता है। यह भी बड़ी भारी परेशानी थी। अक्सर कर लगाने वाले हिसाब नहीं मानते थे। इसलिये कर देने वाले

[श्री रतन लाल जैन]

को बड़ी परेशानी थी कि मैं क्या करूं। उसके लिये कोई दूसरा तरीका नहीं था इसलिये उसको मजबूर हो कर उधर ही चलना पड़ता था। इससे एक बड़ी भारी सहूलियत उसमें हुई है।

दूसरी चीज जो इसमें रखी गयी है वह यह है कि किसान के पास जो हिसाब जायगा वह परते के हिसाब से जायगा। खंड ६ के उपखंड (२) के (क) के अनुसार उसके पास हिसाब जायगा परते के अनुसार। मान लीजिये उसके पास पचास एकड़ जमीन है और परते से ४२ सौ से कम आता है तो वह भी बच जायगा। इसके मानी यह हो जाते हैं कि जो कर देने वाला है उसकी जो हद है वह ऊपर बढ़ जाती है। किसान को सोचना होगा कि अगर मेरी आमदनी वास्तव में कम है तो मुझे हिसाब रखना चाहिये अगर हिसाब नहीं रखेगा तो बरदाश्त करे। ऐसी शर्त लगा देने से एक फायदा कर देने वालों के लिये यह भी हो जाता है कि ३० एकड़ से ऊपर वाली जमीन भी बहुत हद तक बच जाती है। यह तो रहा इसका फायदा।

अब बाग के सम्बन्ध में जो परेशानी थी वह उपाध्याय जी ने इस सदन के सामने रखी। एक बड़ी भारी परेशानी यह भी थी कि जो बागात शहर में होते थे उन पर काफी खर्चा पड़ता था। उसमें मुलाजिम रहते थे। पहले कर लगाने वाले कहते थे कि हम साढ़े बारह फीसदी देंगे। अब इस कानून से वह बात जाती रही। या तो वह कर देने वाला हिसाब दे या हिसाब नहीं देता है तो परते से लगाया जायगा। इसलिये यह जो एक बहुत बड़ा झगड़ा था और जो पहले कर देने वाले को शिकायत थी दूर हो जाती है।

अब मुझे कुछ और बातें इस सम्बन्ध में अर्ज करनी हैं। एक तो बात यह अर्ज करनी है कि यह भी अच्छा है कि साढ़े बारह फीसदी का गुणांक जो रखा गया है वह अधिक से अधिक रखा गया है। यह अधिकार दिया गया है कि जैसी परिस्थिति हो उसके अनुसार वह कम किया जा सकता है। मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करता हूं कि आजकल अनाज का भाव अब गिरने लगा है। इस वर्ष भी कितना ही गिर गया है। यह ख्याल किया जाता है कि आइन्दा भी गिरेगा। इसको दृष्टि में रख कर मल्टिपिल (गुणांक) मुकर्रर करे। जब साढ़े बारह की बात हो रही थी, उस वक्त तो अनाज का भाव स्थायी सा था। मगर इस समय भाव गिर रहा है और आइन्दा भी ख याल किया जाता है कि भाव गिरेगा। इसलिये सरकार को चाहिये कि जैसा भाव हो उसको दृष्टि में रख कर मल्टिपिल मुकर्रर करे।

एक बात की ओर मैं और ध्यान दिलाना चाहता हूं कि किसी दशा में भी कृषि कर इनकम टैक्स से ज्यादा न हो। अभी जो चतुर्वेदी जी ने इस सम्बन्ध में कहा है मैं उसका समर्थन करता हूं कि किसान को जितनी मेहनत करनी पड़ती है उतनी मेहनत व्यापारी को नहीं करनी होती है। इसलिये जो एक व्यापारी को टैक्स देना पड़ता है उससे किसी भी दशा में एक किसान को अधिक टैक्स न देना चाहिये। इसलिये जो कृषि आय कर एक किसान को देना पड़े वह इनकम टैक्स से किसी तरह से भी ज्यादा न हो।

एक बात जो राजा वीरेन्द्र शाह ने कही कि सरकार बड़े-बड़े फार्म्स नहीं चाहती यह बात तो सरकार माने। लेकिन यह बात साफ है कि जिसकी आमदनी ज्यादा हो उन्हें ज्यादा टैक्स देना चाहिये। इनकम टैक्स में भी ज्यादा आमदनी वाले को ज्यादा टैक्स देना होता है और थोड़ी आमदनी वाले को थोड़ा टैक्स देना होता है। मेरी दृष्टि में इनकम टैक्स के मुकाबले में कृषि आय कर ज्यादा न होनी चाहिये, उससे कम रहे तो अच्छा है। इन सुझावों के साथ मैं इस कृषि आय कर का समर्थन करता हूं और साथ में उनको बधाई देता हूं कि इस ऐक्ट में काफी सहूलियतें कर दी गयी हैं।

इस दृष्टि से कि सरकारी अधिकारी वर्ग जो कागजात तैयार करते हैं उनमें से आमतौर पर नायब तहसीलदार बनाया करते थे वे अक्सर गड़बड़ी करते थे, लेकिन अब वह गड़बड़ी कम

हो सकेगी और कृषि आय कर देने वाले को आसानी हो सकेगी। इसलिए भी उसमें सहूलित हो गई है। इन शब्दों के साथ मैं इसका समर्थन करता हूं।

श्री वीरेन्द्रपति यादव (जिला मैनपुरी)---उपाध्यक्ष महोदय, गत वर्ष भी इस विषय में बोलने का अवसर प्राप्त हुआ था। उस समय मैंने सदन के समक्ष जो अधिनियम अभी तक चला आ रहा है उसमें क्या क्या कमियां और खामियां हैं उनके बारे में मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित किया था। उसके बाद जब इस अधिनियम में संशोधन होने को आया तो यह ठीक है कि कुछ कमियां जो हमारे अधिनियम में थीं उनको दूर करने की कोशिश की गई जैसे कि टैक्सेबिल इनकम का प्रश्न है। उसको ३००० के ४२०० कर दिया गया है। इसके अलावा दूसरी असुविधा किसानों को अपील के मुताल्लिक हुआ करती थी उसको जहां तक हो सकता है सरकार ने दूर करने का प्रयत्न किया है लेकिन मैं देखता हूं कि अभी तक हमारे इस अधिनियम में काफी कमियां हैं और इसके कारण किसानों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। जहां तक मल्टीपिल का संबंध है मैं तो यह समझता हूं कि किसानों के पेइंस कमेटी को देखते हुए बहुत हो गया है। जब ऐग्रीकल्चरल इनकम टैक्स बिल आया था तो उसमें जो मल्टीपिल था वह ७ परसेंट था। आज हम देखते हैं कि हमारे प्रदेश में जो उपज है उसकी क़ीमतें कम होती चली जा रही हैं और जिसका परिणाम यह है कि हमारे प्रदेश से राशनिंग और कंट्रोल की व्यवस्था दूर होती चली जा रही है। इसके अलावा जहां तक बिजनेसमेन का प्रश्न है उसको इनकम टैक्स देना पड़ता है लेकिन हमारे किसानों को केवल यह कृषि आय कर ही नहीं देना पड़ता, उनको और भी टैक्सेज देने होते हैं। वे टैक्सेज क्या हैं? उनको मालगुजारी भी देनी होती है। उनको पंचायत टैक्स देना होता है इसके अलावा उनको इर्रीगेशन टैक्स भी देना पड़ता है और फिर डिस्ट्रिक्ट बोर्ड को सेस देना पड़ता है। इसके अलावा पंचायत टैक्स देना पड़ता है। एक रुपये में एक आना लेकिन निकट भविष्य में पंचायत ऐक्ट के अन्तर्गत हमको बहुत से उप-कर भी देने पड़ेंगे। तो मैं समझता हूं कि जैसे हमारे शहर के रहने वाले हैं उनको केवल एक टैक्स देना पड़ता है लेकिन उसके मुकाबले में हमारे देहात के भाइयों को १० गुना टैक्स देने पड़ते हैं और जो किसान हैं और जो काश्तकारी करते हैं उनमें ९० फीसदी लोग जो केवल कृषि पर ही रहते हैं उनकी आमदनी जो है वह भूमि से ही होती है तो ऐसी व्यवस्था में मैं नहीं समझता कि यह मल्टीपिल जो आज १२।। गुना हमारे प्रदेश में है वह आज के समय को देखते हुए उचित है। माननीय मंत्री महोदय को इस बात पर विचार करना चाहिये और इस मल्टीपिल को कम करना चाहिये।

इसके बाद मैं उन बातों को नहीं दोहराना चाहता जो हमारे कई मित्र कह चुके हैं। केवल इतना कहना है कि इस ऐक्ट में कमियां हैं और उन कमियों को दूर नहीं किया गया है। हम देखते हैं कि बहुत से हमारे मालदार भाई जो शहरों में रहते हैं उनको इंडियन इन्कम-टैक्स के अन्तर्गत जो संयुक्त परिवार के हैं उनके लिये टैक्सेबिल आमदनी जो है वह ८४०० रु० होती है लेकिन यहां पर हमारी इस ऐग्रीकल्चरल इन्कम के अन्तर्गत कोई रियायत नहीं है। इस आधार पर यह माना गया है कि संयुक्त परिवार में काफी खर्चा होता है और उसके काफी सदस्य होते हैं। इसलिये उसका जो एक उसूल माना गया है वह यही है कि वहां पर खर्चा ज्यादा होता है और रुपया कम होता है। इसलिये इन्कमटैक्स में उनके लिये ८४०० रुपया कम से कम निर्धारित किया गया है। मैं समझता हूं कि जब शहर के रहने वाले मालदार लोगों को केन्द्रीय सरकार ने छूट दी है तो देहात के काश्तकार चाहे उनको बड़े कहें या छोटे उनके लिये भी कोई कारण नहीं है कि उनको भी यह सुविधा इन्कमटैक्स के अन्तर्गत जो दी गई है वह उनको क्यों न दी जाय।

दूसरी व्यवस्था जिसको चतुर्वेदी जी ने बताया कि वहां इन्कम टैक्स के अन्तर्गत कुछ Earned income एलाउन्स २० फीसदी तक लोगों को मिलता है और वह अधिक से अधिक ४००० रुपये तक जा सकता है। ऐसा कोई एलाउन्स हमारे काश्तकार

[श्री वीरेन्द्रपति यादव]

भाइयों को नहीं दिया जाता है। मैं समझता हूं कि जो हमारे देहाती लोग हैं वह भी इस बात के इंटाइटिल्ड हैं और उनको भी यह सुविधा दी जाय, क्योंकि उनको एक टैक्स भी नहीं बल्कि ८–१० टैक्स देने पड़ते हैं जैसा मैंने बताया।

इसके बाद जैसा मैंने गतवर्ष इस भवन में कहा था कि एस० डी० ओ० के सामने जब कोई प्रार्थना-पत्र हमारे असेसी को देना पड़ता है तो उनको उसके ऊपर टिकट लगाना पड़ता है। कभी-कभी ऐसा भी होता है कि एक एक मुक़द्दमें के सम्बन्ध में या दौरान में १०, १५ दरख्वास्तें तक देने की जरूरत पड़ जाती है। हम देखते हैं कि उन प्रार्थना-पत्रों में एक रुपये का रेवेन्यू स्टाम्प लगाया जाता है। मैं समझता हूं कि यह एस० डी० ओ० जो टैक्सेशन आफिसर के रूप में काम करते हैं वह आफिसर हैं वह अदालत नहीं हैं। उनके सामने तो टिकट का प्रश्न नहीं होना चाहिये जैसा कि इंडियन इन्कम टैक्स के अन्तर्गत है। हम देखते हैं कि यह दिन प्रति दिन ऊंचा होता जाता है और कमिश्नर के यहां २ रुपये का टिकट लगाना पड़ता है। हम देखते हैं कि केन्द्रीय सरकार के अन्तर्गत जो टिकट लगता है वह केवल एक रुपये का टिकट लगता है। मैं समझता हूं कि अगर इस तरह का एक एवरेज नियम रखा जाय तो हजारों रुपये का खून हमारे काश्तकारों का होता है वह न हो। ये बातें यदि ऐक्ट में नहीं लायी जा सकती हैं तो मैं समझता हूं कि ये सुविधायें किसानों को नियमों में उपलब्ध करायी जा सकती हैं।

मैं तो यह समझता था कि जो संशोधन इस ऐक्ट में होंगे, वे केन्द्रीय सरकार के ऐक्ट के आधार पर होंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। सभी जगह ऐसा होता है कि अगर एक असेसी या फ़रीक़ अदालत के सामने नहीं आ पाता है और एक तरफ फैसला हो जाता है तो वह दरख्वास्त दे सकता है कि ऐसे कारण थे जिसकी वजह से मैं नहीं आ सका और एक तरफ कार्यवाही को मंसूख करके उसकी सुनवाई दोबारा किया जाय। लेकिन अगर इस अधिनियम के अन्तर्गत ऐसी कोई बात होती है तो उसे रिओपिन करने का अधिकार एग्रीकल्चर आफिसर को नहीं है।

सब से बड़ी कमी यह है कि अपील का दौरान ३० दिन का दिया जाता है और वह डेट आफ आर्डर से हुआ करता है। इसमें किसानों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। अक्सर ऐसा होता है कि जो निर्णय है वह असेसी के पास बहुत देर तक आता है और कभी-कभी तो इसी में एक महीने का समय ख़त्म हो जाता है। किसानों को अपील का अवसर भी नहीं मिल पाता है। अपील की मियाद ख़त्म हो जाती है। लेकिन हमारे इंडियन इनकम-टैक्स ऐक्ट में अपील का समय जिस दिन से असेसी उस निर्णय को पाता है उस दिन से लिया जाता है। तो समझता हूं कि ये कमियां हैं, जिसकी वजह से हमारे किसानों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसके कारण किसानों का काफ़ी आर्थिक व्यय भी होता है और मैं समझता हूं कि मंत्री जी इन छोटी-छोटी बातों को दूर करने का प्रयत्न करेंगे अगर वे नियमों के अन्तर्गत कर सकते हों।

फिर, हम देखते हैं कि निर्णय यानी जजमेंट की कापी लेने के लिये, उसकी प्रतिलिपियां लेने में, किसानों को फीस देनी पड़ती है। उन्हें १०, १० देने पड़ते हैं और उनकी पेइंग कैपेसिटी आप सोच सकते हैं कि क्या हो सकती है। गांवों के लोग हमारे पास आते हैं और हम भी उनके बीच में जाते हैं। वे हमसे कहते हैं कि ऐग्रीकल्चरल इन्कमटैक्स को चुकाने के लिये उन्हें क़र्जा लेना होता है। तो मैं समझता हूं कि एक दिन यह हालत आवेगी कि जहां आप किसानों की ग़रीबी मिटाना चाहते हैं और उन्हें मालदार बनाना चाहते हैं वहां मालदार बनाने के बजाय वह ग़रीब होता जायगा और इससे देश तबाही की तरफ जायगा। इसलिये मैं उसको ग़रीब किसान कह रहा हूं। तो मेरा ख्याल है कि उनसे निर्णय का फीस भी नहीं लेनी चाहिये। मैं टैक्स का विरोध नहीं कर रहा हूं, वह तो लेना चाहिये। इसके बाद जिस आदमी के पास से आप टैक्स लेते हैं उसको पूरा अधिकार है कि वह कह सके कि मुझसे एक पाई न लेना चाहिये

वह टैक्स दे तो केवल उतना ही देना चाहिये जितनी उसकी क्षमता है। इसके अलावा जितने टैक्स सम्बन्धी कागजात हैं उन सब को निरीक्षण करने का उसे अधिकार होना चाहिये लेकिन मैंने देखा है कि जो एस० डी० ओ० के यहां नायब तहसीलदार की रिपोर्ट आती है, पटवारी की रिपोर्ट आती है उनको देखने का भी अवसर नहीं दिया जाता है।

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य---उसे सब कागजात देखने का अधिकार है।

श्री वीरेन्द्रपति यादव---हमारे मौर्य जी ने कहा कि उसे देखने का अधिकार है। जहां तक मैं समझता हूं कि जो पटवारी की रिपोर्ट है या नायब तहसीलदार की रिपोर्ट है उसको भी कंफिडेंशियल पेपर कहा जाता है। मुझे भी कई मामलों के सम्बन्ध में एस० डी० ओ० के सामने अपने को जाहिर करना पड़ा और उनसे दरख्वास्त की गयी कि हम उन कागजात का इन्सपेक्शन करना चाहते हैं लेकिन उसके ऊपर आर्डर आया ये कागजात कंफिडेंशियल हैं, इनको नहीं दिखलाया जा सकता है। मैंने जो बातें इस सदन के समक्ष रखी हैं वे केवल इस दृष्टि से रखी हैं कि आपके कानून में बड़ी कमियां हैं और इन कमियों के कारण सभी किसानों को परेशानी का सामना करना पड़ता है यह मैं नहीं कहता हूं कि टैक्स नहीं देना चाहिये लेकिन जहां केन्द्रीय सरकार द्वारा जितनी सुविधायें मिली हैं उनके मुकाबले में उतनी सुविधायें इस प्रदेशीय सरकार को भी देनी चाहिये। मैं समझता हूं कि जहां तक हो सके इन कमियों और खामियों को नियमों के अन्तर्गत दूर किया जाय।

श्री महावीर प्रसाद शुक्ल (जिला इलाहाबाद)---उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक कृषि आय कर में जो जटिलतायें थीं उनको दूर करने की ओर सरकार ने जो प्रयत्न किया है वह स्तुत्य है, और साथ ही कृषि आय कर को सीमा तीन हजार से बढ़ा कर जो ४२०० रु० कर दिया है वह भी बहुत ही स्तुत्य है। परन्तु कुछ बातें इसमें ऐसी अवश्य हैं जिनकी ओर ध्यान दिलाना हमारा कर्त्तव्य है। जैसा कि अभी हमारे माननीय पूर्व वक्ता ने कहा है, इस समय हमारे प्रदेश में कोई जमींदार नहीं है, केवल किसान हैं और छोटे और बड़े। और किसानों की आय शुद्ध परिश्रम की आय है। वह ऐसी आय नहीं है जो यह समझा जाय कि किसी और प्रकार से शोषण या बुद्धि-जाल के जरिये प्राप्त हुई हो। उस आय पर कर लगाने के समय सरकार को हमेशा इस बात को ध्यान में रखना चाहिये कि उसके पास कितनी बचत होती है। पहले जो आय के ऊपर कर की दर रखी गई है वह जैसा कि माननीय चतुर्वेदी जी ने अभी बतलाया कि इनकमटैक्स की दर से भी अधिक है और जो इनकमटैक्स देने वाले हैं, जो शहर के रहने वाले हैं उनको वे बहुत से कर नहीं देने पड़ते जो गांव के खेती करने वालों को देने पड़ते हैं। पंचायत राज कानून की स्थापना के बाद गांवों में बसने वालों को शुरू से लगान के अलावा पंचायत राज कर देना पड़ता है, जिला बोर्ड की सीमा में रहने के कारण लगान और पंचायत कर के अलावा डिस्ट्रिक्ट बोर्ड को हैसियत और जायदाद कर देना पड़ता है और उसके पश्चात् उसको एक कृषि आय कर देना पड़ेगा। तो मैं यह चाहता हूं कि सरकार इस बात का हिसाब लगावे कि जिससे उसको रुपये में १० आने कृषि आय कर की अपेक्षा है उसके पास रुपये में कितना शेष रह जायगा और उसको क्या प्रोत्साहन होगा, खेती करने में और कि इसलिये वह गांव में बसना पसन्द करेगा। जहां कि उस रुपये में दस आना, आठ आना कृषि आय कर देना होगा। इस तरीके से मेरा अपना विचार है कि हिसाब लगाया जाय, दुर्भाग्य से इस वक्त तो मेरे पास कोई आंकड़े नहीं हैं जिसमें हिसाब लगा कर बता सकूं कि पंचायत कर देने के बाद, जिला बोर्ड का हैसियत जायदाद कर देने के बाद, लगान देने के बाद तथा कृषि आय कर देने के बाद जो बढ़ी हुई आय है उसमें से कितनी आय उसके पास शेष रह जायगी। दूसरे जहां हम देखते हैं कि सरकार की तरफ से जो पूरे सूबे के लिये ३० एकड़ की सीमा रखी गयी है वह भी हमारे सूबे में एक समान रखना उचित नहीं है। हमारे सूबे में जमुनापार के और बुन्देलखंड के ऐसे इलाके हैं कि जहां बहुत जमीन वीरान पड़ी हुयी है। इसके पहले जितने

[श्री महावीर प्रसाद शुक्ल]

भी कानून बने हैं उनमें वहां के लिये यह सीमा नहीं रखी गयी है, जहां भी रखी गयी है बुन्देलखंड के लिये सीमा ३० एकड़ की नहीं रखी गयी है। प्रत्युत ३० एकड़ के स्थान पर ६० एकड़ रखी गयी है दिक्कत यह भी वहां होगी कि जब ३० एकड़ से अधिक भूमि वालों के पास स्टेटमेंट के नोटिस जायेंगे तो कचहरी के अहलकार उन से सौदा करेंगे और नतीजा यह होगा कि भ्रष्टाचार बढ़ेगा। तीसरी बात यह है कि जो यह छूट की सीमा १५०० की रखी गयी है वह अधिक बढ़ा दी जाय। १५०० तक तो छूट मिलेगी और ज्यादातर लोग ५००० से १०००० तक के लोग ही अधिक हैं और दस हजार से अधिक वाले कम हैं। इन शब्दों के साथ मैं बिल का समर्थन करता हूं और आशा करता हूं कि सरकार इन बातों पर ध्यान देगी।

श्री सीताराम शुक्ल (जिला बस्ती)—श्रीमन् उपाध्यक्ष महोदय, इस बिल के लाने पर मैं माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं और साथ ही साथ इस में क्या खराबियां हैं उनकी तरफ भी ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं ताकि अगर वह ठीक समझें तो उसमें सुधार कर लें। पापुलर और प्रजातंत्र सरकार के सामने बड़ी कठिनाई होती है, उसको सभी वर्गों का हित देखना होता है और सब को खुश रखना पड़ता है, इस में दो रायें नहीं हो सकतीं। परन्तु सरकार का यही कर्तव्य होना चाहिये कि वह रचनात्मक कार्य करे और वह केवल आमदनी बढ़ाने के ही ख्याल में न रहे। सब से पहली बात यह है कि आजकल आम तौर से लोगों का ख्याल हो गया है कि आजकल कोई कानून निश्चित है ही नहीं। आज एक कानून बनाया जाता है और कल को उसे बदल दिया जाता है। एक-एक महीने बाद और साल में कई कई बार कानून बदले जाते हैं।

अध्यक्ष महोदय, किसानों से कहा गया था। कि तुम भूमिधर बन जाओ और तुम पर ४० साल तक टैक्स नहीं बढ़ेगा या लगान या मालगुजारी नहीं बढ़ेगी लेकिन वह उस नाम से तो नहीं बढ़ा पर एग्रीकल्चरल इनकमटैक्स और दूसरे से बढ़ा दिया गया है। कैसे भी हो उनको पैसा तो ज्यादा देना पड़ेगा। एक तरफ तो वादा था कि ४० साल तक कुछ नहीं बढ़ाया जायगा लेकिन पैसा दूसरे ढंग से लिया जाय तो यह तो वादाखिलाफी हुई। इस तरह की वादाखिलाफी से तो जरूरी प्रेसटीज कम होगी और उस से बड़ा नुकसान हो जायगा। जो सच्चे और वीर पुरुष होते हैं उनकी जबान से जब बात निकल जाती है तो उससे पीछे नहीं हटते। संस्कृत में कहा भी है कि—

"निन्दन्तु नीतिनिपुणाः यदि वास्तःवन्तु लक्ष्मीः समाविशतु गच्छतु वा यथेष्टम्,
अद्येव वा मरणमस्तु युगांतरे वा, न्यायात्पथः प्रविचलन्ति पदम् न धीराः।"

मतलब यह है कि जो होशियार लोग होते हैं वह किसी बात की परवाह नहीं करते और वह सत्य पथ पर ही चलते हैं और इसी में उनका लाभ भी होता है। कभी कभी ऐसे मौके आ जाते हैं कि सच्चे मार्ग पर चलने में दिक्कतें पड़ती हैं लेकिन मुस्तकिल मिजाजी से काम लेने पर नुकसान कम और लाभ अधिक होता है। हुजूरवाला, आजकल वकील साहबान मुकदमे नहीं लेते हैं क्योंकि उनको सदैव यह भय रहता है कि कल को कहीं कानून बदल न जाय। इसलिये मैं कहता हूं कि जल्दी न कीजिये, जरा कुछ वक्त और लगाइये। वकीलों से और मशविरा लीजिये लेकिन जो कुछ कीजिये सही कीजिये। यदि कानून पर से लोगों का विश्वास उठ गया तो आप फायदा नहीं उठायेंगे। अगर किसानों की भलाई की दृष्टि से आप टैक्स चाहते हैं तो जरूर लगाइए। मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि मैंने हिसाब लगाया है कि ३० एकड़ की खेती करने वालों को कुछ बचत नहीं होती। माननीय कृषि मंत्री जी ने खुद भी कहा है कि खेती में कम से कम फायदा होता है, बहुत परिश्रम करना पड़ता है फिर भी फायदा बहुत कम हुआ करता है। किसानों के पास और कोई जरिया नहीं है, कोई नौकरी नहीं है, कोई चाकरी नहीं है। आज ३० एकड़ का जो किसान खाना खाता है, जो कपड़ा पहनता है, शहर का चपरासी जो है उससे ज्यादा अच्छा खाना खाता है, अच्छा कपड़ा पहनता

है, आराम से रहता है। ३० एकड़ के काश्तकार को देखिये उसके पैर में जूते नहीं हैं, घी नहीं खाता, वह तरकारी नहीं खाता और उससे शहर के ८५ रुपये के चपरासी का स्टैंडर्ड कहीं अच्छा है। हो सकता है कि पश्चिमी जिलों के किसानों की हालत कहीं अच्छी हो लेकिन पूर्वी जिलों की बात मैं बतलाता हूं कि उनकी माली हालत बिलकुल अच्छी नहीं है। आप अगर जल्दबाजी न करें तो मैं समझता हूं कि जो मैं अर्ज कर रहा हूं वह समझ जायेंगे। मैं जानता हूं कि तीस एकड़ पर नहीं लिया जा रहा है लेकिन इससे आप अन्दाजा लगा सकते हैं कि कितने बड़े फार्म पर होता है। जो सरकारी फार्म हैं जरा उनका हिसाब जोड़कर देखिए कि उनमें आमदनी कितनी होती है, कितना खर्च है, क्या बचत होती है, जो काम करते हैं खेती पर उनकी तनख्वाह उस पर लगाइये, जमीन का लगान जोड़ लीजिये उस पर ऐग्रीकल्चरल इन्कम टैक्स जोड़ लीजिए फिर देखिये कि कितना मुनाफा होता है। उसके बाद मुनाफे पर टैक्स लगाइये। आमदनी पर टैक्स लगाइए, इस खयाल को छोड़ दीजिये कि बड़े बड़े फार्म करने वालों को बहुत आमदनी होती है। कल आपने जमींदारी छीन ली, और आज उनकी जमीन भी छीन ले यह उचित नहीं होगा, मैं समझता हूं कि इससे दूसरी दिक्कतें पैदा हो जायेंगी।

इसलिये मैं कहता हूं कि अगर आप यह कानून ले आयेंगे तो वे लोग अपनी जमीनों को बेंचना शुरू कर देंगे। तब वह जमीन आपके पास भी नहीं आयेगी कि आप भूमिहीनों को दे दें और वह लोग जमीनों को बेचकर इसी लखनऊ में खायेंगे और अनुत्पादक काम करेंगे, उससे न पब्लिक को फायदा होगा और न आपको। इसलिये और टैक्स लगाना चाहते हैं तो कम से कम ५ सौ रुपए प्रतिमास से ऊपर की आमदनी वाले पर टैक्स लगाना चाहिये। आप मेहरबानी करके हिसाब लगाइये और पांच सौ रुपए प्रतिमास से नीचे की आमदनी वालों पर टैक्स न लगाइये।

हुजूरवाला, आपने टैक्स लगाया है बाग पर। आपको मालूम होगा कि जो लोगों के पुराने बाग हैं, उनको उनके मालिक बेचते नहीं हैं। उनको बेचना खिलाफ शान समझा जाता था और उनके फल अ-इसपास के गरीब लोगों को उसके मालिक बांट दिया करते थे। गरीब आदमियों को उससे लकड़ी भी मिल जाया करती थी। जो आदमी बागात बेचते नहीं हैं उन पर आप टैक्स न लगाइये, हां मलिहाबाद आदि स्थानों पर आप जरूर टैक्स लगाइये जहां लोग बागों से हजारों की आमदनी करते हैं। अगर एक सिरे से सब बागात पर टैक्स लगाया गया तो मैं समझता हूं कि गरीब आदमियों के लिये एक सवाल पैदा हो जायगा।

इसके साथ ही हुजूरवाला, यह भी वाजेह रहे कि खेती की आमदनी सिर्फ जमीन के ज्यादा या कम होने पर ही नहीं मुनहसिर रहा करती। वह इस पर भी मुनहसिर है कि उसका मैनेजमेंट कैसे आदमी के हाथ में है। अगर एक अक्लमंद और पश्चिमी आदमी के पास फार्म है तो उसमें ज्यादा पैदावार होती है लेकिन अगर वह फार्म एक आलसी और बेवकूफ आदमी के हाथ में है तो उसमें घाटा हो जाता है। तो इस बात का भी ध्यान रखना चाहिये कि जहां मुनाफा हो वहीं से टैक्स लिया जाय, जहां घाटा हो वहां से टैक्स नहीं लिया जाना चाहिये। अगर ऐसा किया गया तो देहातों में भी खुशहाली बढ़ेगी। आप लोग यह कोशिश करते हैं कि पढ़े लिखे लोग देहातों में जा कर रहें, बसें। गांधी जी की यही राय थी कि पढ़े-लिखे लोगों को देहातों में जाकर रहना चाहिये, ग्रेजुएट्स को कहा गया कि देहात को जाओ। अगर आपका यह इरादा है कि शिक्षित लोग देहात में जायें तो मेहरबानी करके खेती पर अधिक टैक्स न बढ़ाइये ताकि पढ़े लिखे लोग देहातों में जा कर आराम से रह सकें और खुद तरक्की करके अपने आचरण से किसानों को भला पहुंचाएं तथा आपकी भी आमदनी बढ़ा सकें।

श्री महीलाल (जिला मुरादाबाद)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस संशोधन विधेयक का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं, क्योंकि संशोधित विधेयक की स्वीकृति होने से केवल कुछ लोगों को सुविधाएं ही नहीं मिल जातीं बल्कि आज के समय की एक मांग भी पूरी होती है। जिन लोगों ने इसका विरोध किया है मैं समझता हूं कि आज के समाज की मांग

[श्री महीलाल]

उन्होंने नहीं समझी। आज चारों तरफ जो लोग असंतोष प्रकट करते हैं उनके सबके मुंह से एक ही बात निकलती है और वह है समता की बात। आज देश की मांग है समता और वह आर्थिक विचार से अथवा सामाजिक विचार से, समाज में समता आनी चाहिये। मैं समझता हूं कि यह संशोधित विधेयक जब एक अधिनियम का रूप धारण करेगा तो उक्त प्रकार के समाज को बनाने में यह सहायक होगा और वह इसलिये कि यह टैक्स या कर केवल गांव में रहने वाले उन्हीं लोगों को देना पड़ेगा जो ३० एकड़ भूमि से अधिक के मालिक हैं, अथवा जो तीस एकड़ से अधिक भूमि जोतते हैं। मैं समझता हूं कि माननीय सदस्यों का गांव से सम्बन्ध है, या जो ग्रामीण हैं वे इस बात को स्वयं जानते होंगे कि कितने ऐसे खाते हर गांव में होते हैं जो ३० एकड़ या इससे ज्यादा के खाते हैं। ३० एकड़ या उससे ज्यादा के खातों की संख्या इस संशोधन के पहले जो कि आज सदन के सामने प्रस्तुत है, मेरा ख्याल ऐसा है कि कुछ हजार थी और इस संशोधन के बाद वह संख्या लगभग ४० प्रतिशत कम हो जायगी। पहले ३,०० रु० की आय पर कृषि आय कर लगता था वह अब ४,२०० रुपए की आय पर लगेगा। इस प्रकार सरकार की आय में करीब-करीब १४ प्रतिशत की कमी हो जाती है। इस विधेयक द्वारा जो दरें बढ़ायी गयी हैं वह छोटों से कम करके केवल ३० एकड़ से बड़े किसानों पर बढ़ी है। इस प्रकार सरकार को करीब १४ प्रतिशत उधर कम होता है और करीब २५ प्रतिशत की इन्कम तो केवल ११ प्रतिशत की वृद्धि राजकीय आय में होती है। चारों ओर से आज यह मांग है कि बड़ी जोतों की भूमि कम होनी चाहिये। भूमि का वितरण होना चाहिये और सभी लोग इस बात को मानते हैं अलावा उन लोगों के जो आज बड़े बड़े खातों के मालिक बने हुए हैं। जो यह समझते हैं कि भूमि के मालिक हम ईश्वर के यहां से बन कर आये हैं, उनको छोड़ कर पूरा समाज इस बात को मानता है कि भूमि पर अधिकार सब को होना चाहिये। और भूमि के खाते जितने छोटे हों उतने अच्छे हैं। आज लोगों ने वैज्ञानिक ढंग से खेती करना आरम्भ कर दिया है जिससे गांवों में बेकारी बढ़ गयी है। जो लोग यह चाहते हैं कि टैक्स न लगाया जाय उनको चाहिये कि वह अपनी भूमि ३० एकड़ से कम कर लें और भूमिहीन किसानों को दे दें या आचार्य विनोबा भावे के भूमिदान यज्ञ में दे दें।

अब जहां तक निर्धनता की बात कही गयी तो देखना यह है कि यह टैक्स कौन से निर्धन किसानों पर पड़ता है। उन पर पड़ता है जो कि बड़े बड़े फार्म के मालिक हैं और जो नाम के लिये किसानों की गिनती में आते हैं। और आज शौक के साथ किसान की संज्ञा में आना चाहते हैं। ऐसे किसानों में बड़े बड़े राजा लोग आते हैं। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि आज जो इस पर बहस हुयी और जिन माननीय सदस्यों ने अपने विचार प्रकट किये वह इस संशोधन से बहुत दूर निकल गये। संशोधन की मंशा तो किसान को सुविधा देना है, जैसा मैंने कहा कि जितने लोग अब तक टैक्स देते थे उनमें से ४० प्रतिशत लोगों को टैक्स नहीं देना पड़ेगा। तो ऐसी स्थिति में हम सब को माननीय मुख्य मंत्री जी और माननीय राजस्व मंत्री जी को बधाई देना चाहिये। उस पर एतराज करने का, तरह तरह के टैक्सों की बात करने का मैं समझता हूं कि कोई अवसर नहीं है। मुझे गवर्नमेंट के इन्कम टैक्स देने वालों से कोई हमदर्दी नहीं है। मैं चाहता हूं कि उनकी दरों में और वृद्धि हो।

इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की बात कही। मुझे तो बैठे बैठे बड़ी हंसी आ रही थी। जब यह कहा जा रहा था कि किसानों को डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का टैक्स देना पड़ता है। शायद वह यह भूले हैं कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड ऐक्ट में खेती करने वालों पर कोई टैक्स नहीं है। खेती के अलावा जो और कोई उद्योग अथवा व्यापार करता है उससे डिस्ट्रिक्ट बोर्ड टैक्स लिया जाता है। जिन सज्जनों को यह भ्रम हो वह कृपा करके डिस्ट्रिक्ट बोर्ड ऐक्ट को उठाकर देखें या जो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की नीति है या रवैया है उसे देखें। भले ही गल्ती से या किसी और वजह से डिस्ट्रिक्ट बोर्ड टैक्स छोटे किसानों पर लग जाता हो। मैं जानता हूं कि गांव में बसने वाले मजदूरों पर भी यह जिला बोर्ड का टैक्स है और कुछ छोटी आय के लोगों पर भी है जिनको रोटी तक

खाने को नहीं मिलती है। मुझे एक उदाहरण याद है कि इस टैक्स के सम्बन्ध में एक आदमी के यहां कुर्की हुयी तो उसके घर में मिट्टी का कूंड़ा, तवा और एक आध चारपाई मिली। जो टैक्स लगाने वाले हैं उनकी कृपा से इस तरह के लोगों पर भी टैक्स लग जाया करता है, वह भी मुमकिन है कि कहीं पर इसमें कुछ किसान भी आ गये हैं। मेरे यहां भी ऐसा हुआ है और मैं जानता हूं कि कुछ लोगों पर इस तरह का टैक्स लगा है। यह उन लोगों की मेहरबानी है जो प्रभावशाली होते हैं और किसी बात पर वह नाराज हो जाते हैं तो उनकी कृपा से टैक्स लग जाता है। लेकिन जहां तक कानून का प्रश्न है तो वह केवल खेती करने वाले पर नहीं लगता है। खेती के अलावा जो और काम करता है उस पर यह जिला बोर्ड का टैक्स लगता है।

गांव सभाओं का टैक्स तो गांव के लोगों पर ही निर्भर करता है। अगर वह निश्चय करते हैं कि एक रुपया पर एक पैसा लगेगा तो वही लगता है अथवा निश्चय होता है कि छोटे किसानों से कम लिया जायगा और बड़े किसानों से ज्यादा लिया जायगा तो भी वह मान्य होता है। अगर ३० एकड़ से ज्यादा खेती रखना है तब तो हमें यह संशोधक विधेयक का विरोध करना चाहिये या फिर हम छोटे आदमियों पर टैक्स लगा दें यदि संख्या बढ़ाना है तब तो बात दूसरी हो सकती है। लेकिन जहां तक समानता की बात को मानकर कर लें, समाज में आर्थिक विषमता को मिटाने की बात करें तो हम सबको मिल कर माननीय मंत्री जी को बधाई देना चाहिये।

एक बात यह कही गयी कि बागों पर टैक्स लगा दिया गया है जिनके पास बाग हैं और बाग अथवा जोत की भूमि ३० एकड़ से अधिक है या उनकी आमदनी ४२०० रुपए से अधिक है तब तो टैक्स लगेगा वरना टैक्स नहीं लगेगा। पूर्वी जिलों के लिये कहा गया कि वह अभावग्रस्त जिले हैं। अगर वहां के लोग की ३० एकड़ जमीन रखते हुए भी पैदावार कम होने के कारण आमदनी ४२०० रुपए से कम है तो मैं समझता हूं कि वह टैक्स देने वालों में नहीं आते हैं। माननीय मंत्री जी ने अभी मुझे बतलाया है कि बुन्देलखंड में ६० एकड़ तक भी टैक्स नहीं लगाया है तो फिर मेरी समझ में नहीं आया कि माननीय सदस्यों ने क्या बड़े बड़े फार्म वालों की वजह से ही और जो सब किसानों की ओर से वकालत की है। मैं तो समझता हूं कि यदि माननीय सदस्य इस प्रश्न पर गम्भीरता पूर्वक विचार करेंगे तो वह इसी नतीजे पर पहुंचेंगे कि यह संशोधित टैक्स नीति उचित और न्यायप्रिय है। मेरी राय तो यह है कि इससे भी ज्यादा होना चाहिये। जिससे आज विनोबा जी के कार्यकर्ताओं को अधिक परेशानी न हो और लोग खुद भूमि छोड़ दें और समाज की आर्थिक विषमता मिटे और भूमिहीन अपने पैरों पर खड़े हो सकें। माननीय मंत्री जी ने इस संशोधित विधेयक को पेश करके समाज की एक मांग को पूरा किया है। उसके लिये मैं उनको हृदय से धन्यवाद देता हूं।

*श्री उम्मेद सिंह (जिला गोंडा)--उपाध्यक्ष महोदय, यह संशोधन विधेयक आजकल की परिस्थिति में ऐसा नहीं है कि किसानों पर लागू किया जाय इसलिये यह वापस किया जाय तो अच्छा है। आजकल की परिस्थिति ऐसी नहीं है कि किसानों पर टैक्स लगाया जाय। कहा तो यह जाता है कि यह किसानों की बात है जो १५०-२०० वर्षों से पददलित रहे हैं, हमेशा से उनको लूटा जा रहा है और उनकी दशा गिरती जा रही है और उनकी तरक्की के लिये सरकार कहती है कि विकास की जरूरत है, विकास अच्छा है मगर, अगर किसान टैक्स के बोझों से दब गये और उनके पास रोटी-कपड़े का भी सहारा नहीं रहा तो विकास किस लिये?

तो हमारी समझ में तो हम उसी विधेयक को स्वीकार करते कि जिसमें यह होता कि अब ऐगीकल्चरल टैक्स की कोई जरूरत नहीं है और हमारी सरकार किसानों के ऊपर रहम खा कर ऐग्रीकल्चरल टैक्स बिल्कुल ही वापस ले ले।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री उम्मेद सिंह]

जहां तक यह कहा जाता है कि हम किसानों के हमदर्द हैं, किसानों की तरक्की चाहते हैं तो उस ध्येय की पूर्ति के लिये इस ऐग्रीकल्चरल टैक्स को वापस लेने का ही संशोधन होना चाहिये ।

श्री ब्रजभूषण मिश्र (जिला मिर्जापुर)--मैं प्रस्ताव करता हूं कि बहस बन्द की जाय ।

श्री गेंदा सिंह--उपाध्याय महोदय, क्लोजर मूव करने वाले सदस्य को मालूम होता है, नींद आ रही है । क्योंकि मेरे खड़े होने के बाद वे खड़े हुए । इत्तफ़ाक से आपकी दृष्टि मुझ पर नहीं पड़ी ।

श्री उपाध्यक्ष--चूंकि आप खड़े हो चुके हैं, इसलिये आपको तो मौका दिये देता हूं ।

***श्री गेंदासिंह**--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस बिल का समर्थन करना चाहता हूं । इसलिये कि जो पिछला कानून था उसमें कुछ ऐसी खामियां थीं जिससे लोगों को बड़ी तकलीफ हुयी और उस तकलीफ को दूर करने के लिये कुछ इसमें धाराएं, कुछ खंड बनाये गये हैं और अगर ठीक ढंग से अधिकारियों ने उन पर काम किया तो हम उम्मीद करते हैं कि जो पिछली मर्तबा लोगों को तकलीफ हुयी थी वह शायद न हो पाये । उसमें कोई प्रमाण की आवश्यकता मैं नहीं समझता हूं कि पिछली मर्तबा कितनी लोगों के तकलीफ हुयी वह हमारे मही लाल जी ने खुद कहा कि अबकी मर्तबा जो हमारा यह विधेयक है अगर यह पास हो जायगा तो जितने लोगों पर पहले कर लगते थे उनमें से ४० प्रतिशत लोगों को अब कर नहीं देना होगा । मैं ऐसा नहीं समझता हूं कि माननीय महीलाल जी ने इस पर बहुत अच्छी तरह से गौर नहीं कर लिया होगा, लेकिन कुछ मुझे संदेह जरूर है कि हिसाब किताब में शायद कुछ गलती हो जाय । फिर भी ऐसी बात हो सकती है कि जिन लोगों को तकलीफ हुयी है, पिछले संशोधन या कानून की वजह से, उनको उस तकलीफ से कुछ नजात मिल जाय ।

इस बिल का मैं जहां समर्थन करता हूं, वहां मैं कुछ सरकार से कहना भी चाहता हूं । सरकार से मैं यह कहना चाहता हूं कि सरकार की दृष्टि खेती करने वालों की तरफ से कुछ ओझल है । वह खेती करने वालों की ओर जिस दृष्टि से देख रही है वह बदलने की आवश्यकता है । अगर उसे सरकार न बदलेगी । तो समूचे देश के ऊपर एक मुसीबत आ जायगी कि जिसे सोच कर डर लग रहा है ।

श्री महीलाल--ट्रैक्टर खरीदने के लिये तो सरकार तकावी देती है ।

श्री गेंदासिंह--सरकार की मशीनिरी अगर ऐसे ही लोगों को ट्रैक्टर देना चाहे तो माननीय महीलाल जी क्या करेंगे । वह रोते पीटते रह जायंगे । उनके भाई-बिरादरों को ट्रैक्टर यह सरकार नहीं दे सकती, मगर जिनकी मुखालिफत करने के लिये महीलाल जी यहां खड़े हुए हैं उनकी तरक्की के लिये और दूसरी सुविधा देने के लिये सरकार बराबर तैयार रहेगी और आज भी तैयार है । माननीय महीलाल जी को जरा खबरदार रहना चाहिए और मैं समझता हूँ कि माननीय शिवनारायण जी और माननीय महीलाल जी, इन दोनों आदमियों को कम से कम कल के लिये खबरदार रहना चाहिए कि जब माननीय राजस्व मंत्री जी, जैसी कि मैं आशा नहीं करता हूं, हमारे बिना नुकसान वाले, बहुत ही लाभदायक कल्याण-कारी प्रस्ताव का विरोध करने के लिये खड़े होंगे, उस वक्त कम से कम माननीय राजस्व मंत्री जी को पकड़ें और कहें कि इस प्रस्ताव का विरोध वह न करें ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

मैं यह निवेदन कर रहा था कि खेती करने वालों की तरफ इस सरकार की दृष्टि जानी चाहिए। जिसकी योग्यता हो, जिसकी क्षमता हो टैक्स अदा करने की, उससे टैक्स लेने का विरोधी नहीं हूं। जरूर लेना चाहिए। लेकिन जब मैं यह कहता हूं कि जिसकी क्षमता हो टैक्स अदा करने की उससे टैक्स लिया जाय तो मैं यह भी कहना चाहता हूं, जिसके लिए मैं माफी चाहूंगा कि जो वसूल करने वाली मशीनरी हो, उसमें भी ऐसी क्षमता होनी चाहिए कि वह टैक्स वसूल करके करती क्या है। मैं इस बात को बहुत अदब से कहना चाहता हूं कि टैक्स वसूल करके इस प्रदेश में किस जगह पर किस तरीके से उसे खर्च करना चाहिए, इसका शऊर जरा इस हुकूमत को कम है। छोटे मुंह बड़ी बात हो सकती है कि कोई मैं बहुत शऊर वाला आदमी हो गया। लेकिन मैं कहता हूं कि आज भी हमारी हुकूमत उन लाखों करोड़ों गरीबों के मन में विश्वास नहीं उत्पन्न कर सकी कि अगर यह धनवानों से पैसा लिया जायगा तो गरीबों के ऊपर खर्च किया जायगा। करोड़पतियों से, लखपतियों से पैसा लेना मना नहीं किया जा सकता और मुझे खुशी होगी तथा कम से कम इस तरफ बैठने वालों को सबको खुशी होगी और जो उधर के बैठने वाले हैं उनमें से भी जिनका सम्बन्ध किसी लखपति या करोड़पति से नहीं है, उनको भी खुशी होगी कि उनसे पैसा निकाला जाय। लेकिन उस पैसे का उपयोग कैसे हो, क्या उस पैसे का उपयोग जो लोग पहले से सम्पन्न थे, जो कुछ चन्द सफेदपोश थे, उन चन्द सफेदपोशों पर किया जाय.....

माल मंत्री (श्री चरण सिंह)--मैं प्वाइंट आफ आर्डर रेज करना चाहता हूं और वह यह कि यह जो विधेयक सदन के सामने मौजूद है उसमें टैक्स लगाने की बात है। टैक्स से जो रुपया आये वह किस तरह से खर्च किया जाय, उससे तो कोई वास्ता नहीं है। वह तो बड़ा लम्बा मजमून है और उस पर बहस करने के लिए तो बजट के समय पूरा महीना भर मिलता है। इसलिए मैं अर्ज करता हूं कि अगर इस पर बहस होगी तो बहुत समय इसमें लगेगा।

श्री गेंदा सिंह--उपाध्यक्ष महोदय, मुझे बड़ी दया आयी माननीय राजस्व मंत्री के ऊपर, इस प्वाइंट आफ आर्डर के उठाने पर। माननीय राजस्व मंत्री जी की बुद्धि में यह बात आयी कि ऐसा भी प्वाइंट आफ आर्डर उठाया जा सकता है कि टैक्स वसूल करके खर्च करने की बात क्यों कही जाय ? मैं तो इस बात को कह रहा था कि मैं तो टैक्स लगाने वालों में से हो जाता और टैक्स लगाने वालों के साथ होकर सड़क सड़क पर डुगडुगी पीटता माननीय राजस्व मंत्री जी के पीछे घूम घूमकर, अगर माननीय राजस्व मंत्री जी के ऊपर हमारा ऐसा विश्वास होता कि जिस पैसे को वह ले रहे हैं, उसको लेकर , ऐसे काम में खर्च कर रहे हैं जिससे कि प्रदेश का भला होने वाला है। और फिर मैं कहता हूं कि इस विधेयक का नाम ही है कृषि आयकर विधेयक। उसका अमेंडमेंट हम कर रहे हैं और अगर उसके सिद्धान्त की हम चर्चा न करें, तो यह तो उपाध्यक्ष महोदय, अब आप ही के विवेक पर मैं छोड़ता हूं और माननीय राजस्व मंत्री जी के भी विवेक पर छोड़ता हूं कि यह प्वाइंट आफ आर्डर कहां तक ठीक है ?

श्री उपाध्यक्ष--पर इस विधेयक में तो कर का ही जिक्र है। उसके व्यय करने का वर्णन किया जाय विस्तार में, तो बहुत समय लगेगा।

श्री गेंदा सिंह (जिला देवरिया)--अगर आप आज्ञा दें तो मैं छोड़ ही दूं बस केवल इतना ही कह करके कि इस पैसे का....

श्री उपाध्यक्ष--सदुपयोग किया जाय ।

श्री गेंदा सिंह—सदुपयोग अगर होता तो कुछ कहना ही नहीं था। पिछले वर्ष जब इस कानून का संशोधन हो रहा था, उस वक्त मैंने जब इसका समर्थन किया था और मैंने माननीय वीरेन्द्रशाह जी का और दूसरे भाइयों का विरोध किया था कि माननीय राजस्व मंत्री जी और उनकी सरकार इस पैसे का सदुपयोग करेगी। लेकिन एक डेढ़ वर्ष देखने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि न तो सदुपयोग हो पाया और न तो लम्बी-लम्बी गठरियां, जिस तरफ जाती रहीं उनको रोक पाये और न उन लोगों की मदद कर पाये जिनको दोनों वक्त खाना नहीं मिल पाता है, जिसको वस्त्र की कमी है, न उनकी मदद कर पाये।

श्री उपाध्यक्ष—माननीय सदस्य उधर विस्तार में जा रहे हैं।

श्री गेंदा सिंह—मैं संक्षेप कर रहा हूं। उपाध्यक्ष महोदय, जो टैक्स देने वाले ह उनकी क्षमता पर भी टैक्स लगाते समय विचार करना चाहिए, इस सम्बन्ध में मैं जरूर कहना चाहता हूं। मैं माननीय मौर्य जी से कहूंगा कि वह इत्मीनान से उसे सुन लें, जिनका खेती-बाड़ी से बड़ा सम्बन्ध है माननीय मौर्य जी का अगर इस तरह का विचार नहीं होता तो क्या उनके जिले की फैक्टरी, शाहगंज की फैक्टरी, फरवरी तक सिर्फ चल पाती। उसको गन्ना नहीं मिलता भरपेट। गन्ना की खेती लोगों ने करनी छोड़ दी और इसलिए छोड़ दी कि इन खेती करने वालों से जिनसे टैक्स वसूल करना था उनके साथ सरकार ने ज्यादती की। इस सरकार ने ज्यादती की और दूसरी सरकार जो ज्यादती कर रही थी उसकी भी पीठ ठोंक दी। जिनसे कर लेना है, इस कृषि आय कर को बढ़ाना है या वसूल करना है उनके हकों की, उनके हितों की रक्षा करने में यह हुकूमत हमेशा असमर्थ रही। मैं अगर कहूं कि असमर्थ रही तो इससे संतोष कर लेना चाहिए। अगर मैं यह कहूं कि यह मिली-जुली भगत थी, यहां से दिल्ली की सरकार तक, और इस किसान की गठरी को निकाल कर, उसमें कुछ बटवारा करना था तो इस पर नाराज भी नहीं होना चाहिए। अगर यह गठरी, १८ करोड़ की जिनसे कृषि आय कर हमको वसूल करना है उनके घर में होती तो मैं माननीय राजस्व मंत्री जी को यह कहता कि कृषि आय कर और लेने की कोशिश की जाय और खुशी खुशी सारे सूबे के गन्ना बोने वाला किसान दे देगा उसको तकलीफ नहीं होगी। लेकिन एक तरफ हम जो पैदा करें, अपना खून पसीना एक करके उसकी कीमत दिलाने में हमारी सरकार जो है वह कहती है कि हमारे हाथ में कोई ताकत नहीं है। लेकिन डंडा मारकर जिस वक्त वसूल करने की बात होती है तो कहती है कि हम दुनिया में सबसे ताकतवर हैं। यह दोनों बातें कैसे हो सकती हैं। जब कर लेने की क्षमता है तो हमारी हिफाजत करने की भी क्षमता होनी चाहिए। अगर हिफाजत करने की क्षमता नहीं है तब तो कोई हक नहीं है कर लेने का। मैं विषयान्तर नहीं हो रहा हूं।

मैं समझता हूं कि अगर १९५२-५३ में गन्ने का दाम १ रुपया १२ आने रहा होता तो दस करोड़ रुपया इन करदाताओं के घर में जाता और दस करोड़ जब रुपया जाता तो हिसाब जोड़नेवाला रेवेन्यू डिपार्टमेंट क्या गलती करता, जोड़ता नहीं? अगर दस करोड़ रुपया उनके घर में चला जाता तो मैं समझता हूं कि लाखों रुपया कृषि आयकर के ऊपर अपने ही हिसाब-किताब में ले आता। उस तरह से वह लाखों रुपया सरकारी खजाने में लाता और उसी के साथ-साथ दस करोड़ रुपया उन्हीं किसानों के घर में जाता और आज उनकी परचेजिंग कैपेसिटी बढ़ती और आज जो अनइम्प्लायमेंट, जुलाहों और बुनकरों का मामला आज हमारे सामने विकराल रूप धारण किए हुए है वह धारण नहीं करता। आखिर काश्तकार खरीद-फरोख्त करता तो शहर की चीजों का खरीद-फरोक्त करता। बुनकरों के माल को खरीदता। फिर यह अनएम्पलायमेंट, यह बेकारी और गरीबी की बात नहीं आती। सरकार उस वक्त

क्या करती रही। यू० पी० की सरकार सोती रही और नहीं सोती रही तो गोलमाल करती रही । उपाध्यक्ष महोदय, दिल्ली की सरकार ने यह कहा कि हमको सारे देश को सस्ती चीनी देनी है इसलिये उत्तर प्रदेश और बिहार के किसानों का गला काट दिया। सस्ती चीनी तो दे नहीं पाये लेकिन हमारा गला कट गया। साढ़े २० करोड़ मन गल्ला सप्लाई किया खून पसीने से पैदा करके और मिलों ने लिया उसको १ रु० ४ आने प्रति मन के हिसाब से और चीनी सारी बेच ली तेज भाव पर। इस सदन में चर्चा हुई कि चीनी तेज भाव में बिक रही है। जब सारे कन्ज्यूमर्स की तरफ से आवाज उठी तब भी सरकार कुछ न कर सकी और आज उसका परिणाम यह हो रहा है कि साढ़े ७ लाख टन चीनी विदेश की यहां पर आकर बिकेगी। जिसका परिणाम यह होगा कि चीनी जो सबसे बड़ी कार्मशियल इंस्टीटचूट है प्रदेश की, उसको नुकसान पहुंचेगा।

उपाध्यक्ष महोदय, मैंने यह चर्चा कर दी इसलिये कि किसानों का हमारे सूबे में सबसे बड़ा जरिया कोई है तो गन्ना है। उस गन्ने की खेती की तरफ हमारी सरकार की यह दृष्टि है। पिछले साल कुछ झगड़ा हुआ जिससे सरकार नाराज हो गई और फिर पकड़, धकड़ हुई। इसके बाद दिल्ली की सरकार कूद पड़ी और दिल्ली की सरकार ने कहा कि हमारे मुख्य मंत्री जी पंच बनाये जायं। पंच बन कर हमारे मुख्य मंत्री जी नैनीताल में बैठे रहे और हम भी बैठे रहे अपनी बात कहने के लिये। हमने समझा कि हमारे मुख्य मंत्री जी इसके सदर हैं लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, मैं माफी चाहूंगा यह कहने के लिये कि माननीय मुख्य मंत्री और माननीय राजस्व मंत्री सभी बैठे रहे। आशा यह सब लगाये हुए थे कि माननीय मुख्य मंत्री हमारी सदारत करेंगे लेकिन मालूम नहीं कि कहां से एक आदमी टपक पड़ा जो सदारत करने लगा माननीय मुख्य मंत्री जी के ऊपर और हमारा सारा मामला बिगड़ गया। हम कहते हैं कि आज जिन करदाताओं से कर लेना है वे आज बरसात के महीने में भूखे मर रहे हैं। उनको दो पैसे देने हैं, आखिर देना है एक्सेस प्राफिट में से तो फिर दे क्यों नहीं दिया जाता? कहा जाता है कि वक्त नहीं है, चीनी नहीं बिकी है। इसलिये उपाध्यक्ष महोदय, जब माननीय राजस्व मंत्री यह सोचते हैं कि उन्हें कृषि पर आय कर लगाना है तो उसके साथ-साथ इस बात को सोच लिया करें कि जो आय होने वाली है वह किन किन मदों से होने वाली है और आय को बढ़ाने के लिये और कौन से उपाय सोचें। मैं समझता हूं कि इस पर प्वाइंट आफ आर्डर नहीं उठना चाहिये। जब तक आय को बढ़ाने की बात न सोची जायगी तो कर किस बात के लिये लेंगे। किसान के ऊपर रोज बोझ पड़ रहा है, उसकी चर्चा इस वक्त मैं करना नहीं चाहता। फिर जो विधेयक अभी हमारे सामने आने वाले हैं उनकी तरफ मैं माननीय राजस्व मंत्री जी का ध्यान दिलाऊंगा और मैं तो उन्हें रोज कसौटी पर देखा करता हूं कि वह कितनी किसान की हित रक्षा कर पाते हैं। मन में सोचते रहते हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि किसानों का भला ऐसे होगा, लेकिन जब यहां पर आते हैं तो यहां पर आने के बाद वह सारी बातें रह जाती हैं उस तमकुही हाउस में जहां पर वह रहते हैं। यही कारण है कि वह ऐसी बातें करते हैं और किसानों के गले काटने की बात तो मैं नहीं कहता लेकिन वह कम से कम दूर तक घसीटने की बात तो कर ही देते हैं कि जिससे वह दूर तक घसीटे जायं। इसमें कोई शक नहीं है कि माननीय राजस्व मंत्री वहां पर तो कुछ अच्छी बात सोचते हैं लेकिन जब जब वहां से उठे तो यहां पर आकर वह बात नहीं रहती है। यहां पर वही पुराने लखनऊ के लोगों की बात रह जाती है।

उपाध्यक्ष महोदय, बड़ी तकलीफ के साथ मैं इस बात को कह रहा हूं। आज इस सूबे के सभी किसान भूखे हैं चाहे वह कोई ३० एकड़ वाला हो और चाहे ५० एकड़ वाला हो और चाहे ५ एकड़ वाला हो, उन सब की माली हालत खराब हो रही है। अगर उनकी माली हालत की तरफ ध्यान नहीं दिया गया तो यह सारी कर

[श्री गेंदा सिंह]

लगाने की बात यहां पर ऐसे ही रह जायगी और काम नहीं चलेगा। यह कानून जो बनाया जा रहा है। यह सरकार का मंशा हर्गिज नहीं है। उनसे बैर साधने के लिये नहीं बनाया जा रहा है। मैं ज्यादा सख्त लफ्ज इस्तेमाल नहीं करना चाहता, अगर आपको ३० एकड़ से ऊपर वालों से जमीन लेनी है तो यह घूम-घूम कर नाक पकड़ने वाली विधि आप छोड़ दीजिये। सीधे-सीधे कहिये कि जिनके पास ३० एकड़ से ज्यादा जमीन है उन लोगों को वह जमीन दे देनी चाहिये। चाहे वह विनोबा भावे जी को दे दें या राजस्व मंत्री जी को दे दें। तब फिर बटवारा हो जाय।

मैंने पिछले साल यह सुझाव दिया था कि हमारे देश में अगर भू-दान को चलाना है तो वह शुरू हो ऊपर से और उसमें सबसे पहले मुन्शी जी को आना चाहिये और फिर पन्त जी और राजस्व मंत्री और फिर सब चलें। यह माननीय सदस्य जो यहां पर बैठे हुये हैं वह सब जमीन मांगने के लिये चलें और समूचे देश के सामने जमीन को मांगें। जो सबसे आगे चलें वह देश के सबसे बड़े आदमी हों तब लोगों के सामने जाकर हाथ पसारें कि भूखे-नंगों के लिये कुछ दीजिये। अगर छोटी-छोटी भूमि यह लोग देते और ३० एकड़ से ऊपर वाले लोग इसमें कुछ मदद करते तो कोई पेचीदगी नहीं रहती और काफी दूर तक यह मसला हल हो जाता और फिर उसके बाद वह अगर हल नहीं होता तो हमारे राजस्व मंत्री के हाथ में कानून की ताकत थी वह उसके मुताबिक उसको यहां पर पेश कर देते और मामला बिल्कुल साफ हो जाता, लेकिन यह ३० एकड़ से ऊपर वालों के लिये इस प्रकार के कानून से, मैं समझता हूं कि इस प्रकार से पत्थर पड़ने की बात है।

आज सारे देश में लोगों के दिल में एक प्रकार की अनिश्चितता है। लोग समझते हैं कि आज हम पैदा करेंगे तो न मालूम पैदा करने के बाद कल को क्या हो जाय। लेकिन सारे देश में यह भावना पैदा होनी चाहिये कि कोई आदमी भूखा नहीं रहेगा और यह तभी हो सकता है कि जैसा आज शिवनारायण जी ने कहा--वह इस बात को मान जायं और वैसा ही वह कल भी कहने के लिये तैयार हो जायं। मैं समझता हूं, उपाध्यक्ष महोदय कि यह मामला हल हो जायगा। यह अनिश्चितता कि हम कल भूख से मर जायंगे, यह दिमाग से दूर हो जाय और यह तभी हो सकता है कि जब कि हम करोड़पति और लखपति लोगों की सम्पत्ति लेने की सोचें। यह कठिनाई की बात हो सकती है कि विधान बाधक है लेकिन मैं समझता हूं कि विधान को बदला जा सकता है और हमारे उत्तर प्रदेश की सरकार जो देश में सबसे मजबूत सरकार कही जा सकती है और जिसके मुख्य मंत्री महोदय माननीय गोविन्द बल्लभ पन्त हैं, अगर यह सरकार केन्द्रीय सरकार से विधान बदलने के लिये कहे तो उसे न मानने में थोड़ी दिक्कत जरूर होगी। जमीन का बटवारा हो और अगर वीरेन्द्रशाह जी यहां होते तो वह मेरी बात को पसन्द करते। मेरे प्रस्ताव का पिछली मर्तबा उन्होंने समर्थन किया था कि ३० एकड़ से ऊपर की भूमि का बटवारा किया जाय। मैं समझता हूं कि जो कुछ भी उन्होंने कहा था वह दिल से कहा था और वह अवधेश प्रताप सिंह जी को छोड़ कर, अपने दूसरे साथियों को मनाने में कामयाब हो सकते हैं। जमीन का बटवारा होगा कैसे? जब आदमी टैक्स देता हुआ ऊब जायगा तो वह कहेगा कि चलो, बैनामा कर लो क्योंकि उसको छूट माननीय राजस्व मंत्री जी ने रखी है। इस प्रकार वह जमीन पैसे वाले के पास जायगी और उस भूमिहीन को नहीं मिलेगी जिसे माननीय शिवनारायण जी और महीलाल जी चाहते हैं और ये छाती पीट के रह जावेंगे कि जमीन निकल गई। इसलिये इस विधेयक के लिये यह कहना कि यह जमीन के बटवारे की तैयारी है, यह ग़लत है।

लड़ाई के जमाने में या लड़ाई बीतने पर उसकी महंगाई बनी हुई थी, उस समय यह ऐग्रीकल्चर इनकम टैक्स आया था। उस समय हमारे पूंजीपतियों पर इतना टैक्स था कि

रुपये में दो पैसे उनको बचते थे और साढ़े पन्द्रह आने वे टैक्स में देते थे। मैं माननीय राजस्व मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि क्या वह कानून आज है कि वे नहीं हैं? वह एक्सेस प्राफिट्स टैक्स और मालूम नहीं क्या-क्या नाम थे उनके वे सभी वापस ले लिये गये और आज उनसे इन्कम टैक्स भी सबसे ऊंची आमदनी पर भी आधा पड़ता है। ५० प्रतिशत तक केवल उनको देना पड़ता है। कहां रुपये में साढ़े पन्द्रह आने और २ पैसे और कहां ५० और ५० का अनुपात। यह हमको बहुत खटकता है। हम जरूर चाहते हैं कि अगर आज सरकार देश में कर लगाती है तो पहले अपने सामने उन लोगों को जरूर रखे जो सबसे ज्यादा कर देने के लायक हैं और मैं कहता हूं कि माननीय राजस्व मंत्री जी मेरी बातों को सुनें और माननीय अवधेश प्रताप जी की तरफ कम देखें। मेरा कहना यह है कि आप जरा इन शुगर मिल मालिकों की तरफ निगाह उठाइये और हमारी जान बचाइये। मैं उनको विश्वास दिलाता हूं कि अगर वे ठीक हिसाब किताब लगायेंगे तो भी वे कांग्रेस के चुनाव का खर्चा देने से बाज नहीं आयेंगे। कोई मजाल है कि वे कांग्रेस के चुनाव का खर्चा न दें? इसलिये मैं कहता हूं कि जरा हिसाब ठीक रखिये और किसानों का गला छुड़ाइये। अगर आप इस प्रकार से किसानों का गला छुड़ा भी देंगे तो भी कांग्रेस को, जो कि कुर्सी पर बैठी हुई है, उत्तर प्रदेश के मिल मालिक जिस वक्त कांग्रेस कहेगी उसी वक्त कांग्रेस के चुनाव अथवा कांग्रेस कमेटी के चलाने के लिये खर्चा देंगे। भला ऐसा हो सकता है कि मिल मालिक यह कह दें कि हम खर्चा नहीं देंगे? मैं समझता हूं कि उनकी यह जुरअत न होगी। हमारी दरख्वास्त है कि आप ऐग्रीकल्चरल इन्कम टैक्स से आमदनी को न बढ़ायें। इस बात पर विचार करें कि इससे सारे मुल्क की भलाई होगी। अगर आप उससे पैसा न भी निकालने की सोचेंगे तो भी सारे डेवलपमेंट के काम और सारे मुल्क की तरक्की के काम हो सकते हैं।

जब इंगलैंड पर मुसीबत आयी थी तो लड़ाई के जमाने में इस देश के पूंजीपतियों ने रुपया में साढ़े पन्द्रह आना दिया। जब आज इस मुल्क की तरक्की का सवाल है तो २ पैसा और छोड़ दीजिये रुपया में १५ आना तो दें। यह दिल्ली की सरकार इन ६६ मिल मालिकों से सांठ-गांठ करती है, उनके साथ रिआयत करती है तो मैं उत्तर प्रदेश की सरकार से कहना चाहता हूं कि रुपया तो यहीं रहता है, उस पैसे को उत्तर प्रदेश की सरकार को लेना चाहिये और उसको देश की तरक्की में खर्च करना चाहिये, सिंचाई के कामों में तथा दूसरे डेवलपमेंट के कामों में उसको खर्च करना चाहिए। अगर हमारी आमदनी बढ़ गयी, हम खेती करने वालों की आमदनी बढ़ गयी तो फिर कभी यहां खड़े होकर मैं यह उलाहना नहीं दूंगा कि राजस्व मंत्री टैक्स न लगायें। हमारी हालत अच्छी हो, हम देने लायक हों तो हम टैक्स देंगे। जिन लोगों से आप टैक्स ले रहे हैं उन लोगों ने बाढ़ के समय में अगर उनके पास ४ पैसे थे तो एक पैसा अपने पड़ोसी की मदद के लिये दे दिया।

दूसरा विषय है लेकिन मैं माननीय राजस्व मंत्री से यह कहूंगा कि हम उनको तार देते रहे और जमींदारी उन्मूलन के बाद जो सारा पैसा उनके पास आया है उसमें से हम कुछ खर्च न करा पाये। गांवों से अगर आप पैसा खींचते हैं तो आपको गांवों में पैसा पैदा कराना चाहिये। अगर हमारा उत्पादन न बढ़ा, कर देने की क्षमता न बढ़ी तो समूचे संसार में जो प्रतिक्रिया होती है वही प्रतिक्रिया यहां भी होगी। मैं उस प्रतिक्रिया के रोकने का हामी हूं इसलिये मैंने यह बात कह दी।

श्री व्रजभूषण मिश्र—मैं प्रस्ताव करता हूं कि प्रश्न उपस्थित किया जाय।

श्री रामनारायण त्रिपाठी (जिला फैजाबाद)—अभी बहुत से बोलने वाले हैं।

श्री उपाध्यक्ष---काफी लोग बोल चुके हैं।

राजा वीरेन्द्रशाह---आज पहली दफा इस पर बहस हो रही है। इसलिये बहस का और मौका मिलना चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष---ठीक है मैंने इस पर काफी गौर कर लिया है। इस पर बोलने का काफी मौका मिल चुका है। अब मैं इस पर सदन की राय लिये लेता हूं।

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश कृषि-आय-कर (संशोधन) विधेयक, १९५४ पर सामान्य वाद-विवाद समाप्त किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और हाथ उठा कर विभाजन होने पर निम्नलिखित मतानुसार स्वीकृत हुआ :---

पक्ष में---१२४

विपक्ष में---१५)

श्री चरण सिंह---उपाध्यक्ष महोदय, आज माननीय गेंदा सिंह जी ने बहुत सी बातें इस रुपये के सदुपयोग के बारे में कही हैं, उस सिलसिले में गन्ना सम्बन्धी बहुत से प्रश्न उन्होंने उठाये हैं उनके बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहता और मैं समझता हूं कि जो कुछ भी उन्होंने इस सम्बन्ध में कहा उसका कोई भी वास्ता इस बिल से नहीं है। इसलिए मैं उन तमाम बातों का जवाब देकर सदन का समय नष्ट नहीं करना चाहता। मैं यह मानता हूं कि दिल से तो वह इस बिल के शत प्रतिशत समर्थक हैं लेकिन चूंकि वह बैठे हैं विरोधी दल में तब यह कैसे हो सकता है कि वह 'अलिफ' से 'बे' तक सब बातें गवर्नमेंट के हक़ में कह जायें और उधर बैठे रहें लिहाजा उन्होंने दो चार फिकरे खैर के कहे और बाद में उन्होंने बददुआ देनी शुरू की। मैं उनकी मुश्किल को पहचानता हूं और उनके साथ हमारी हमदर्दी है लेकिन साथ ही मैं उनकी इस बात की तारीफ़ भी करता हूं कि उनके मन में जो कुछ भी बातें थीं, चाहे वह कितनी ही असम्बंधित थीं गैर मुताल्लिक थीं या इर्रिलेवेण्ट थीं, वह अपने में इतनी खूबी से रखते हैं कि वह उनको वक्त बेवक्त, मौके बे मौके दिन रात किसी वक्त भी कहने में चूकते नहीं हैं।

जो दो चार बातें दोस्तों ने कहीं हैं और उठाई हैं उनके सिलसिले में मैं आपकी इजाजत से निवेदन करना चाहता हूं। पहली बात तो यह है कि एक आम ख्याल यह है कि केवल किसानों पर ही नहीं बल्कि गरीब किसानों पर टैक्स लगाया जाता है और उनके लिए हमारे दिल में जो हमदर्दी है हम कभी-कभी उसमें बह जाते हैं। पहली बात तो हमें यह सोचना है कि टैक्स आयेंगे तो कहां से आयेंगे। हममें से हर एक मानता है और तकरीरों में सबको इक़बाल भी है। किसानों की तादाद ही यहां ज्यादा है और वह हमारे सूबे में देश के औसत से भी कहीं ज्यादा हैं, हमारे यह साढ़े ६७ फीसदी किसान खेती पर बसर करते हैं, ६-७ फीसदी दूसरे कामों में हैं और इस तरह से कुल ७४ फीसदी हो जाते हैं। सोचना है कि इस देश में जो टैक्स आयेगा स्टेट गवर्नमेंट के पास या केन्द्रीय सरकार के पास, सेंट्रल की बात नहीं लेकिन स्टेट गवर्नमेंट के पास जो टैक्सेज आते हैं वह तो ६७ फीसदी किसानों से ही ज्यादातर आते हैं। क्या कोई ऐसी तरकीब हो सकती है कि इन किसानों से टैक्स न लिया जाय और देश का काम चल जाय? ऐसी तरकीब कोई नहीं बताई गई, हां, कभी-कभी इशारा कानपुर के मिलमालिकों की तरफ हुआ लेकिन उनकी तादाद कितनी सी है और अगर उनसे एक बार इतना टैक्स ले लिया जायगा जिससे उनका काम ही बन्द हो जाय तो फिर दूसरे साल किससे लोगे? कभी किसी ने यह हिसाब नहीं लगाया

कि अगर उनसे सब रुपया भी ले लिया जाय तो आया उससे भी काम चल सकता है या नहीं। पूरा रुपया लेने से फैक्टरियां चल सकती हैं या नहीं और नहीं चलेंगी तो आगे के सालों में फिर रुपया कहां से आयेगा। अगर आप उनको बन्द करना तय कर दें तब दूसरी बात है। लेकिन यह सब एक वैग सी फीलिंग है। किसान गरीब है, उसकी गरीबी से मुझे भी इन्कार नहीं है, लेकिन अगर गरीबी है तो उससे टैक्स न लिया जाय तो फिर रुपया लाया कहां से जाय। हम सब तो जिम्मेदार लोग यहां हैं। अगर ऐसी बात वह कहें कि जिनको सार्वजनिक प्रश्नों से वास्ता नहीं है, जिनकी जिम्मेदारी नहीं है, जिनको इन प्रश्नों में जाने की और अध्ययन करने की आवश्यकता नहीं है और जिनके लिये व्याख्यान देना जरूरी है वह बाहर कहीं ऐसी बात कहें तो कहें और वह बात कुछ समझ में आ सकती है। लेकिन जो लोग इस विधान सभा में, इस विधान मंडल में बैठते हैं, सार्वजनिक प्रश्नों पर विचार करते हैं, जिनके सामने सब साहित्य मौजूद है, सब साधन मौजूद है और जो हमारी जनता की इच्छाएं हैं वे भी मौजूद हैं, जो हमारे सरकनस्टांसेज हैं वे भी सब मौजूद हैं तो हमें सोचना यह है कि आखिर हम क्या करें, केवल नुक्ताचीनी से काम नहीं चलता। किसान गरीब हैं, माना आप एक बार मानते हैं, मैं दो बार मानता हूं। फिर किसी से टैक्स न लें तो काम नहीं चलता।

(इस समय ४ बजकर २२ मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुये।)

एक बात जो टैक्स के बारे में आम कही जाती है उसकी ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं और वह यह है कि सन् १९१७ की रूस की क्रान्ति के बाद वहां के किसानों से जबरदस्ती गल्ला वहां की गवर्नमेंट ने लिया था कम दामों पर। जो मार्केट प्राइसेज थी, जो रूलिंग प्राइसेज थीं, जो बाजार के भाव थे उस पर नहीं अपने मुकर्रर किये हुये दाम पर लिया था और जब उन लोगों ने इस पर रिवोल्ट किया तो कलेक्टिव फार्म कायम करने की वजह यही थी कि गवर्नमेंट का कंट्रोल किसानों पर ज्यादा हो जायगा और किसानों से बसहूलियत गवर्नमेंट अपनी इच्छाएं पूरा करा सकेगी। तो कम दामों पर गवर्नमेंट ने अपने स्टोर्स में अपने खजाने में किसानों का गल्ला लिया और उसी गल्ले को बढ़े हुये दामों पर दूसरे देशों में बेचा। गवर्नमेंट ने अपना ट्रेड किया और उस गल्ले की वजह से मशीनें आईं जिसकी वजह से यू० एस० एस० आर० का इंडस्ट्रीलाइजेशन और मिकैनाइजेशन हुआ तो गल्ले को कम कीमत पर लेकर इस सूरत से तो उन्होंने टैक्स लिया। मुल्क गरीब था और अब भी मैं नहीं मानता कि वह बहुत अमीर हो गया। अब भी जो पश्चिमी देशों में उन्नतिशील देश हैं उनके मुकाबिले में रूस कहीं पीछे है लेकिन बेशक जो पहले हालत थी उससे हालत अच्छी है। तो कहने का मतलब यह है कि जैसा मुख्य मंत्री जी ने कहा था कि देश गरीब है और इसी देश की गरीबी में से रुपया निकाल कर गरीबी को दूर करना है। अब उसके लिये बेहतरीन से बेहतरीन तरीके निकाले जायं जिससे कम से कम तकलीफ हो। तो हमें रुपया किसानों से लेना है, इसके अतिरिक्त कोई और चारा नहीं है क्योंकि वही प्रोडयूसर आफ वेल्थ हैं। वेल्थ बहुत कम है लेकिन जो कुछ पैदा होता है वही प्रोडयूस करता है और इसीलिये अन्ततोगत्वा टैक्स उसी पर पड़ता है। इसके अतिरिक्त कोई चारा भी नहीं है।

जहां तक इस एग्रीकल्चरल इन्कम टैक्स के मसले का सम्बन्ध है तो यह कहां तक किसानों पर पड़ता है। अध्यक्ष महोदय, अगर मेरे मित्रों ने हिसाब लगाया होता, माननीय वीरेन्द्रपति जी ने, माननीय शम्भूनाथ जी चतुर्वेदी ने या माननीय सीताराम जी शुक्ल ने हिसाब लगा लिया होता तो शायद जो बातें उन्होंने कहीं वह न कहते। इसमें शिकायत यह है कि जो परते का लगान है किस खाते का है। उसका साढ़े बारह गुना तो उसकी आय का अनुमान किया जायगा और उसके पश्चात् वह उनके

[श्री चरणसिंह]

पास भेजा जायगा कि राज्य कर्मचारियों के हिसाब से आपकी इतनी आमदनी बैठती है। इसके बाद क्या आपत्तियां हुई इसको बाद में अर्ज करूंगा लेकिन मैंने बतलाया है कि जो आय का अनुमान होगा वह परते का लगान तो साढ़े बारह गुना होता है बंदोबस्त में और वह बड़ी इन्क्वायरीज के बाद बहुत विस्तारपूर्वक खोज, तहकीकात के बाद लोगों को बड़ा मौका मिलता है हर आदमी को तब परते का लगान तय होता है और आज वह तय नहीं हुआ, बरसों पहले, २० साल पहले और कहीं ४० साल पहले मसलन् बुन्देलखंड में १७ से अब तक नहीं हुआ, तब भाव कम थे उस समय से परते का लगान है तो वह परते का लगान जमीन की हैसियत से तय होता है और अगर कहीं जमीन कम हैसियत की है, उसकी कुव्वत उर्वरा शक्ति कम है तो परते का लगान कम होता है क्योंकि परते के लगान के गुने को हमने अनुमानित आय माना है। तो जिस क्वालिटी की जमीन है उससे उसकी आमदनी का अनुमान आया, वह कम हो या ज्यादा। अब सारे सूबे की जमीन का जो औसत लगान पड़ता है, परते का लगान जिसको मैं कहता हूं सैक्सण्ड रेट, वह ५.८ रुपया फी एकड़ है। साढ़े बारह गुने से इसको जरब दे दीजिये तो साढ़े बहत्तर रुपया आमदनी हुई टैक्स लगाने के लिये। अब तक का मेरे डिपार्टमेंट का तजुर्बा यह है काम करने का और यह तो रेवेन्यू डिपार्टमेंट से तय होता है, लेकिन ऐग्रीकल्चर डिपार्टमेंट जो है उसके संचालकों और अधिकारियों का यह कहना है कि औसतन जितनी आमदनी किसान को होती है उसमें से ४० फीसदी खर्च हो जाती है। ६० फीसदी पर हमको टैक्स लगाना है। तो अगर साढ़े बहत्तर रुपये को ६० फीसदी आमदनी मान लें तो एक एकड़ की आमदनी १२० रुपये होती है। तो अध्यक्ष महोदय, मैं नहीं समझता हूं कि कोई भी सदस्य यह कहने को तैयार होगा कि १२० रुपये से औसत आमदनी एक एकड़ की कम है। ठीक है, बुन्देलखंड में कम है। लेकिन अगर वहां कम है तो वहां की औसत आमदनी १२० रुपये हमारे हिसाब से बैठती नहीं। ५.८ रुपये पर एकड़ औसत मानते हैं लेकिन वहां का औसत तो २.९७ है और इस तरह से आमदनी ६० रुपया ही हुई। तो क्या बुंदेलखंड में एक एकड़ की औसत आमदनी ६० रुपये सालाना भी नहीं है। मैं समझता हूं कि है। तो जब एक एकड़ की औसत आमदनी साढ़े बहत्तर रुपया बैठी और ४,२०० रुपये पर हमें टैक्स लगाना है तो ४,२०० को साढ़े बहत्तर से तकसीम कर दीजिये। ५८ एकड़ औसत खेती पड़ी कि जिस पर कोई टैक्स नहीं लगा। कहीं ५५ एकड़ पर और कहीं ५८ पर और कहीं ७० और ८० एकड़ पर टैक्स नहीं लगा।

जहां तक बुन्देलखंड का ताल्लुक है वहां तो ११५ एकड़ पर भी टैक्स नहीं लगा। तो मैं, अध्यक्ष महोदय, आपकी इजाजत से यह अर्ज करना चाहता हूं कि औसत सारे सूबे का अगर ५८ एकड़ मैं मानता हूं तो ५८ एकड़ तक क्या सारे किसान, जिसको किसान कहते हैं और जिसके लिये हमारे दिल में हमदर्दी का दरिया उमड़ा पड़ता है, वह सब नहीं आ जाते हैं ? मैं उस दरिया में नहाने को वीरेन्द्रपति जी के साथ तैयार हूं और मानता हूं कि किसान गरीब है, भूखा है, लेकिन देखना यह है कि हम जो कुछ करने जा रहे हैं उसमें ५८ एकड़ तक का किसान तो आता नहीं और इसके बाद कितने किसान ऐसे हैं कि जिनके पास ५८ एकड़ से ज्यादा जमीन है ? मैं समझता हूं कि ९९.९९९९ शायद ऐसे किसान होंगे कि जिन पर टैक्स नहीं लगेगा। अगर ५८ एकड़ से ज्यादा पर भी टैक्स न लगाना हो तो शायद बेहतर यह होगा कि हम लोग टैक्स लगायें ही नहीं।

फिर, अध्यक्ष महोदय, एक माननीय मित्र ने कहा कि हिसाब नहीं रख सकते। ठीक है, नहीं रख सकते लेकिन किसान नहीं रखते, मामूली किसान नहीं रखते। लेकिन जिस आदमी के पास ५८ एकड़ से ज्यादा जमीन हो, ३०० बीघा जमीन हो और

१०० बीघा पुख्ता जमीन हो, क्या वह भी हिसाब नहीं रखता? अगर नहीं रखता तो रखना चाहिये । पढ़ा-लिखा आदमी होगा, उसके पास ट्रैक्टर भी होगा, तकाबी ली होगी, कानून जानता होगा, अखबार पढ़ता होगा और कई मजदूर रखता होगा तो ऐसे आदमी को अवश्य हिसाब रखना चाहिये। हमारा संशोधन विधेयक यह कहता है कि गवर्नमेंट की तरफ से उसके पास एक अनुमानित आय है जो एक हिसाब से बैठती है, लेकिन वह समझता है कि इतनी आमदनी उसकी नहीं हुई तो वह हिसाब पेश कर दे, उसके लिये दूसरा रास्ता खुला हुआ है। हो सकता है कि मेरे आंकड़ों में कोई फैलिसी हो, अगर कोई है तो मैं जानना चाहूंगा। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर कोई बात है तो उसके लिये दूसरा रास्ता खुला हुआ है। अगर उसकी आमदनी दस गुनी हुई है, साढ़े पांच गुनी हुई है या बिल्कुल नहीं हुई है तो टैक्स नहीं लगेगा तो कोई शिकायत का मौका मैं समझता हूं कि नहीं रहेगा।

माननीय मित्र श्री महीलाल जी जो मुरादाबाद से आये हैं उन्होंने कहा कि ४० प्रतिशत असेसी से कम हो जायगा। उन आंकड़ों को शायद मुझे दुहराने की जरूरत पड़ेगी, इस समय श्री गेंदा सिंह जी चले गये हैं, कल जब उनका प्रस्ताव आयेगा। मैं मोटी सी बात बतलाये देता हूं कि १४ हजार बल्कि साढ़े तेरह हजार ऐसे आदमी थे जिन पर टैक्स लगा है ३० एकड़ से ज्यादा वालों पर पिछले साल और अब जब कि हमने ३,००० से ४,२०० रुपया कर दिया तब तो बमुश्किल तमाम केवल सात हजार सारे सूबे में ऐसे रहते हैं जिन पर टैक्स लगता है और वह लोग ऐसे हैं जिनके पास ५८ बीघे से ज्यादा भूमि है। अगर वह भी नेशनल एक्सचैकर को कंट्रीब्यूट न करेंगे तो फिर कौन करेगा ?

मैं समझता हूं कि इसमें दो रायें नहीं हो सकती हैं। भूमि वितरण से इसका वास्ता केवल इतना है कि जो दूसरे कारखाने वगैरा हैं, अभी माननीय शम्भूनाथ चतुर्वेदी ने फरमाया कि नान ऐग्रीकल्चरिस्ट पर जो इंकम टैक्स है, उससे ज्यादा है। मैं उन आंकड़ों को सदन में पेश करूंगा। सेंट्रल इन्कम टैक्स की टेबिल पेश करूंगा और इसको पेश करूंगा, जिससे साबित हो जायगा कि कम है या ज्यादा है। लेकिन मैं बहस के लिये मान लेता हूं कि सेन्ट्रल इन्कम टैक्स से यह ज्यादा है तो सवाल पूछा जाता है कि ऐग्रीकल्चरिस्ट पर क्यों यह टैक्स लगाया जाता है तो मैं अर्ज करना चाहता हूं कि उस ऐग्रीकल्चरिस्ट पर जिसके पास ५८ बीघे से ज्यादा भूमि है उस पर लगता है तो उसकी एक वजह है। भूमि कुदरत की बनाई हुई है और कारखाने आदमी के बनाये हुये हैं जिसमें नान ऐग्रीकल्चरिस्ट्स को आमदनी होती थी और यह भूमि नेशनल असैट है। अगर किसी के पास भूमि का बेजा रकबा है तो उसकी जिम्मेदारी बनिस्बत उसके जिसने ईंट पर ईंट रख कर अपने परिश्रम से कारखाना बनाया उसके मुकाबले में ज्यादा है और उसे नेशनल ऐक्स चेकर को ज्यादा कंट्रीब्यूट करना चाहिए।

श्री शम्भूनाथ चतुर्वेदी---लेकिन जो स्पैकुलेटर्स तथा कमीशन एजेन्ट्स वगैरा हैं वह क्या बनाते हैं ?

श्री चरण सिंह--जो मिडिल मैन हैं उनके साथ मेरी कोई हमदर्दी नहीं है। लेकिन जो सेंट्रल इन्कम टैक्स है, वह तो मिडिल मैन पर और ब्रोकर वगैरह पर बहुत ही कम लगता है। वह ज्यादातर पड़ता है इंडस्ट्रिअलिस्ट्स पर, वह आदमी जो अपनी बुद्धि के बल पर कुछ देश की दौलत में इजाफा करता है । खैर, लेकिन मैंने तो यह कहा कि मैं इस दलील को भी छोड़ देता हूं। मैं यह आपकी इजाजत से अर्ज करना चाहता हूं कि आया क्या वाकई यह ज्यादा है या नहीं। माननीय शम्भूनाथ जी ने जो आंकड़े देखे होंगे वह सेंट्रल इनकम टैक्स की जो शुरू की दर है, सिर्फ उसी को देखा होगा। लेकिन अगर वह उसको ध्यान से पढ़ें तो मालूम होगा कि यह उससे ज्यादा नहीं है। उनका

[श्री चरणसिंह]

सुपर चार्ज और सुपर टैक्स दोनों अलग-अलग हैं। उनके यहां १,५०० तक कोई टैक्स नहीं है, हमारे यहां भी १५ सौ तक कोई टैक्स नहीं है। १५ सौ से ऊपर ५ हजार तक एक आना टैक्स है। ए० आई० टी० का और सेंट्रल इनकम टैक्स साढ़े नौ पाई है। ढाई पाई का फर्क है। आगे चल कर ५ हजार से १५ हजार तक हमारा टैक्स दो आने है, २४ पाई है और सेंट्रल इनकम टैक्स ५ हजार से दस हजार तक २२ पाई और दस हजार से १५ हजार तक ३८ पाई है। यह ५ हजार से १५ हजार तक २४ पाई पड़ता है और सेंट्रल टैक्स २२ पाई से ३८ पाई तक पड़ा है। अगर औसत निकालें तो ३० पाई पड़ेगा। यानी ढाई आना पड़ा। वहां सरचार्ज और सुपर टैक्स दोनों को लगाया जाता है। हमारे यहां न सुपर टैक्स है और न सरचार्ज है। तो यह उनके ३० पाई की जगह हमारा २४ पाई है। अगर हमारा वह ढाई पाई का ज्यादा है तो यह उनका दो पैसे ज्यादा है। फिर १५ हजार से २५ हजार तक हमारा टैक्स ज्यादा है। लेकिन उनका सरचार्ज और सुपर टैक्स मिला करके सवा चार आने पड़ता है, एक पैसा फिर ज्यादा है। आगे २५ हजार से ३५ हजार तक हमारा आठ आने और उनका साढ़े सात आने है। ३५ हजार से ऊपर हमारे यहां दस आने है और उनके यहां आठ आने से साढ़े तेरह आने तक है। इसलिए यह किसी सूरत में नहीं कहा जा सकता कि सेंट्रल इनकम टैक्स ऐग्रीकल्चर इनकम टैक्स से कम है।

अब रहा यह कि भूमि वितरित होगी या नहीं होगी। उसके मुताल्लिक मैं यह कहना चाहता हूं कि आज हमारे देश की भूमि की पैदावार कम है दूसरे देशों के मुकाबले में। तो जिन लोगों के पास भूमि ज्यादा है और उन्हीं पर यह टैक्स लग रहा है, उनके पास ट्यूबवेल भी होंगे, उनके पास टैक्टर भी होंगे, वह पढ़े-लिखे भी होंगे तो ज्यादा भूमि जब लिए बैठे हैं तो उनको पैदावार बढ़ानी चाहिए। अगर यह कहा जाय कि उतनी पैदावार नहीं होगी तो यह उनकी गफलत है, उनकी उदासीनता है, उनकी नाकाबलियत है और यह कोई वजह नहीं है कि उन पर टैक्स घटाया जाय। दरअसल हमारे यहां की पैदावार दूसरे देशों के मुकाबले में आधी और तिहाई है। तो अगर वह निकम्मे साबित होते हैं, जमीन को खाली रखकर छोड़ देते हैं, खेती अच्छी तरह से नहीं करना चाहते और फिर वह मजबूर होते हैं इस टैक्स न देने पर और यही तरकीब उनकी समझ में आती है कि अपनी जमीन बेंच दें ताकि टैक्स उनको न देना पड़े तब तो दूसरी बात है। लेकिन यह टैक्स ऐसा नहीं है कि कोई समझदार, अक्लमन्द और शऊरदार किसान हो और खेती करना अच्छा जानता हो, तो उस पर यह बोझ हो जाय और अध्यक्ष महोदय, अगर कोई किसान ऐसा है कि वह सदुपयोग अपनी भूमि का नहीं करता है और अपने साधनों का नहीं करता है और जमीन उसके पास ज्यादा है तो मैं उसके लिए आंसू बहाने के लिये भी तैयार नहीं हूं कि वह टैक्स न दे और उसको जमीन अपनी बेंचनी पड़ी। एक बात यह कही गयी है इस सिलसिले में और माननीय राजा वीरेन्द्रशाह साहब ने कहा कि जवाहरलाल जी ने यह कहा है कि बड़ा अच्छा फार्म है, बड़ी अच्छी पैदावार होती है। उनकी तबियत बड़ी खुश हुई। तो हम कब चाहते हैं कि पैदावार न हो। जिस फार्म को देख कर जवाहरलाल जी खुश हुए उसकी पैदावार १२० रुपया फी एकड़ से कम हो, यह नहीं हो सकता। उसकी पैदावार शायद २५० या ५०० रुपया फी एकड़ होगी और यदि ऐसा कोई फार्म है बड़ा, कि जिसकी १२० रुपया फी एकड़ भी पैदावार नहीं है तो वह फार्म नहीं रहना चाहिये।

राजा वीरेन्द्रशाह—मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं। जो इस प्रान्त में ऊसर जमीन थी, जो ऐसी थी कि किसी भी हालत में जोती नहीं जा सकती थी, उसको ठीक करने में जो खर्चा हुआ उसके ऊपर भी आप इसे ठीक समझते हैं?

श्री चरण सिंह--ऊसर जमीन की जो बात कही जाती है कि ऊसर जमीन में भी क्या १२० रुपया फी एकड़ हो जायगा ? नहीं होगा। इसीलिये १८ जुलाई, १९५३ को गवर्नमेंट की तरफ से एक आदेश जारी हुआ था कि जिन लोगों ने नयी तोड़ की है उनको सहूलियत देते हुए कल्टिविएबिल लैंड है यानी काबिल काश्त जमीन है, लेकिन जेर काश्त नहीं थी और ऐसी जमीन तोड़ी गयी है तो पहले साल कोई टैक्स नहीं, दूसरे साल साढ़े बारह के बजाय मल्टिपिल चार है, तीसरे साल छः, चौथे साल ८, पांचवें साल १० और छठे साल जाकर साढ़े १२ गुना हुआ और जो बिल्कुल ऊसर थी और काबिल काश्त नहीं थी और रिक्लेम की गयी है तो उस पर तीन साल तक कोई टैक्स नहीं था, चौथे साल उस पर दो मल्टिपिल हैं, पांचवें साल ४, छठें साल ६, सातवें साल ८, आठवें साल १० और नवें साल जाकर के हमने उसको माना है कि वह साढ़े बारह होगा जब कि काम के लायक स्वाइल की क्वालिटी जरूर हो जायगी। अब अगर इस तरह से जमीन तोड़ी है कि जो काबिल काश्त नहीं थी और कर्ज पर ट्रैक्टर लेकर तोड़ी है तो उनको हमने सहूलियत दी है। उन पर तभी लगेगा जब ६ साल और ९ साल गुजर जायं। अगर ९ साल के बाद भी जमीन को अच्छी नहीं बना सकते तो राजा साहब खुद ही उस जमीन को छोड़ देंगे।

राजा वीरेन्द्रशाह--क्या मंत्री जी यह करेंगे कि कोई इक्वायरी इस पर बैठा लें कि जहां जहां फार्म नये बने हैं और जिन पर उन्होंने रुपया लगाया है वह उनको कितने में पड़ा ? किस तरह से खर्चा हुआ ?

श्री अध्यक्ष--अब मैं प्रश्न पूछने की इजाजत बार-बार नहीं दूंगा।

श्री चरण सिंह--मैं आपकी इजाजत से एक बात कहना चाहता हूं, जिसे राजा साहब कहने की इजाजत दे देंगे। दरअसल राजा साहब को अभी तक कोई टैक्स ही देने की आदत नहीं रही है। पुराने जमाने से रेवेन्यू फ्री थी, लिहाजा आदत की बात में कह रहा हूं कि जिस आदमी को देने की आदत पड़ी रही है एक रुपया फी एकड़, वह अठारह आने देने में बुरा महसूस नहीं करेगा, लेकिन जो माफ होता है उसे दो आने देते हुए भी बड़ा बुरा लगता है। तो मैं राजा साहब की मनोवैज्ञानिक कठिनाई को मानता हूं।

जहां तक यह बात माननीय वीरेन्द्रपति यादव ने कही और दो तीन कठिनाइयों की ओर मेरा ध्यान आकर्षित किया कि जिसकी बाबत खुद उन्होंने यह फरमाया कि नियमों के जरिये, कवायद के जरिये वह रफा की जा सकती हैं, तो वह अगर ऐसी कठिनाइंयां हैं तो मुझसे बात कर लें तफसील से और मैं उनको दूर करने की कोशिश करूंगा। लेकिन इस सिलसिले में एक बात उनकी इत्तला के लिये बतला देना चाहता हूं कि यह हमारे ऐग्रीकल्चरल इन्कम टैक्स का जो तरीका था असेसमेंट का और इसके खिलाफ अपील करने का यह जुडीशियल प्रोसेस था और सेंट्रल इन्कम टैक्स का जो तरीका है वह एग्जिक्युटिव प्रोसेस है। माननीय वीरेन्द्रपति यादव और उनके साथियों ने जब १९४८ में टैक्स लग रहा था तो इन लोगों ने कहा था कि हमको एग्जीक्यूटिव आफिसर्स पर विश्वास नहीं है। इसको बिल्कुल जुडीशिअल प्रोसेस बना दें। जब जुडीशिअल प्रोसीडिंग्ज हो गयीं तो जिस तरह से और मुकदमों में दरख्वास्त दो तब नकल मिलती है उसी तरह से इसमें भी होगा। इसलिये स्टैम्प लगाने की जरूरत पेश आयी।

श्री वीरेन्द्रपति यादव--जुडीशियल प्रोसीडिंग्ज इन्कम टैक्स में भी है।

श्री चरण सिंह--उसकी मुझे तफसील नहीं मालूम है, लेकिन हमारे कानून और केन्द्रीय कानून में बहुत कुछ अन्तर है। इसलिए कुछ मजबूरी है, अगर रूल्स में थोड़े से संशोधन से काम चल जाय तो मुझे उन कठिनाइयों को दूर करने में बड़ी खुशी होगी।

[श्री चरणसिंह]

अध्यक्ष महोदय, यों तो सब दोस्तों ने माना कि इस संशोधन के पास हो जाने के बाद बहुत सहूलियत हो जायगी। इसलिये मैं उस सिलसिले में कहना नहीं चाहता। बहुत ही ज्यादा सहूलियत हो जायगी। हमने तो बहुत ही गौर करने के बाद चार, पांच बातें रखी हैं। कठिनाइयां तो टैक्स देने में होती ही हैं और होती रहेंगी। उसका कोई इलाज नहीं है। फिर यह है कि कुछ ईमानदार आदमियों को प्रतिबन्ध इसलिये मालूम होता है कि दुनिया में सब ईमानदार आदमी नहीं। इसलिए कानून के दोनों पहलुओं को सामने रख कर चलना पड़ता है। जो आदमी अपने आप हिसाब लगा कर टैक्स जमा कर देता है, बिना असेसमेंट के, शायद ऐसे भी कुछ आदमी हों, यद्यपि बहुत कम होते हैं, उन लोगों के लिए वह प्रतिबन्ध, नियम, कायदा, मियाद और समात रखनी पड़ती है। लेकिन हमने उन कठिनाइयों को यथासम्भव दूर करने की कोशिश की।

जो भ्रष्टाचार वगैरह की शिकायतें थीं वह बिल्कुल नहीं रहेंगी। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके जरिये पूछना चाहता हूं कि क्या हममें से कोई चाहता है कि भ्रष्टाचार हो? हम सबकी कोशिश है कि उसे दूर करना है। इसीलिए यह किया गया। एक बात जो माननीय सीताराम जी ने उठायी थी वह यह है कि बाग-बगीचों पर टैक्स लगने से बड़ा नुकसान होता है। मेरे साथ उन्होंने अन्याय किया। देखें तो सही हमने रखा क्या है? वह तो करीब-करीब बरी हो रहे हैं। बाग-बगीचों पर हमने जो मल्टीपिल रखा है वह रेवेन्यू स्टैंडिंग कमेटी ने पास किया था और उसको भी हमने कम कर दिया है। उन पर तो नाममात्र का टैक्स है। गवर्नमेंट की नीति यह है कि बाग-बगीचे हमारे सूबे में लगें। आज करीब १३ लाख एकड़ जमीन में बाग-बगीचे हैं, हम चाहते हैं कि कम से कम ५० लाख एकड़ में हो जायं। उसके लिए जमींदारी अबालिशन ऐंड लैंड रिफार्म्स बिल में जो नीति बरती गयी है कोई आगे लगान पर जमीन नहीं दे सकता, तो जो कोई जमीन की हिफाजत चाहता है, चाहता है कि उसके बच्चों का उस पर कब्जा रहे तो वह बाग लगायेगा। हमारी तरफ से अफारेस्टेशन, वन महोत्सव की स्कीम चलती है। मेरी इत्तला है पिछले दो सालों में बहुत से बागात लगे हैं। इसीलिये अगर एक एकड़ पर ऐग्रीकल्चरल क्राप हो, उस पर जितना टैक्स लगेगा उसके मुकाबले में बागात पर बहुत कम टैक्स लगेगा।

इन शब्दों के साथ मैं जो माननीय मौर्य जी ने प्रस्ताव पेश किया है उसका समर्थन करता हूं।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश कृषि-आयकर (संशोधन) विधेयक, १९५४ पर जैसा कि वह प्रवर समिति द्वारा संशोधित हुआ है विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड २

संयुक्त प्रान्तीय २—१९४८ ई० के संयुक्त प्रान्तीय कृषि-आय-कर ऐक्ट (जिसे ऐक्ट संख्या ३, आगे चल कर मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा २ के खंड (३) में से १९४९ की धारा वर्तमान प्रतिबन्ध हटा दिया जाय।
२ में संशोधन।

श्री अवधेश प्रताप सिंह---माननीय अध्यक्ष महोदय मैं खंड २ जो इस विधेयक का इस तरह से है उसका विरोध करने के लिये खड़ा हुआ हूं "१९४८ ई० के संयुक्त प्रान्तीय कृषि आय कर ऐक्ट (जिसे आगे चल कर मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा २ के खंड (३) में से वर्तमान प्रतिबन्ध हटा दिया जाय।"

श्रीमन, यह जो खंड २ है इसके विरोध का मुख्य कारण यह है प्रतिबन्धात्मक खंड (ख) जो अंग्रेजी में इस प्रकार है---

"Provided that no person shall be appointed as a Commissioner or an additional Commissioner unless he qualified for appointment as a judge of a High Court under section 220 of the Government of India Act, 1935."

श्रीमन्, जैसा कि माननीय मुख्य मंत्री ने स्वयं यह स्वीकार किया है जब यह विधेयक इस सम्मानित सदन के सम्मुख १९४८ ई० में आया तो माननीय सदस्यगण इस विचार के थे कि जो एसेसिंग अथारिटी के निर्णय हैं वे ऐसे शख्स के सुपुर्द किये जायं जो जुडीशियरी का हो या जुडीशियरी के मामले से परिचित हो। श्रीमन्, यह तो ठीक है कि जब इस सम्मानित सदन का यह लक्ष्य रहा कि इसका रिवीजन या अपील किसी ऐसे व्यक्ति के पास न हो जो एक्जिक्यूटिव का हो तो फिर अब कौन सी नई परिस्थिति उत्पन्न हो गई जिसके कारण माननीय मंत्री महोदय इस सिद्धान्त को तोड़ कर एक नई प्रथा कायम करना चाहते हैं और एक्जीक्यूटिव पर इतना अधिक भरोसा करना चाहते हैं। माननीय मंत्री इस सम्बन्ध में यह कह सकते हैं कि गवर्नमेंट आफ इंडिया ऐक्ट इस वक्त नहीं है लेकिन आज हमारे संविधान में ऐसे आर्टिकिल्स हैं जिनमें यह स्पष्टीकरण कर दिया गया है जिसके ढूंढने में माननीय मंत्री या ला डिपार्टमेंट को कोई कठिनाई नहीं हो सकती, उसमें यह साफ लिखा हुआ है कि ऐसे मामले केवल उन्हीं को सुपुर्द किये जायं जो हाई कोर्ट के जज होने की योग्यता रखते हों। बहुत सी जगहों पर सीनियर एडवोकेट्स हैं जिनकी दस साल की प्रैक्टिस है, वे भी लिये जा सकते हैं। अगर यह कहा जाय कि हम इस कारण से हटाना चाहते हैं कि उनके पास काम बहुत अधिक बढ़ गया है, लखनऊ में एक ही अधिकारी है। तो अगर इतना काम है और वह ऐसी जगह पर है जो दूर पड़ती हैं और जहां पर हर एक आदमी का पहुंचना कठिन हो जाता है तो इसी अधिनियम के अनुसार दूसरा हल भी है और फिर कोई कठिनाई न होगी। एडीशनल कमिश्नर्स मुकर्रर किये जा सकते हैं। लखनऊ में ही नहीं बल्कि ७-८ और जगहों पर जहां वे अपीलें सुन सकें। जहां तक यह प्रश्न है कि एक्जिक्यूटिव किसी मामले का इंटरप्रिटेशन जुडीशियरी से अच्छा कर सकती है तो मैं समझता हूं कि यह भारतीय जुडीशियरी पर कलंक होगा। जिस भावना के साथ सन् ४८ में जुडीशियरी के आदमी को यह काम सुपुर्द किया था आज माननीय मंत्री उसके खिलाफ कोई कारण नहीं बतला पाये कि किस करण से यह संशोधन लाया गया है। उद्देश्य और कारणों में इस संशोधनों के लिये जो तर्क दिया गया है वह इस प्रकार है---उद्देश्य और कारण में यह है कि "इस समय केवल एक ही प्राधिकारी लखनऊ में अपीलों की सुनवाई करता है। लोगों की सुविधा को बढ़ाने के लिये यह प्रस्ताव है कि डिवीजनल कमिश्नरों को भी अपील सुनने का अधिकार दे दिया जाय"। श्रीमन्, मैं इसको पुनरावृत्ति नहीं करना चाहता और फैजाबाद डिवीजन में जो हुआ था उसको मैं अपने भाषण में बयान कर चुका हूं। एक डिवीजनल कमिश्नर यह कह सकता है कि साहब काम बहुत बढ़ा हुआ है और हर स्थान पर बढ़ा हुआ है और बहुत सी जगह एडीशनल कमिश्नर इस बात के लिये मजबूर हैं कि २०, २५ मुकदमे प्रतिदिन फैसला करना पड़ता है। वह बहुत ज्यादा निर्णय पर ध्यान नहीं देता है अगर वह निर्णय पर ध्यान दे तो यह हो सकता है कि इतने मुकदमे एक दिन में तय करना उसके लिये मुश्किल हो जाय।

श्री व्रजभूषण मिश्र---मैं वैधानिक प्रश्न उठाना चाहता हूं। श्री अवधेश प्रताप सिंह जो भाषण कर रहे हैं उनका तो संशोधन यह है कि खंड २ का उपखंड (२) निकाल दिया जाय।

श्री अध्यक्ष---अब तो संशोधन सिर्फ इतना ही है कि खंड २ निकाल दिया जाय।

श्री अवधेश प्रताप सिंह---अगर मेरे मित्र मेरी बात को कुछ ध्यान से सुनें होते तो उनको यह शिकायत न होती लेकिन वह मंत्री महोदय के पीछे बैठे हैं। शायद वह भी किसी चीज में मतवाले थे जिसकी वजह से उन्होंने ध्यान नहीं दिया।

जहां तक इस बात का प्रश्न है कि एडिशनल कमिश्नरों के हाथ में इस काम को दिया जाय तो वह हमारे लिये लाभदायक नहीं हो सकता है। एक्जिक्यूटिव के ऊपर सरकार का भरोसा हो सकता है परन्तु जनता के लिये आज जो कुछ समझ इस एक्जीक्यूटिव में थी वह सब खो चुकी है। ऐसा प्रतीत होता है कि जहां तक निर्णय का प्रश्न है उस हद तक इन लोगों की सारी शक्ति निर्माण में ही लग रही है। डकैती को भी लीग-लाइज फार्म दी जा सकती है। निर्णय के नाम पर आज सब कुछ किया जा रहा है। अन्य कार्य पर ध्यान नहीं दिया जाता है। केवल यही ध्यान है कि निर्माण हो। बहुत सी बातें ऐसी होती हैं कि विधान सभा में फिर आती हैं और उनकी पुनरावृत्ति होती है। इन शब्दों के साथ मैं इस खंड का विरोध करता हूं और आशा करता हूं कि माननीय मंत्री इस पर ध्यान देंगे और निर्णय के लिये जो हाई कोर्ट के जज हों उनको रखा जाय क्योंकि वह योग्य हैं। उनके फैसले में जनता को विश्वास है, आस्था है और उनके ऊपर भरोसा है और जनता वहां से निर्णय पासकेगी।

(इसके बाद सदन ५ बजे, अगले दिन ११ बजे तक के लिए स्थगित हो गया।)

लखनऊ,
२६ अगस्त, १९५४।

कैलासचन्द्र भटनागर,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न १६ का उत्तर पीछे पृष्ठ. ४०६. पर)

विकास योजनायें	तीन वर्ष का अनुमानित व्यय रु०
१—पशु-पालन योजनाएं—	
तीन भेड़ पालने के केन्द्र, छः स्टड रैम केन्द्र, तीन पोलटरी डिमान्सट्रेशन यूनिट्स चार भूटिया और गदहा स्टेलीयन केन्द्र, चार कोरेन्टयन केन्द्र और ट्रेनिंग योजना . . .	७,००,०००
२—बाग लगाने की योजनाएं—	
पांच मल्टी परपज फार्म बनाने की योजना है जिसमें एक आदर्श फल का बाग, फलों के पौदे की नरसरी, तरकारियों के बीज की नरसरी और नये फलों और जड़ी बूटियों आदि की नरसरी होगी। इस बात का प्रयत्न किया जायगा कि फलों के पौदे सस्ते दामों पर मिलें और बागबानी आदि में ट्रेनिंग भी दिये जाने का प्रबन्ध होगा . .	७,२५,०००
३—जड़ी-बूटियों और दवायों के पौदों की योजना—	
जड़ी बूटियों और दवाइयों के पौदों की नरसरी उनके बीज और पौदों आदि का प्रबन्ध किया जायगा। अच्छी-अच्छी दवाइयों को पहचानने, जमा करने और छांटने आदि के काम में भी ट्रेनिंग दी जावेगी एक Manufacturing प्लान्ट भी स्थापित करने की योजना है .	२१,५०,०००
४—काटेज इन्डस्ट्रीज	१८,३०,०००
५—कम्युनिकेशन (सड़कें)	१,४२,००,०००
६—शिक्षा प्रसार	६,७४,०००
७—मेडिकल सुविधाएं	७,६८,०००
८—शासन प्रबन्ध में खर्च	१,८७,०००
योग . .	२,१२,३४,०००

नत्थी 'ख'

(देखिये तारांकित प्रश्न १९ का उत्तर पीछे पृष्ठ ४१० पर)

धनराशि जो सन् १९५१-५२ में व्यय हुई

शारीरिक विकास अनुदान

क्रमांक	धन			पता
	रु०	आ०	पा०	
१.	२७४	७	०	मीरगंज पशु प्रदर्शनी में खर्च हुआ यह स्थान इस जिले के तहसील खलीलाबाद में है।
	४००	०	०	टेलीग्राम के द्वारा मंत्री शारीरिक विकास योजना, इलाहाबाद के पास भेजा गया।
	१५०	०	०	महेश्वरनाथ मेला में जो फाल्गुन शिवरात्रि में नुमायश की गई खर्च हुआ था। बस्ती तहसील और जिला बस्ती।
	२००	०	०	महिला मंगल योजना के लड़कियों की खेल प्रतियोगिता में इनाम तथा अन्य व्यय आदि में खर्च किया गया था जो हेड-क्वार्टर पर हुआ था बस्ती में।

नुमायश अनुदान

	२००	०	०	मीरगंज नुमायश में इस अनुदान से भी खर्च किया गया था।

कम्युनिकेशन अनुदान

	१४६	०	०	श्री देवीदीन ग्राम भग्गोभार पत्रालय नाथनगर, तहसील खलीलाबाद, जिला बस्ती।

सामूहिक जुर्माना

	१००	०	०	श्री अयोध्या प्रसाद ग्राम मधुकरपुर समीप डस्का बाजार, दिया गया।
	जोड़ १,४७०	७	०	

धनराशि जो सन् १९५२-५३ में व्यय भिन्न मदों में विभिन्न स्थानों पर हुई

लाइब्रेरी अनुदान

१	३९	१४	०	जीवा ग्राम के सभापति को दिया गया जो तहसील बांसी में है।

हरिजन वाटर सप्लाई ग्रान्ट

२	८	०	०	ग्राम डस्का, तहसील खलीलाबाद के श्री छबिलाल हरिजन को।
	४७५	०	०	ग्राम रामगढ़ उर्फ कठार, तहसील हरैया के श्री समयदीन हरिजन को दिया।

धनराशि जो सन् १९५२-५३ में व्यय भिन्न मदों में विभिन्न स्थानों पर हुई

क्रमांक	धन			पता
	रु०	आ०	पा०	
	१५०	०	०	ग्राम मौनापुर, तहसील हरैया के श्री ब्रजलाल हरिजन को।
	१५०	०	०	ग्राम दुवोलिया, पोस्ट जीतीपुर के श्री सुधरू हरिजन को।
	५००	०	०	ग्राम कटसई कलां, बांसी के श्री अनन्ता हरिजन को।
	४००	०	०	ग्राम नरही, बांसी के श्री हरिजन को।
	५००	०	०	विसनोहरपुर, पोस्ट महाराजगंज, तहसील हरैया के श्री कल्यन हरिजन को दिया गया।
	७५	०	०	ग्राम अमोढ़ा, हरैया के श्री गगई राम को।
	५००	०	०	ग्राम महुलानी, पं० नि० क्षेत्र मरवटिया के हरिजन कुआं के वास्ते श्री सत्यदेव ब्रह्मचारी को दिया गया।
	५००	०	०	ग्राम कृष्ण भगौती, तहसील सदर के श्री गजाधर हरिजन को।
	३००	०	०	ग्राम डस्का खुर्द, खलीलाबाद के श्री पल्टूराम को दिया गया।
	५००	०	०	ग्राम झीनरावाल तहसील खलीलाबाद के श्री जोखई हरिजन।
	१५०	०	०	ग्राम भकठाल, पो० चन्दहर, खलीलाबाद के श्री वैनाती हरिजन।
	४५०	०	०	बस्ती देवर, खलीलाबाद के श्री काशी को।
	१५०	०	०	ग्राम कुआं, तहसील बस्ती के श्री मुजेश्वर को।
	४२५	०	०	ग्राम बड़ओं, तहसील बांसी के बुद्धू को।
	४००	०	०	ग्राम हल्लौर, पोस्ट हल्लौर, डुमरियागंज के फतहू हरिजन।
	५००	०	०	ग्राम मैंसहिया, बस्ती के श्री शिवचरन हरिजन।
	१५०	०	०	ग्राम ताड़ी जौन, बस्ती के श्री पाले हरिजन।
	५००	०	०	ग्राम विक्रम जोत, हरैया के श्री दुक्खी हरिजन को।
	५००	०	०	ग्राम खदरा के श्री महंगू हरिजन।
	१५०	०	०	ग्राम ओनखास के श्री कल्पू हरिजन।
	३००	०	०	ग्राम होरिल, खलीलाबाद के श्री रामस्वास्थ।
	२००	०	०	ग्राम डस्का खुर्द, खलीलाबाद के श्री मोलहू राम।
	५००	०	०	ग्राम जाडीह बस्ती के श्री अलगू हरिजन।
	१६०	०	०	ग्राम माना श्री सतसनी हरिजन को।
	१६०	०	०	ग्राम माना श्री देवी शरन को दिया गया।
	३००	०	०	ग्राम छितरायार श्री रामलाल को दिया गया।
	१५०	०	०	ग्राम रामपुर बस्ती के श्री विदेशी हरिजन को।
३				प्रौढ़ शिक्षा के अनुदान
	१७	०	९	ग्राम जीवा, बांसी के सभापति जीवा।
	१७	०	०	ग्राम महतीनियां बुजुर्ग में पंचायत निरीक्षक द्वारा दिया गया।

क्रमांक	धन	पता
४		स्त्री शिक्षा का अनुदान
	रु० आ० पा०	
	२३ २ ०	जिला संग्रहक, महिला मंगल योजना, बस्ती।
५		स्काउट यूनिफार्म
	११९ ५ ०	ग्राम तिलकपुर के स्काउटों की वर्दी बनवाई गई।
६		अखबारों को अनुदान
	१२ ० ०	जीवा ग्राम सभा में दिया गया तहसील बांसी।
	४० ० ०	हैसरबाजार में दिया गया, खलीलाबाद तहसील।
	१२ ० ०	मगहर गांव सभा, तहसील खलीलाबाद बस्ती।
	२५ ० ०	सोहना गांव सभा, तहसील डुमरिया गंज, बस्ती।
	२८ १२ ०	चुइल काजी ग्राम सभा के लिए तहसील हरैया।
	११ ० ०	तलपुखा के लिए तहसील बांसी।
७		फूट कल्चर
	५ ११ ६	ग्राम सेखुई, तहसील बांसी के लिए।
८		खादी
	६० ० ०	जीवा ग्राम सभा के लिए पंचानन जी को।
९		नुमायश
	१५० ० ०	हरैया में नुमायश तथा सिंचाई मीटिंग के उत्सव के समय
१०		हरिजन हाउसिंग
	५,२७१ ० ०	जीवा हरिजन कालोनी के लिए पंचानन जी को दिया गया।
	२,७२४ १५ ०	वगहिया, वडगों, तहसील खलीलाबाद में दिया गया।
	१०० ० ०	सूसी कर महंसों के गंगादीन हरिजन को दिया गया।
११		तालाब की खुदाई
	५०० ० ०	लौटन के कुओं के लिए दिया गया, बांसी।
	६०० ० ०	दहला गांव के कुओं के लिए दिया तहसील बांसी।
	४०० ० ०	कोहरौरा गांव के कुओं के लिए डुमरियागंज।
	५०० ० ०	कठौलिया राम के गांव बांध पोखरा के लिये।
	१५० ० ०	लखनीपुर पोखरा तहसील हरैया के लिए दिया गया।
	५०० ० ०	खुसरूकलां पोखरां के लिए तहसील खलीलाबाद।
	२०० ० ०	सोवुई के प्राइमरी स्कूल के कुआं तहसील बांसी।
	३३० ० ०	राजाधरपुर पोखरा के लिए, तहसील खलीलाबाद।
	५०० ० ०	वरदहा के कुआं के लिए, बांसी के लिए।
	२०० ० ०	कपिया के दो कुओं के लिए।
	१५० ० ०	बभनी गांव के दो कुओं के लिए।
	२०० ० ०	जम्हीरियां के कुओं के लिए।
	४०० ० ०	जीवां के कुआं बनवाने के लिए दिया गया बांसी तहसील।

क्रमांक	धन			पता
	रू०	आ०	पा०	
	५००	०	०	झिन्नू राम को दभौती पोखरा, सदर तहसील के।
	२००	०	०	गाय घाट, साकिन महसों को दिया गया।
	४००	०	०	ग्राम विशुनपुरना, बस्ती तहसील को।
	१००	०	०	ग्राम पठखौली बाबू तहसील हरैया को।
१२				पेटी ग्रान्ट
	१००	०	०	जीवा के महिला मंगल योजना के अन्तर्गत चलने वाले स्कूल की मरम्मत के लिये।
	२३०	०	०	थान्हा खास के महिला मंगल योजना के अन्तर्गत चलने वाले स्कूल की मरम्मत।
	१००	०	०	भगता केन्द्र की मरम्मत जहां महिला मंगल योजना का है।
१३				कम्युनिकेशन ग्रान्ट
	२००	०	०	जीवा के पुलिया के लिए बांसी।
	३५०	०	०	हरिहरपुर के पुलिया के लिए तहसील खलीलाबाद।
१४				वाटर सप्लाई ग्रान्ट
	२६७	५	६	श्री जयमूरत सिंह का कुआं, बांसी।
	२००	०	०	सेखुई गांव का कुआं के लिये, बांसी।
	२००	०	०	विशुनपुरा के कुआं के लिए जो श्री सक्खुदास हरिजन।
	५००	०	०	टी० बी० अस्पताल समीप सदर अस्पताल बस्ती को।
	२००	०	०	पोखरा गांव तहसील हरैया के कुआं के लिए।
	४००	०	०	वालूशासन के कुआं के लिए, खलीलाबाद।
	३००	०	०	ग्राम खुरहना के डल्ला हरिजन के लिये।
	१५०	०	०	ग्राम मुरादीपुर, हरैया के लिए।
	२००	०	०	ग्राम रैठेनर, श्री निहाल हरिजन।
	२००	०	०	सन्तोषी हरिजन को दिया गया।
	१००	०	०	निरहू हरिजन को दिया गया।
	२००	०	०	पांडेपुर गोपाल हरिजन को जो खलीलाबाद को।
१५				सामूहिक जुर्माना
	२,०००	०	०	तेतरी बाजार के अस्पताल बनावाने के लिये अधीक्षक जिला बोर्ड को दिया गया।
	१००	०	०	मधुकरपुर के कुयें की दूसरी किस्त दी गई।
१६				शारीरिक विकास
	३९९	६	०	हेडक्वार्टर बस्ती में टूर्नामेंट हुआ।
	१८०	५	९	श्री रामभेज को दिया गया जो टियरी बनाया था।
	१९४	०	०	झूला काठ का बनाया गया तथा डम्बल का दाम परिसानथस-क्षार के स्टेशन के सामान लाने का है।

क्रमांक	धन			पता
	रू०	आ०	पा०	
	१४२	१४	६	फीबसन कम्पनी से वाली वाल का सामान मंगाया गया।
	४९	७	६	शिवहर्ष उपाध्याय को दिया गया टूर्नामेंट के समय इनाम के।
	३००	०	०	आने वाले लखनऊ खेलाड़ियों के वास्ते दिया गया।
	४३८	१२	०	स्टार लाइट कम्पनी से भी सामान मंगाया गया।
१७				हरिजन सहायक ग्रान्ट
	५४३	३	३	हरिजन कानफरेंस ३ स्थानों के लिए।
	५७	८	०	हरिजन कन्टेन्जेन्सी के लिए दफ्तर की कुर्सी मेज के लिए
	४५	०	०	स्टेशनरी हरिजन कार्यालय के लिए।
१८				डिस्क्रेशनरी ग्रान्ट (अ) एनीमल हसबेन्डरी
	९४९	४	०	ओसन सर्जीकल कम्पनी नयी दिल्ली से सामान (equipment) मंगाया गया।
१९ब	७०	४	०	स्माल पाक्स के बक्स बनाये गये।
२०स	९,९४३	१	०	एन्टी मलेरिया काम के सामान और दवाइयां मंगाई गईं।
२१ड				डिस्क्रेशनरी ग्रान्ट (द)
	१,५००	०	०	जीवा पंचायत घर के लिए।
	५००	०	०	पटेल अस्पताल के लिये।
	२०२	८	३	रफिया चेक के पंचायत घर के लिए।
	३००	८	०	कोठिला पंचायत घर के लिए।
	४००	०	०	सेखुई पंचायत घर के लिये बांसी।
	५००	०	०	गांधी औषधालय पोखरा हरैया के लिए।
	४००	०	०	पोखरा गांव के पंचायत घर के लिए।
	५००	०	०	ब्यारा पंचायत घर के लिए।
	४००	०	०	गौरियाने पंचायत घर के लिए।
	२५०	०	०	बडंरी बाबू पे० घर के लिए।
	१५०	०	०	रोहदा पंचायत घर के लिये।
	३००	०	०	भंडरिया पंचायत घर के लिये, डुमरियागंज।
	३००	०	०	विलवंट पंचायत घर के लिए, डुमरियागंज।
	५००	०	०	अमोहरा पंचायत घर के लिए, खलीलाबाद।
	५००	०	०	कुसौना पंचायत घर खलीलाबाद।
	५००	०	०	पंचायत घर विशुनपुर कछार के लिए खलीलाबाद।
	२५०	०	०	धरौली पंचायत घर के लिए, खलीलाबाद।
	५००	०	०	नन्दोर पंचायत घर के लिए, खलीलाबाद।
	१५०	०	०	कैथोलिया पंचायत घर के लिए, बस्ती।
	२५०	०	०	सेमरी पंचायत घर के लिए।
	५००	०	०	हरिहरपुर पंचायत घर के लिए, खलीलाबाद।

धनराशि जो सन् १९५३–५४ में व्यय किया गया

क्रमांक	धन			पता
	रु०	आ०	पा०	
	५००	०	०	सिससिया जूनियर हाई स्कूल के लिए हरैया।
	२२८	०	०	कटया पंचायत घर सदर।
	५००	०	०	बहादुरपुर पंचायत घर के लिए।
	२००	०	०	गौर पंचायत घर के लिए।
	२५०	०	०	सेमरी पंचायत घर मार्फत मनराज सिंह।
	२००	०	०	दुल्हा शुभाती पंचायत घर के लिए मारफ़त रामनारायन।
	२५०	०	०	पंचायत घर समोगर के लिए खलीलाबाद।
	१००	०	०	बलफका पंचायत घर के लिए।
	१५०	०	०	हैसर बाजार पंचायत घर के लिए।
	१५०	०	०	पेनहा कन्या पाठशाला के लिए हरैया।
	३००	०	०	मझंयन पुलिया के लिए बांसी।
	१५०	०	०	परबता पंचायत घर, खलीलाबाद।
	२५०	०	०	मीरगंज के कुआं के लिए जो प्राइमरी स्कूल के।
	४९५	३	४	फावड़ा मंगाने का सही किया गया और ट्रक चारजेज।
	५७५	०	०	मैनपुवार मोबिलाइजेशन को तहसीलों और नि० के।
	३००	०	०	बांसडिह कठौलिया के कुआं हरैया।
	२५०	०	०	महसों के सड़क के लिये।
२२				पब्लिसिटी ग्रान्ट
	६६	०	०	कैलासचन्द्र लिपिक सूचना कार्यालय को।
कुल व्यय	३६,९८१	९	४	

१९५२–५३

हरिजन मकान के लिये

२,७२५	०	०	फिजीकल कल्चर ग्रांट से दिया गया है।
१००	०	०	सुलीपार महथों मकान के लिए दिया गया है।

हरिजन इन्डस्ट्रीज ग्रान्ट

५००	०	०	पांचू राम हरिजन ग्राम पिकौरा को दिया गया।
५००	०	०	सुखई राम हरिजन, स्टेशन बस्ती रोड के लिये।
२५०	०	०	हवलदार हरिजन ग्राम मुसहा बरहपेड़ा को दिया गया।
३००	०	०	ग्राम जौगों श्री राम सुमिरन हरिजन को।
२५०	०	०	ग्राम श्री राम धोबी ग्राम केसवार पो० मगौवाभीर।
४			जनरल पबलिसिटी ग्रान्ट
७३	१२	०	सूचना को छोटी छोटी विलों का भुगतान किया गया
५			हरिजन वाटर सपलाई
२००	०	०	ठोका ग्राम का कुआँ
३००	०	०	वहिलपार का नया कुआं बाढूराम हरिजन

क्रमांक	धन			पता
	४५०	०	०	वानडाढ़ का कुआं धोलर हरिजन ।
	३००	०	०	रामपुर कुआं कश्री सुखराज हरिजन ।
५	१५०	०	०	दुक्खी हरिजन ।
	३००	०	०	वेलवरिया जंगल श्री लाल राम हरिजन ।
	१७५	०	०	रामेश्वर हरिजन, गाय घाट ।
	२५०	०	०	मलुआ ग्राम के श्री मोहन हरिजन ।
	१५०	०	०	कंचनपुर ग्राम का ।
	२५०	०	०	ग्राम पैहिया के श्री लल्ला प्रसाद ।
६				हरिजन सहायक ग्रान्ट
	४४५	३	६	हरिजन कन्फ्रेंस के लिये, सदर, और खलीलाबाद तहसील ।
७				डेवलेपमेंट ग्रान्ट
	५०	०	०	मुठही कला क मरम्मत के कुयें के लिये
	३५०	०	०	गिरधारी राम हरिजन को दिया गया
	१००	०	०	साडडिह कठौतिया के हरिजन को दिया गया
	२००	०	०	जंगल कठार श्री समयदीन हरिजन को दिया गया
	२५०	०	०	कोतढ़ा पंचायत घर के लिए
	३७८	०	०	पिकौरा कुआं का कुआं पानी के लिए
	२००	०	०	कोल्हुआ लकाड़ी का कुआं तहसील खलीलाबाद
	३३२	०	०	टुमरा रिवातन, हरैया बस्ती
	२,९४९	०	०	जीवा हरिजन कालोनी के लिये
	१५०	०	०	लक्खू हरिजन के लिये
	१००	०	०	सिरसिया जूनियर हाई स्कूल के पूरा करने के लिये
	१५०	०	०	परवता पंचायत घर के लिये खलीलाबाद
	२००	०	०	खुटइना ग्राम के कुआं डल्ल हरिगंज
	२५०	०	०	मरिगंज स्कूल के कुआं की पूर्ति
	५००	०	०	मदादल पंचायत घर के लिये हरैया
	१००	०	०	पन्डरी बाबू के पंचायतघर के लिये
	१५०	०	०	पेमहा कन्या पाठशाला के लिये
	७२	८	३	भगता कन्या पाठशाला के मरम्मत की पूर्ति
	२००	०	०	भमावज पुलिया के पूर्ति के लिये
	१००	०	०	पठखौली बाबू के कुआं के लिये
	१००	०	०	अमेड़ी ग्राम में पानी पीने के कुओं के मरम्मत के
	७५	०	०	ग्राम चौरी के कुआं के लिये
	५००	०	०	महसों हाई स्कूल के बनने के लिये
	१५०	०	०	तरयापार ग्राम श्री गोपाल हरिजन
	१,०००	०	०	जीवा पंचायतघर के लिये
	५२२	०	०	खोजवलिया ग्राम का २ कुओं की मरम्मत
	२००	०	०	गोपीपुर पानी पीने का कुआं
	१४०	०	०	दुमरां ग्राम का सिंचाई कुआं का मरम्मत
	१२६	०	०	केशवपुर के श्री दह पांडेय

क्रमांक	धन		पता	
	१३२	० ०	हरिहरपुर पुलिया के लिये	
	१३०	० ०	दाऊ जोत के कुआं का रुपया डुमरियागंज	
	१५०	० ०	नाडजोत के कुआं की मरम्मत बनाई का	
	१५०	० ०	कमसार के लिये श्री राम जी	
	४००	० ०	वानगंगा के बाल के लिये दिया गया	
८			पेटीग्रान्ट	
	२०७	४ ०	इनाम के लिए जो पिछले श्रम दान के लिए	
	२५०	० ०	नुमायह में इनामात दिये गये	
	२१५	७ ०	कैमरा मंगाया गया है।	
	७५१	२ ०	फावड़ा का दाम दिया गया	
	१,१५०	० ०	कम्युनिटी प्रोजेक्ट का व एन०इ० एस-ब्लाक की ओपनिंग सेरीमनी मनायी गयी	
	२९८	१४ ०	श्रीमती मोहनी देवी जिला सोष्टिव महिला मंगल योजना को जैसा दिया गया	
	३०२	० ०	नर्सरी खोलने के लिये दिया गया	
	६१२	० ०	टेप ४३ दिया गया खरीदा गया है	
	१७०	० ०	इस साल ५३–५४ में जो फावड़े और गैती आये उसके ट्रक चार्ज	
	६००	० ०	फावड़े के बेट के लिए	
	१२०	० ०	कुआं खोदे जाने का खर्च	
९			लोकल डेवलपमेंट ग्रान्ट	
	४,०००	० ०	संगरा स्कूल के बनने के लिये, डुमरियागंज	
कुल व्यय	२६,८७४	२ ९		

१९५३–५४

नत्थी 'ग'

(देखिये तारांकित प्रश्न २७ का उत्तर पीछे पृष्ठ ४१३ पर।)

क्र. सं.	गांव का नाम	रुपया	जिस कार्य के लिये दिया गया
१	तेहरी बाजार ..	३००	खिड़की घाट की बनवाई
२	बकसरा ..	१,०००	प्राइमरी स्कूल
३	महेशपुर ..	१६८	,,
४	महुई ..	५००	,,
५	मिरनपुर इलियास मराओंदिह	१,२००	,,
६	तमरपुरा ..	३,८०८	,,
७	जोगापुर ..	२५०	,,
८	शिमोरायन ..	३,०००	मिडिल स्कूल
९	तलवाल ..	७५०	पोखड़
१०	बरूइन बाजार ..	१५,०००	हिन्दू हाईस्कूल जमानिया
११	पठकाउलिया ..	३००	प्राइमरी स्कूल
१२	होलीपुर ..	२५३	,,
१३	खरिया ..	१,५००	मिडिल स्कूल
१४	सुलतानपुर खास ..	१,०००	प्राइमरी सकूल
१५	गरुआ मकसूदपुर ..	५००	,,
१६	नागसर ..	८५२	एक मन्दिर की बनवाई के लिये
१७	तुनगा ..	१५०	किसानों को खरीदने के लिये एक नाव
१८	तवक्कलपुर इलियास डंडापुर	३००	कुओं की मरम्मत
१९	ऊंदौड़ ..	५५०	टंकी की बनवाई
२०	गहमार ..	५,०००	इंगलिश हाई स्कूल गहमार
२१	करीमुद्दीनपुर ..	३,९३१	एक इंगलिश स्कूल बनवाने के लिये
२२	बहादुर गंज ..	४,६००	गांधी मेमोरियल हाई स्कूल
२३	सुलतानपुर ..	१,५००	कुएं की मरम्मत
२४	साओरी ..	३९५	प्राइमरी स्कूल
२५	खराओंना और दूसरे ९ गांव	६,३९२	टाउन हाई स्कूल सेदपुर
२६	..	१५,०००	गवर्नमेंट टैकनिकल इन्सटीट्यूट, गाजीपुर

नत्थी 'घ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ३१ का उत्तर पीछे पृष्ठ ४१३ पर।)

गोंडा जिले में पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत निर्धारित नलकूपों का विवरण।

क्र सं.	तहसील	परगना	संख्या नलकूप जो पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत लगेंगे।
१	गोंडा ..	.. गोंडा ..	४०
		पहाड़पुर ..	७
			४७
२	तरबगंज ..	.. नवाबगंज ..	२२
		डिबिसर ..	९
		महोदवा ..	८
		ग्वारिच ..	८
			४७
३	उतरौला ..	.. बूढ़पायर ..	५
		बढनीपायर ..	५
		मनकापुर ..	१६
		साहुल्लानगर ..	५
		उतरौला ..	५
			३६
४	बलरामपुर ..	.. बलरामपुर ..	१७
		तुलसीपुर ..	८
			२५
		कुल योग जिला ..	१५५

नत्थी 'ङ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ४० का उत्तर पीछेपृष्ठ ४१६ पर।)

तृतीय श्रम दान में मछलीशहर तहसील में नव निर्मित सड़कों का विवरण।

क्र० स०	नाम ग्राम सभा	नाम ग्राम	लम्बाई सड़कों की जो बनाई गई			
१	२	३	४			
			मील	फर्लांग	गज	फीट
१	विरोधलपुर ..	मांडाडीह ..	०	०	०	६०
२	जखनिया ..	जखनिया ..	०	०	०	१२०
३	सरायडीगुर ..	सरायडींगुर सराय रहचन्द	०	०	०	१,४००
४	सरायडीगुर ..	सरोखनपुर ..	०	०	०	५२०
४	तरहटी ..	तरहठी ..	३	०	८८०	०
५	रामनगर ..	अकमलहया ..	०	०	८८०	०
६	चन्दौकी ..	पूरादयाल ..	०	०	१८१५	०
७	देवकीपुर ..	ऊंचडीह ..	०	०	२६४०	०
८	मौलनापुर ..	करौर ..	०	०	३६९	०
९	सेमरी ..	सेमरी ..	०	०	८१	०
१०	बमिनियांव ..	बमनियांव ..	०	०	४२५	०
११	इटहरा ..	जमालपुर ..	०	४	०	०
१२	इटहरा ..	जमालपुर ..	०	१	१८०	०
	इटहरा ..	इटहरा ..	०	०	२०	०
	इटहरा ..	इटहरा ..	०	०	४७२	०
	इटहरा ..	इतहरा ..	०	५	२१७	०
	इटहरा ..	इटहरा ..	०	५	३७	०
	इटहरा ..	इटहरा ..	०	०	११०	०
	इटहरा ..	हर्षू का पूरा ..	०	१	२०१	०
	इटहरा ..	हर्षू का पूरा ..	०	१	९	०
१२	बहोरिकपुर ..	अहमपुर ..	०	१	४५	०
	बहोरिकपुर ..	गोविन्ददासपुर ..	०	५	१७७	१
	बहोरिकपुर ..	बहोरिकपुर ..	०	०	५०	०
१३	गौरइयाडीह ..	गौरइयाडीह ..	०	२	७९	१
१४	बामनपुर ..	कत्तूपुर निस्की ..	०	०	२६००	०
	बामनपुर ..	रामपुर ..	०	०	४३७२	०
१५	वीरहरा ..	पकड़ी ..	०	०	४५०	०
	वीरहरा ..	थौरहरा ..	०	०	१७०२	०
१६	अमोघ ..	विजाधरमऊ ..	०	०	१७०२	०
१७	मारूफपुर रसूलपुर ..	रसूलपुर ..	०	०	८८०	०
१८	देवरिया ..	कोटारी ..	०	०	८८०	०
१९	करौरा ..	करौरा ..	०	०	४४०	०
	करौरा ..	खरईयामऊ ..	०	०	४००	०

क्र० सं०	नाम ग्राम सभा	नाम ग्राम	लम्बाई सड़कों की जो बनाई गई			
१	२	३	४			
			मील	फर्लांग	गज	फीट
२०	दिलौरा ..	माटाडीह ..	०	०	३००	०
२१	गरियांव	गरियाव ..	०	०	०	१२५०
२२	मुंड़ाव ..	मुंड़ाव ..	०	०	३००	०
२३	सड़ारी ..	सड़ारी ..	१	०	०	०
२४	सरायदुर्गादास ..	पूरावन्ती ..	०	०	६७५	०
२५	सांड़ी कलां ..	साड़ी कलां ..	१	०	०	०
२६	दानापुर ..	आनापुर ..	२	०	०	०
२७	विझवट ..	विझलवट ..	४	०	०	०
२८	रामपुर ..	रामपुर ..	१	०	६०	०
२९	गद्दोपुर ..	गद्दोपुर ..	०	७	०	०
३०	गद्दोपुर ..	चांदपुर ..	०	३	०	०
३०	अमारी ..	बनवहां ..	०	२	०	०
३१	बैहारी ..	बैहारी ..	१	०	०	०
३२	फसुपुर ..	फसुपुर ..	०	१	०	०
३३	कठार ..	सजुरन ..	१	०	०	०
३४	सवस्सा ..	उमरी कलां ..	०	४	०	०
योग			३३	१	१३५	१

नत्थी 'च'

(देखिये तारांकित प्रश्न ४१ का उत्तर पीछे पृष्ठ ४१७ पर।)

परिशिष्ट क

जिला गाजीपुर में सन् १९४२–५३ में जिला नियोजन समिति के फण्ड से किये गये व्यय का तहसीलवार विवरण।

क्र० सं०	व्यय का व्यौरा	गाजीपुर	जमनिया	सैदपुर	मोहमदाबाद	योग
१	२	३	४	५	६	७
		रु० आ० पा०	रु० आ० पा०	रु० आ० पा०	रु० आ० पा०	रु० आ० पा०
१	सिंचाई					
	क–बन्धियों का बनाना ..	..	..	२००	१,९०८ ६ ०	२,१०८ ६ ०
	ख–तालाबों का खोदना	..	..	..	३०० ० ०	३०० ० ०
	ग–सिंचाई की नहरों का बनाना ..	..	४०० ० ०	..	..	४०० ० ०
	घ–सिंचाई के लिये नालिया बनाना ..	..	..	..	३०० ० ०	३०० ० ०
२	यातायात					
	क–सड़कों का निर्माण	..	..	१,८१२	..	१,८१२ ० ०
३	सामुहिक कार्य	..	..	१,४००	..	१,४०० ० ०
	क–बीज गोदामों का निर्माण					
	ख–बीज गोदाम तथा पंचायत घर ..	..	..	..	१,५०० ० ०	१,५०० ० ०
४	पीने के पानी का वितरण					
	क–पीने के पानी के कुवों का निर्माण ..	३,१९२ ५ ०	१,३५५ ० ०	२,३८४	१,८६१ ० ०	८,७९२ ५ ०
५	हरिजनों के मकानों का पुनर्निर्माण जो प्रकृति द्वारा उजाड़े गये थे।	..	८३२ ८ ०	..	..	८३२ ८ ०
६	रोटेशन मिल्क सप्लाई गाजीपुर ..	४,००० ० ०	..	..	..	४,००० ० ०
	योग ..	७,१९२ ५ ०	२,५८७ ८ ०	५,७९६	५,८६९ ६ ०	२१,४४५ ३ ०

उत्तर प्रदेश विधान सभा

परिशिष्ट ख

जिला गाजीपुर में सन् १९५३–५४ में जिला नियोजन समिति के फंड से किये गये व्यय का तहसीलवार विवरण।

क्र० सं०	व्यय का व्योरा	गाजीपुर			जमनिया			सदपुर			मोहमदाबाद			योग		
१	२	३			४			५			६			७		
		रु०	आ०	पा०	रु०	आ०	पा०	रु०	आ०	पा०	रु०	आ०	पा०	रु०	आ०	पा०
१	सिंचाई															
	क–बन्धियों का निर्माण				१,२००	०	०	१,४७५	६	०	३३	६	०	२,७०८	१२	
	ख–तालाबों की खोदाई	३९०	०	०	..			२००	०	०	४४८	८	०	१०३८	८	०
	ग–मसोनरी कुयों के निर्माण के लिये सहायता	११,२००	०	०	..			१९,५००	०	०	९,६००	०	०	४०,३००	०	०
२	जनस्वास्थ्य															
	क–गांवों में नालों का निर्माण	..			..			..			३५९	०	०	३५८	०	०
३	यातायात															
	क–ह्यूम पाइप्स	२,१५६	२	९	३,३६५	१	३	१,२०९	१५	०	५,७५५	०	३	१२,४८६	३	३
	ख–कल्वर्ट्स का निर्माण	..			..			८७	०	०	..			८७	०	०
४	शिक्षा															
	क–जूनियर हाई स्कूल	१,०००	०	०	..			२,१००	०	०	८४०	०	०	३,९४०	०	०

क्र० सं०	व्यय का ब्योरा	गाजीपुर	जमनिया	सैदपुर	मोहम्मदाबाद	योग
१	२	३	४	५	६	७
५	पीने के पानी का वितरण					
	क—पीने के पानी के कुवों का निर्माण	४,६४८ ८ ०	९१० ११ ०	२,६२३ १३ ०	६७७ ० ०	८,८६० ० ०
	ख—हैंड पाइप का लगाना	४५० ० ०	५० ० ०	३०० ० ०	२०० ० ०	१,००० ० ०
६	सामूहिक कार्य					
	क—बीज गोदामों का निर्माण	१२,६०० ० ०	१६,५०० ० ०	१४,००० ० ०	५,००० ० ०	४८,१०० ० ०
	ख—पंचायत घरों का निर्माण	६,००० ० ०	१,००० ० ०	२,००० ० ०	९,००० ० ०	१८,००० ० ०
७	हरिजन सहायता					
	क—हरिजनों के मकानों का पुनर्निर्माण जो प्रकृति द्वारा उजाड़े गये थे	..	२,१६७ ८ ०	..	९६० ० ०	३,१२७ ८ ०
	ख—हरिजनों के लिये मकान बनाना	..	..	२०० ० ०	..	२०० ० ०
	योग ..	३८,४४४ १० ९	२५,१९३ ४ ३	४३,६९६ २ ०	३२,८७२ १४ ३	१,३८,२०६ १५ ३

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'छ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ४२ का उत्तर पीछे पृष्ठ ४१७ पर ।)

परिशिष्ट ग

सैदपुर तहसील में नियोजन विभाग द्वारा सन् १९५२–५३ व १९५३–५४ में किये गये कार्य का विवरण।

विवरण	१९५२–५३	१९५३–५४
१–मैसनरी वैल का निर्माण ..	४८७	
कृषि		
१–बीजों का वितरण ..	१४५६ मन	१२४५ मन
२–कृषि यन्त्र वितरण ..	११	१८
३–खाद तथा फर्टिलाइजर का वितरण	२ टन	०
४–खाद के लिये सनई के बीज का वितरण	२ टन	०
५–कृषि प्रदर्शन ..	३१३	३७९
६–फसल प्रतियोगिता ..	२७५२	१६८०
७–फलदार वृक्षों का वितरण ..	३७३०	८०३७
८–अन्य वृक्ष ..	०	४८०३
९–क्षेत्र जो उन्नतिशील बीज द्वारा प्रतिपूर्ण गिये गये	२२०० एकड़	१८४५ एकड़
१०–मूंग टी० १ द्वारा पूर्ण किये गए क्षेत्र	३४६ एकड़	३४५ एकड़
शिक्षा तथा सांस्कृतिक कार्य		
१–प्रौढ़ पाठशालाओं की संख्या जो खोले गये	१६	५
२–प्रौढ़ जो शिक्षित किए गए ..	३२५	५९५
३–पुस्तकालयों की संख्या ..	४	१७
४–पुस्तकें जो वितरण की गयीं ..	६१२	१६३०
५–सार्वजनिक रेडियों की संख्या ..	४	२
सामुदायिक कार्य		
१–कच्ची सड़कों का निर्माण	५७ मील ० फर्लांग १३७ गज	८१ मील ० फर्लांग १३२ गज
२–सड़कों की मरम्मत	४८ ,, ७ ,,	११३ ,, ९६ ,, ४ ,, २१ ,,
३–कच्चे पंचायत भवनों का निर्माण	१०	३७
४–पक्के पंचायत भवनों का निर्माण	०	४
५–व्यायामशाला	४११	५२८

जन स्वास्थ्य

१—सफाई किये गये कुओं की संख्या	२८४८	१९६८
२—सोख्ता खनन	१५१	१२३
३—खाद के गड्ढे	५३२	१४०१
४—फूड सेफ वितरण	३८	१७
५—कच्ची नालियों का निर्माण	४ फर्लांग	१ मील ११७ गज
६—नालियों की मरम्मत	०	४ मील ११० गज
७—दवा बक्स वितरण	४७	४४
८—मरीजों की संख्या जो पंचायत मन्त्रियों द्वारा इलाज किये गये	२०६९	१३९५
९—लालटेनों की संख्या जो गलियों में वितरण की गई	१९	६९
१०—कच्चे कुवें जो पक्के किये गये	०	३२
११—घरों की संख्या जो साफ किये गये	००	७५

सहकारी समिति

सन् १९५२–५३ में २१२ बहुधन्धी सहकारी समितियों द्वारा किसानों को धन के भाग को पूरा किया गया। इन समितियों को जिला सहकारी बैंक से २,३३,००० रु० दिया गया। और इन समितियों ने सैदपुर तहसील के निवासी मेम्बरों को २,४४,००० रु० ऋण के रूप में वितरित किया।

इसके अतिरिक्त तहसील सैदपुर में १२ सहकारी संघ संगठित किये जा चुके हैं जिनके द्वारा नियंत्रित वस्तुयें किसानों को उपलब्ध की जाती थी। २,०२,०४० रुपये की नियंत्रित वस्तुएं सन् १९५२–५३ में उपलब्ध की गयी। इस तहसील में ५ सहकारी बीज भंडार भी कार्य कर रहे हैं जिनके द्वारा ६,९०० मन बीज रबी तथा ५३४ मन खरीफ बीज किसानों को सवाई पर वितरण किया गया। ३३ टन १८ हन्डरवेट अमोनियां सल्फेट तथा बोन मील तथा १९ खेती के यंत्र किसानों को दिये गये। २ बीज भंडार पक्के किये गये जिसको ५,००० रु० की सरकारी सहायता भी प्रदान की गयी थी।

सन् १९५३–५४ में सहकारी समितियों की संख्या २२३ हो गयी। २ बीज भंडार नये खोलने का आयोजन और ३ पुराने बीज भंडारों की इमारतों को बनाने का प्रबन्ध किया गया। सैदपुर तहसील में सहकारी समितियों द्वारा जितना कार्य किया गया है वह इस जिले के अन्य तहसीलों से अधिक है।

हरिजन

वितरण	१९५२–५३	१९५३–५४
१—हरिजन कूप स्वीकृत	८ ..	१५
२—हरिजन कूप निर्माण	६ ..	९
३—कुटीर उद्योग हेतु धन वितरण	८०० रु०	१,००० रु०
४—वस्ती निर्माण	२,००० रु०	२,००० रु०

वितरण	१९५२–५३	१९५३–५४
५–हरिजन सम्मेलन	१	२
६–शिक्षा संस्थायें	३	४
७–हरिजन छात्रवृत्तियों का वितरण	२६	२३
८–सहकारी समितियां	१	१
पशुपालन अथवा चिकित्सा		
१–जानवरों को टीके लगाये गए	१३,३४४	२९,६५०
२–कैस्टरेशन (बधिया)	२,२६६	१,८८४
३–जानवरों का इलाज	७,१६४	५,९०८
४–कैटिल खेड (बैल) सुधार	१००	९०
५–जानवरों का मेला व प्रदर्शनी	..	१
६–खाद के गड्ढे	४७	२७
७–उन्नत चिड़ियों का वितरण	२०२	९३
८–अन्डों का वितरण	७७४	१७९
९–सांड वितरण	१३२	१००
१०–	८	१३

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ज'

(देखिये तारांकित प्रश्न ५५ का उत्तर पीछे पृष्ठ ४२० पर।)

सामूहिक विकास तथा राष्ट्रीय प्रसार योजनाओं की विवरण सूची :

क्र० सं०	जिले का नाम	सामूहिक विकास योजना तथा केन्द्र का नाम	राष्ट्रीय प्रसार योजना तथा केन्द्र का नाम
१	२	३	४
१	देहरादून ..	.. चकराता ..	..
२	सहारनपुर ..	.. देवन्द	
३	मुजफ्फरनगर ..	.. .. ..	परकाजीं
४	मेरठ ..	.. .. ..	चिरौरी
५	बुलन्दशहर ..	.. .. ..	ऊंचागांव
६	अलीगढ़ ..	.. .. ..	टापल
७	मथरा ..	.. .. ..	गोवर्धन
८	आगरा ..	.. अकौला ..	१ बाह २ खैरागढ़
९	मैनपुरी ..	.. सुलतानगंज ..	
१०	एटा ..	.. अलीगंज	
११	बरेली ..	.. .. ..	मौजीपुरा
१२	बिजनौर ..	.. .. ..	ऋफलगढ़
१३	बदायूं ..	.. उसांवां ..	
१४	मुरादाबाद ..	.. .. ..	जौया
१५	शाहजहांपुर ..	.. (उसांवां से सम्मिलित)	
१६	पीलीभीत ..	.. .. ..	पीलीभीत
१७	रामपुर ..	.. .. ..	सैदपुर
१८	फर्रुखाबाद ..	.. मुहम्मदाबाद	
१९	इटावा ..	.. पाइलेट प्रोजेक्ट अग्रगामी योजना	
२०	कानपुर ..	.. .. ..	घाटमपुर
२१	फतेहपुर ..	.. .. ..	बहुआ
२२	इलाहाबाद ..	.. फूलपुर ..	१ कुराऊं २ कड़ार ३ चैलखास
२३	बांदा ..	.. .. ..	खुरन्द
२४	हमीरपुर ..	.. .. ..	गौदाहा
२५	झांसी ..	.. १ मोठ २ गुरसराय ३ मौरानीपुर	
२६	जालौन ..	.. .. ..	ऐटा
२७	बनारस ..	.. .. ..	१ अराजी लाइन्स २ औराई
२८	मिर्जापुर ..	.. दुद्धी ..	
२९	जौनपुर ..	.. .. ..	बादशाहपुर
३०	गाजीपुर ..	.. कसीमाबाद	
३१	बलिया ..	.. रतनपुरा	

क्रं० सं०	जिले का नाम	सामूहिक विकास योजना तथा केन्द्र का नाम	राष्ट्रीय प्रसार योजना तथा केन्द्र का नाम
१	२	३	४
३२	गोरखपुर ..	.. मठाट	.. निचलौल
३३	बस्ती ..	.. नागर	.. भनुआपुर
३४	आजमगढ़ ..	.. घोसी	..
३५	देवरिया ..	.. १ कसिया २ सलीमपुर	कोयटनगंज
३६	नैनीताल ..	.. ..	.. १ खतीमा २ सतरालेत
३७	अल्मोड़ा ..	.. १ गरूड बैजनाथ २ कपकोहं	तारीखेत
३८	पौड़ी गढ़वाल ..	.. चराली	.. ढांढामंडी
३९	टेहरी गढ़वाल	.. मिलंगना	
४०	लखनऊ ..	.. ..	.. १ सरोजनी नगर २ गोसाईगंज
४१	उन्नाव ..	.. ..	.. नवाबगंज
४२	रायबरेली ..	.. ..	.. सलौन
४३	सीतापुर ..	.. ..	.. हरगांव
४४	हरदोई ..	.. ..	.. बिलग्राम
४५	खीरी ..	.. ..	.. नीमगांव
४६	फैजाबाद ..	.. बिकापुर	
४७	गोंडा ..	.. ..	.. इनतियाथोके
४८	बहराइच ..	.. ..	.. कैसरगंज
४९	सुलतानपुर ..	.. १ कुरेमार २ जैसिंहपुर	
५०	प्रताप गढ़ ..	.. ..	.. लक्ष्मनपुर
५१	बाराबंकी ..	.. ..	.. रामनगर

उत्तर प्रदेश

नत्थी 'झ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ५६ का उत्तर पीछे पृष्ठ ४२० पर।)

कम्युनिटी प्रोजेक्ट्स तथा नेशनल एक्सटेनशन ब्लाकों पर उत्तर प्रदेश और केन्द्रीय सरकार द्वारा धन व्यय किये जाने की सूची :

	उत्तर प्रदेश सरकार	केन्द्रीय सरकार (लाख रुपये)	कुल योग
कम्युनिटी प्रोजेक्ट्स ब्लाक ..	९५.६०	१७५.०२	२७०.६२
नेशनल एक्सटेनशन ब्लाक ..	५१.२५	९२.२५	१४३.५०

इसके अतिरिक्त उत्तर प्रदेश सरकार को केन्द्रीय सरकार कम्युनिटी प्रोजेक्ट्स के लिये २३९.३८ लाख रुपया और नेशनल एक्सटेनशन ब्लाक के लिये ४१ लाख रुपये ऋण के रूप में व्यय करने के लिये देगी।

नत्थी 'ञ'

(देखिए तारांकित प्रश्न ५७ का उत्तर पीछे पृष्ठ ४२१ पर।)

सन् ५२–५३ और ५३–५४ में जिला नियोजन समितियों को दिये गये अनुदान :

सूची

क्रम संख्या	जिला	५२–५३ मे अनुदान	५३–५४ में अनुदान
१	देहरादून	१२,५००	२,०१,९१२
२	सहारनपुर	१८,५००	२,८२,३६०
३	मुजफ्फरनगर	२३,५००	२,१४,६९२
४	मेरठ	२८,५००	२,२१,८६२
५	बुलन्दशहर	९,५००	२,३१,४४२
६	अलीगढ़	२३,५००	२,०१,३९२
७	मथुरा	१३,५००	२,१६,५४२
८	आगरा	१३,५००	३,५६,४४२
९	मैनपुरी	८१,०००	३,२०,०१२
१०	एटा	१३,५००	२,६९,२१२
११	बरेली	८,५००	१,५८,०९२
१२	बिजनौर	१३,५००	१,२९,६४२
१३	बदायूं	१८,५००	१,७९,८१२
१४	मुरादाबाद	१३,५००	१,३३,३९२
१५	शाहजहांपुर	१३,५००	१,४३,४६३
१६	पीलीभीत	१३,५००	१,९०,०९२
१७	रामपुर	१८,५००	१,२२,२९२
१८	फरुखाबाद	१३,५००	२,०५,११२
१९	इटावा	८,५००	१,६६,९६२
२०	कानपुर	१८,५००	१,८७,९९२
२१	फतेहपुर	१८,५००	१,५१,४९२
२२	इलाहाबाद	२३,५००	३,५०,३४२
२३	बांदा	२३,५००	३,२०,८६२
२४	हमीरपुर	१३,५००	२,५८,०४२
२५	झांसी	२,४५,५००	८,५४,१६२
२६	जालौन	१८,५००	२,२५,४९२
२७	बनारस	२३,५००	२,५०,४२२
२८	मिर्जापुर	१३,५००	३,००,५६२
२९	जौनपुर	१८,५००	१,२६,८६२
३०	गाजीपुर	८५,५००	२,७५,९७७
३१	बलिया	८५,५००	२,७५,१८७
३२	गोरखपुर	१,१५,५००	३,२२,६६२
३३	बस्ती	२८,५००	३,५९,०६२
३४	आजमगढ़	९१,०००	४,१५,८१२
३५	देवरिया	१,१५,५००	३,६४,१६२
३६	नैनीताल	९३,५००	४,४६,६४२
३७	अल्मोड़ा	९,५५,५००	९,९९,३६२

क्रम संख्या	जिला	५२-५३ में अनुदान		५३-५४ में अनुदान
३८	गढ़वाल	७,५००		४,४३,९४२
३९	टेहरी गढ़वाल	२३,५००		४,८२,३१२
४०	लखनऊ	१३,५००		१,६३,६४२
४१	उन्नाव	८,५००		२,६९,३९२
४२	रायबरेली	१८,५००		१,६९,५९२
४३	सीतापुर	१३,५००		१,४७,१९२
४४	हरदोई	१८,५००		२,५८,१४२
४५	खीरी	२२,५००		१,५१,७९२
४६	फैजाबाद	१,०५,५००		१,२०,४१२
४७	गोंडा	१८,५००	१,३९,२४२	१,३९,२४२
४८	बहराइच	१८,५००		१,१९,४९२
४९	सुल्तानपुर	१८,५००		२,५०,७१०
५०	प्रतापगढ़	१८,५००		३७,६३०
५१	बाराबंकी	१८,५००		२,५२,२४०

नत्थी 'ट'

(देखिये तारांकित प्रश्न ६१ का उत्तर पीछे ४२२ पर)

FROM
No. 412/NES
THE DEVELOPMENT COMMISSIONER,
UTTAR PRADESH.

TO
(1) THE LAND REFORMS COMMISSIONER,
(2) THE DIRECTOR OF COLONIZATION,
(3) THE DIRECTOR OF ANIMAL HUSBANDRY,
(4) THE DIRECTOR OF AGRICULTURE,
(5) THE JOINT DIRECTOR OF PANCHAYATS,
(6) THE JOINT REGISTRAR, CO-OPERATIVE SOCIETIES,
(7) THE ADMINISTRATIVE COMMANDANT, P. R. D.,
UTTAR PRADESH, LUCKNOW.

Dated—Lucknow, January 9, 1954.

SIR,

The work in the blocks can be carried out only through the Co-operation and assistance of all the departments concerned.

Yor are requested kindly to issue orders to your subordinate staff at a very early date to render all assistance and help in the successful functioning of these blocks. A copy of such order may also kindly be sent to me for information. Block Development Officer is the Chief Executive Officer of a block. There is a Block Advisory Committe also on the lines of a project Advisory Committee. The field staff posted in the N. E. S. Blocks will be working under the general supervision and control of the Block Development Officers. On technical matters, the vertical control of the departments concerned will continue.

Yours faithfully,
S. IFTIKHAR HUSAIN,
Deputy Commissioner, I/C National Extension Service.

No. 412(i)/NES

1. COPY to all District Magistrates of N. E. S. districts.
2. COPY to all District Planning Officers of N. E. S. districts, with spare copy for B. D. O's.
4. COPY to all First Line Officers for information.

S. IFTIKHAR HUSAIN.

Dy. Development Commissioner, IIC National Extension Service.

No. 896-R/XXXV—500(129)-53

FROM
SRI T. D. PANDE,
DEPUTY SECRETARY TO GOVERNMENT,
UTTAR PRADESH.

TO
THE DEVELOPMENT COMMISSIONER,
UTTAR PRADESH.

Dated Lucknow, March 17, 1954.

Subject :—**Constitution of Block Advisory Committee in National Extension Service Blocks.**

SIR,

IN supersession of the instructions issued in G. O's. nos. 6701-R/XXXV—500(129)-53, dated January 18, 1954 and 964/XXXV—500(129)-53,

dated March 4, 1954, on the above subject, I am directed to convey the sanction of the Governor to the formation of a Block Advisory Committee for each of the National Extension Service Blocks which have already been opened and which are likely to be opend in the State in future. The Committee will consist of the following :

1. All Members of the District Planning Committee who are residents of the National Extension Service Block area.
2. All Sarpanches of Co-operative Societies in the National Extension Service Block area.
3. One representative of each Block Committee in the area formed under Planning Department's letter no. 405-P/65-P-50, dated February 28, 1951 and approved by the District Planning Committee.
4. All M. L. As., M. L. Cs. and Members of Parliament residing in or representing the Block area or any portion thereof.
5. President, District Board and all members of District Board, belonging to the N. E. S Block area.
6. Officials of different Development Departments of the level of Group Level workers in the Block area, and also the district level workers where necessary.
7. Five members nominated by Government.

The Block Development officers of the National Extension Service Block will be the *ex-officio* Secretary of the Committee and the District Magistrate or his nominee shall be the Chairman.

2. The function of the Block Advisory Committee will be to advise and assist the Block staff in the planning and execution of the programme of the N. E. S. scheme in accordance with the instructions issued by Government from time to time. The Committee shall be an advisory body and shall have no financial or executive functions. It shall be independent of the District Planning Committee.

3. I am to add that no travelling or daily allowance will be paid to the members of the Block Advisory Committee for attending the meetings.

Yours faithfuly,
T. D. PANDE,
Deputy Secretary.

No. 896-R(i)/XXXV—500(129)-53 OF DATE.

COPY forwarded for information to :

1. All M. L. As., M. L. Cs. and Members of Parliament.
2. All Departments of the Secretariat.
3. All District Magistrates.

By order,
T. D. PANDE,
Deputy Secretary to Government,
Uttar Pradesh.

नत्थी 'ठ'

(देखिए तारांकित प्रश्न ६२ का उत्तर पीछे पृष्ठ ४२३ पर।)

राष्ट्रीय विस्तार, सेवा क्षेत्र-ऊंचगांव, जिला बुलन्दशहर में ३० जून, १९५४ तक होने वाले कामों की सूची :—

१—कच्ची सड़कें बनायी गयी	.. ..	५ मील ५ फर्लांग
२—कच्ची सड़कों की मरम्मत	.. ..	३३ मील
३—पक्के कुएं बनाए गए	.. ..	१२
४—कुओं की मरम्मत	.. ..	१५
५—सिंचाई में लाया हुआ क्षेत्र	.. ..	१०० एकड़
६—पानी पीने के नए कुएं	.. ..	५
७—सोकेज पिट्स	.. ..	५२
८—खाद के गड्ढे	.. ..	१३५
९—पुस्तकालय और वाचनालय	.. ..	१
१०—हरिजनों के लिये कुएं	.. ..	२
११—सोसाइटियां बनायी गयी	.. ..	२१
१२—नालियां बनायी गयी	.. ..	६४० गज
१३—अमोनियम सल्फेट बांटा गया	.. ..	१३३ मन
१४—बीज बांटे गये	.. ..	२४० मन

संसद पुस्तकालय

नत्थी 'ड'

(देखिए तारांकित प्रश्न ६८ का उत्तर पीछे पृष्ठ ४२५ पर।)

उत्तर प्रदेशीय हैन्डलूम बोर्ड के सदस्यों की सूची :

१—मुख्य मंत्री, उत्तर प्रदेश .. .. ..
२—उद्योग मंत्री, उत्तर प्रदेश .. .. ..
३—उप-मंत्री, नियोजन, उत्तर प्रदेश .. .. ..
४—उद्योग मंत्री के सभा सचिव .. .. ..
५—नियोजन विभाग के सचिव .. .. ..
६—वित्त विभाग के सचिव .. .. ..
७—उद्योग विभाग के सचिव .. ..
८—संचालक, उद्योग विभाग, कानपुर .. .. ..
९—श्री सूरज प्रसाद अवस्थी, एम० एल० ए०, कानपुर .. ..
१०—बाबा राघव दास, संचालक, गांधी स्मारक निधि, गोरखपुर ..
११—श्री निजामुद्दीन, एम०एल० सी०, एडवोकेट, प्रेसीडेन्ट, मोमिन कांफ्रेंस, इलाहाबाद
१२—श्री अब्दुल लतीफ, मैनेजिंग डाइरेक्टर, जिला कोआपरेटिव सोसाइटी, मऊ (आजमगढ़)
१३—श्री शिवदान सिंह, एम० एल० ए०, जिला बीवर्स कोआपरेटिव सोसाइटी, अलीगढ़
१४—हाजी बशीर अहमद, चांदपुर, स्याऊ (बिजनौर)
१५—श्री श्याम बिहारी लाल, वकील, सदस्य, सर्वश्री इंडस्ट्रियल कोआपरेटिव फेडरेशन, बाराबंकी
१६—श्री पी०सी०सक्सेना, एडवोकेट, मैनेजिंग डाइरेक्टर, जिला सेंट्रल वीवर्स कोआपरेटिव सोसाइटी, इटावा
१७—श्री हयात मोहम्मद, मैनेजिंग डाइरेक्टर, सेंट्रल वीवर्स कोआपरेटिव सोसाइटी, टांडा (फैजाबाद)
१८—सैयद बी०एच० आबदी, एडवोकेट, मैनेजिंग डाइरेक्टर, सेंट्रल वीवर्स कोआपरेटिव सोसाइटी, गाजीपुर
१९—श्री इस्तफा हुसेन, एम०एल०ए०, एडवोकेट, गोरखपुर
२०—श्री ऐजाज रसूल, एम०एल०ए०, चेयरमैन, इंडस्ट्रियल कोआपरेटिव स्टोर, संडीला (हरदोई)
२१—श्री लज्जा राम गुप्ता, सेक्रेटरी, जिला वीवर्स कोआपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, मुजफ्फरनगर
२२—श्री प्रहलाद दास, श्री जवाहर कंपनी, ग्यानवापी, बनारस
२३—श्री लक्ष्मण दत्त भट्ट, एम०एल०ए० , रामनगर, जिला नैनीताल
२४—श्री तुलसी प्रसाद सहयोगी, जनरल सेक्रेटरी, यू०पी० हैन्डलूम वीवर्स कांप्रेस, हाथरस (अलीगढ़)
२५—श्री बी० के० घोशाल, भूतपूर्व संचालक, उद्योग विभाग, गोलागंज, लखनऊ
२६—श्री एम० मोहम्मद हसन, सदस्य, जिला बोर्ड और वाइस प्रेसीडेंट, यू० पी० मोमिन कांफ्रेंस मऊआयमा, जिला इलाहाबाद

नत्थी 'ढ'

(देखिए तारांकित प्रश्न ७३ का उत्तर पीछे पृष्ठ ४२६ पर ।)

प्रश्न संख्या ७३ के उत्तर में उल्लिखित सूची :

सन्	नाम वन	एकड़, जितने वन कटे	शर्त, यदि कोई
१९५१	पिपरा रसूलपुर	२०	स्वीकृत वर्किंग प्लान के अनुसार
१९५२	विलासपुर बमनौली		
	बांकी मठिया कूप १	१२ (जामुन)	,,
	,, ,, २	१३८ (साल)	,,
१९५२	बगहवा	३०.५ (साल)	,,
		१.० (जामुन)	,,

सन् १९५३ में कोई वन परमिट द्वारा नहीं काटे गये ।

नत्थी 'ण'

(देखिये पीछे पृष्ठ ४२८ पर)

हस्तिनापुर नगर विकास मंडल विधेयक, १६५४

नगर के निर्माण और विकास एवं वहां विस्थापितों को बसाने के प्रयोजन से तथा तत्सम्बन्धी अन्य विषयों के लिये, जिला मेरठ के हस्तिनापुर में नगर विकास मंडल की स्थापना के निमित्त

विधेयक

यह आवश्यक है कि नगर के निर्माण और विकास एवं वहां विस्थापितों को बसाने के प्रयोजन से तथा तत्सम्बन्धी अन्य विषयों के लिये जिला मेरठ के हस्तिनापुर में नगर विकास मंडल की स्थापना की व्यवस्था की जाय।

अतएव भारतीय गणतंत्र के पांचवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :--

अध्याय १

प्रारंभिक

संक्षिप्त शीर्षनाम, प्रारम्भ और कालावधि।

१--(१) यह अधिनियम हस्तिनापुर नगर विकास मंडल अधिनियम, १६५४ कहलायेगा।

(२) यह उस दिनांक से प्रचलित होगा जिसे राज्य सरकार इस सम्बन्ध में सरकारी गजट में विज्ञापित करे।

(३) यह दिनांक ३१ दिसम्बर, १६५६ की समाप्ति पर उक्त दिनांक से पूर्व कृत अथवा अकृत बिषयों (things done or omitted to be done) को छोड़कर प्रचलित न रहेगा, तथा इस अधिनियम की समाप्ति पर यू० पी० जेनरल क्लाजेज ऐक्ट की धारा ६ इस पर इस प्रकार प्रवृत्त होगी, मानो यह उत्तर प्रदेश के किसी अधिनियम (U.P. Act) द्वारा निरस्त (repeal) हुआ हो।

यू० पी० ऐक्ट १, १६०४।

परिभाषाएं।

२--इस अधिनियम में विषय या प्रसंग के प्रतिकूल कोई बात न होने पर--

(क) "प्रशासक" (administrator) का तात्पर्य धारा १० के अधीन नियुक्त बोर्ड के प्रशासक से है;

(ख) "मंडल" (Board) का तात्पर्य धारा ३ के अधीन संगठित हस्तिनापुर नगर विकास मंडल (Hastinapur Town Development Board) से है;

(ग) "केन्द्रीय सरकार" (Central Government) का तात्पर्य भारत सरकार से है;

(घ) "अध्यक्ष" '(Chairman) का तात्पर्य मंडल के अध्यक्ष से है;

(ङ) "विस्थापित व्यक्ति" (displaced person) का तात्पर्य किसी ऐसे व्यक्ति से है जो भारत सरकार तथा पाकिस्तान के डोमीनियन बनने के कारण अथवा किसी ऐसे क्षेत्र में जो अब पाकिस्तान का अंश है नागरिक दंगे होने के, अथवा दंगे के भय के कारण उक्त क्षेत्र से विस्थापित हो गया है अथवा जिसने वहां अपना निवास्थान छोड़ दिया है और जो तत्पश्चात् भारत के किसी भी भाग में रह रहा ह;

(च) "सदस्य" (member) का तात्पर्य मंडल के सदस्य से है तथा इसके अन्तर्गत अध्यक्ष भी है;

(छ) "नियत" का तात्पर्य इस अधिनियम के अधीन बने नियमों द्वारा नियत से है;
(ज) "राज्य सरकार" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश की सरकार से है;
(झ) "नगर" (Town ship) का तात्पर्य हस्तिनापुर में अथवा हस्तिनापुर के पास मंडल द्वारा निर्मित और विकसित होने वाले नगर से है।

अध्याय २

हस्तिनापुर नगर विकास मंडल

हस्तिनापुर नगर विकास मंडल का अधिष्ठान और निगमन (establishment and incorporation)

३—(१) राज्य सरकार सरकारी गजट में विज्ञप्ति द्वारा, जिला मेरठ के हस्तिनापुर में नगर निर्मित और विकसित करने के लिये, वहां विस्थापित व्यक्तियों को बसाने के लिये और इस अधिनियम द्वारा अथवा अधीन अथवा अन्य किसी विधि के अधीन मंडल को प्रदत्त अथवा अभ्यर्पित किये जाने वाले अधिकारों के प्रयोग अथवा कृत्यों के सम्पादन (discharge) के निमित्त हस्तिनापुर नगर विकास मंडल नामक मंडल संगठित कर सकती है।

(२) मंडल सतत अनुक्रम वालों (having perpetual succession) उक्त नाम की निगमित संस्था (body corporate) होगी जिसकी कि एक सामान्य मुद्रा (common seal) होगी और जिसे इस अधिनियम तथा तदन्तर्गत निर्मित नियमों के अधीन चल अथवा अचल सम्पत्ति उपार्जित, अधिकृत अथवा हस्तान्तरित करने का अधिकार होगा तथा वह उक्त नाम से वाद प्रस्तुत कर सकेगा और उसके विरुद्ध वाद प्रस्तुत किया जा सकेगा—

मंडल का संगठन।

४—(१) मंडल के निम्नलिखित सदस्य होंगे।
(क) अध्यक्ष, जिनकी नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा केन्द्रीय सरकार से परामर्श के पश्चात् की जायगी;
(ख) केन्द्रीय सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाले दो व्यक्ति, जिनकी नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा केन्द्रीय सरकार से परामर्श करने के पश्चात् की जायगी;
(ग) राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाले दो व्यक्ति, जिनकी नियुक्ति राज्य सरकार करेगी।

(२) उपधारा (१) के अधीन नियुक्त सदस्यों के नाम सरकारी गजट में प्रकाशित किये जायेंगे, और प्रत्येक नियुक्ति उसके प्रकाशन के दिनांक से सप्रभाव होगी।

सदस्यों के पद के प्रतिबन्ध तथा शर्तें।

५—(१) अध्यक्ष तथा अन्य सदस्यों का कार्यकाल उपधारा (२) के अधीन ऐसा होगा जो नियत किया जाय;

(२) अध्यक्ष अथवा कोई सदस्य राज्य सरकार को सम्बोधित करते हुए अपने लेख द्वारा अपने पद को त्याग सकता है किन्तु उसका त्याग-पत्र उसी दिनांक से सप्रभाव होगा जब उसकी स्वीकृति सरकारी गजट में विज्ञापित की जाय;

(३) प्रत्येक सदस्य राज्य सरकार की इच्छा के अधीन पदासीन रहेगा;

(४) उपधारा (२) के अधीन त्याग पत्र के कारण होने वाली अथवा अन्य किसी कारणवश होने वाली आकस्मिक रिक्ति धारा ४ के उपबन्धों के अनुसार नवीन नियुक्ति द्वारा पूर्ण की जायगी। आकस्मिक रिक्ति की पूर्ति के लिये नियुक्त सदस्य अपने पूर्वगामी के अवशिष्ट कार्यकाल तक नियुक्त रहेगा।

मंडल की समितियां।

६—(१) इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिये मंडल समय-समय पर एक या एक से अधिक समितियां, जिनमें वे व्यक्ति होंगे जिन्हें वह उपयुक्त समझे, नियुक्त कर सकता है।

(२) मंडल—

(क) ऐसी समिति के पास इस अधिनियम के प्रयोजनों में से किसी से सम्बद्ध विषय को जांच और रिपोर्ट करने के लिये अभिदिष्ट कर सकता है;

(ख) विशिष्ट प्रस्ताव द्वारा एवं इस सम्बन्ध में बने हुए नियमों के अधीन, ऐसी समिति को मंडल के ऐसे अधिकार और कर्त्तव्यों को प्रतिनिधानित (delegate) कर सकता है, जिनका सम्बन्ध ऐसे विषय से हो जिसके लिये उक्त समिति नियुक्त की गयी हो।

(३) मंडल किसी भी समय किसी भी ऐसी समिति के संगठन को प्रस्ताव द्वारा परिवर्तित कर सकता है या उसे विघटित (dissolve) कर सकता है।

(४) प्रत्येक समिति मंडल से मिले निदेशों का पालन करेगी तथा प्रत्येक ऐसी समिति का अंतिम निर्णय जब तक कोई नियम प्रतिकूल न हो, मंडल के समक्ष पुस्टीकरण (confirmation) निमित्त प्रस्तुत किया जायगा।

सदस्यों की रिक्तियां अथवा संगठन में दोषों के कारण मंडल अथवा समिति के कार्य अथवा कार्यवाहियों का अवैध न होना।

७—मंडल अथवा इसकी किसी भी समिति का कोई भी कार्य अथवा कार्यवाही केवल इस कारण अवैध न होगी कि उसके सदस्यों का कोई स्थान रिक्त था अथवा उसके संगठन में दोष था।

मंडल की बैठकें।

८—(१) मंडल ऐसे समय और स्थान पर बैठक करेगा और इस धारा के उपबन्धों के अधीन ऐसी बैठकों में अपने काम को सम्पन्न करने के लिये प्रक्रिया के ऐसे नियमों का पालन करेगा जो नियत किये जायं,

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि अध्यक्ष जब भी उचित समझे विशेष बैठक आमंत्रित कर सकता है और कम से कम दो सदस्यों की लिखित प्रार्थना पर तो अवश्य ही ऐसा करेगा।

मंडल की बैठकों में कार्यवाही।

(२) मंडल की बैठक में कार्यवाही को सम्पन्न करने के लिये सदस्यों की आवश्यकता इयन्ता (quorum) तीन होगी।

(३) अध्यक्ष अथवा उसकी अनुपस्थिति में उपस्थित सदस्यों द्वारा अपने में से चुना हुआ कोई सदस्य मंडल की बैठक की अध्यक्षता करेगा।

(४) मंडल की बैठक में सभी प्रश्न उपस्थित सदस्यों के बहुमत द्वारा निर्णीत होंगे, और मतों की संख्या समान होने पर अध्यक्ष का अथवा उसकी अनुपस्थति में अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति का द्वितीय अथवा निर्णायक मत (Casting vote) होगा।

(५) प्रत्येक बैठक का विवरण (उपस्थित सदस्यों की नामावली सहित) एक पुस्तिका में, जो इस प्रयोजन के लिये उपलब्ध होगी अभिलिखित किया जायगा तथा अनुगामी बैठक की अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित होगा और तत्पश्चात् प्रत्येक सदस्य को वितरित किया जायगा, और सभी उपयुक्त समय में सदस्यों द्वारा निर्माण के लिये उपलब्ध होगा।

मंडल के अधिकारी तथा सेवक ।

९--इस अधिनियम तथा तदन्तर्गत बने नियमों के उपबन्धों के अधीन, मंडल ऐसे अधिकारियों अथवा सेवकों को सेवा के ऐसे प्रतिबन्धों और शर्तों पर, जिसे वह उचित समझे नियुक्त कर सकता है, जो उसके कृत्यों के सुदक्ष संपादन के लिये उसके विचार में आवश्यक हों।

मंडल का प्रशासक ।

१०--(१) मंडल का एक प्रशासक होगा जिसे राज्य सरकार नियत प्रतिबन्धों और शर्तों पर केन्द्रीय सरकार से परामर्श करने के पश्चात् नियुक्त करेगी।

(२) प्रशासक मंडल का प्रमुख कार्यकारी अधिकारी (principal executive officer) होगा तथा मंडल के सभी दूसरे अधिकारी और सेवक उसके अधीनस्थ होंगे।

(३) प्रशासक पदेन (ex-officio) मंडल का सचिव होगा और उसे मंडल की अथवा मंडल की समितियों की सभी बैठकों में बोलने अथवा अन्य प्रकार से भाग लेने का अधिकार होगा किन्तु उसे वहां मत देने का अधिकार न होगा।

अन्य व्यक्तियों का मंडल से अस्थायी सम्बन्ध ।

११--मंडल किसी व्यक्ति को, जिसकी सहायता अथवा परामर्श वह इस अधिनियम के किसी उपबन्ध को कार्यान्वित करने के लिये चाहे, नियत की जाने वाली रीति से और नियत किये जाने वाले प्रयोजनों के निमित्त अपने से सम्बद्ध (associate) कर सकता है; ऐसे व्यक्तियों को प्रयोजन से संगत मामलों में मंडल के वार्तालाप में भाग लेने का अधिकार होगा, किन्तु मत देने का अधिकार न होगा ।

अध्याय ३

मंडल के कृत्य और अधिकार

मंडल के कार्य-क्षेत्र की आयति ।

१२--(१) राज्य सरकार सरकारी गजट में विज्ञप्ति प्रकाशित करके नगर की क्षेत्रीय सीमाएं निर्दिष्ट कर सकती है और ऐसी ही विज्ञप्ति द्वारा ऐसी सीमाओं की वृद्धि कर सकती है अथवा उनमें परिवर्तन कर सकती है तथा इस प्रकार समय विशेष पर निर्दिष्ट क्षेत्र, कार्य क्षेत्र (areas of operation) कहलाएगा ।

(२) मंडल अपने सभी अथवा किसी कृत्य को तथा सभी अथवा किसी अधिकार को कार्य-क्षेत्र में सम्पादित अथवा प्रयुक्त करेगा ।

मंडल के सामान्य कृत्य ।

१३--इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन मंडल को निम्नलिखित अधिकार होंगे :--

(क) वह ऐसी चल अथवा अचल सम्पत्ति उपार्जित कर सकता है और अपने अधिकार में रख सकता है जिसे वह इस अधिनियम अधीन कृत्यों के सुदक्ष (efficient) सम्पादन के लिये आवश्यक समझे तथा वह किसी ऐसी सम्पत्ति को बेच सकता है, पट्टे पर दे सकता है अथवा अन्य किसी रीति से हस्तान्तरित कर सकता है ;

(ख) किसी भी व्यापार, व्यवसाय अथवा उद्योग (trade business or industry) को उन्नत कर सकता है अथवा परिचालित सकता है ;

(ग) आवासिक अथवा अन्य इमारत निर्मित कर सकता है अथवा करवा सकता है;

(घ) नियत किये जाने वाले प्रतिबन्ध और शर्तों पर विस्थापित व्यक्तियों (displaced persons)को मंडल के अधिकार की कोई भी इमारत बेच सकता है, पट्टे पर उठा सकता है अथवा किराये पर दे सकता है;

(ङ) नालियों, पटी हुयी नालियों (sewers) जल वितरण, अथवा सड़कों पर प्रकाश की व्यवस्था कर सकता है;

(च) सार्वजनिक स्वास्थ्य, स्वच्छता, शिक्षा, समाज कल्याण के उत्थान के निमित्त उपाय कर सकता है;

(छ) जल के वितरण (water supply) और निष्कासन (drainage) एवं सिंचन की योजनाओं को उन्नत तथा कार्यान्वित कर सकता है;

(ज) समय विशेष पर प्रचलित विद्युत शक्ति के वितरण एवं प्रयोग से सम्बद्ध किसी भी विधि के उपबन्धों के अधीन, बिद्युत शक्ति के संक्रमण (transmission) एवं वितरण की योजनाओं को उन्नत एवं कार्यान्वित कर सकता है;

(झ) इस सम्बन्ध में विधि के अनुसार वनरोपण की उन्नति एवं जल के कटाव (soil erosion) का नियंत्रण कर सकता है ।

(ञ) अपने क्षेत्राधिकार में व्यक्तियों की आर्थिक एवं सामाजिक अवस्थाओं को सुधारने के निमित्त ऐसी कार्यवाहियां कर सकता है जिन्हें वह आवश्यक समझे और

(ट) अन्य ऐसे कृत्य कर सकता है जो नियत किये जायं ।

मंडल का कर लगाने के अधिकार ।

१४—(१) मंडल राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति से कार्य क्षेत्र के भीतर वे सभी कर लगा सकता है जिन्हें यू० पी० म्युनिसिपैलिटी ऐक्ट, १९१६ (यू०पी० ऐक्ट २, १९१६) के चैप्टर V के अधीन कोई भी म्युनिसिपल बोर्ड लगाने के लिए अधिकृत है और उस प्रक्रिया (procedure) के अनुसार और उन निरोधों और शर्तों के अधीन जो उसमें वर्णित हैं ।

(२) उपधारा (१) के अधीन लगाया गया कोई भी कर सरकारी गजट में विज्ञप्ति के प्रकाशन के दिनांक से सप्रभाव होगा और जहां तक संभव हो उसी रीति से वसूल किया जायगा जिसकी व्यवस्था उक्त ऐक्ट के चैप्टर VI में की गयी है ।

यूनाइटेड-प्राविन्सेज म्युनिसिपैलिटीज ऐक्ट के अधीन मंडल के अधिकार ।

१५—यू० पी० म्युनिसिपैलिटीज ऐक्ट, १९१६ (यू० पी० ऐक्ट २, १९१६) के चैप्टर VII, VIII, IX (धारा २९७ को छोड़कर) और X के उपबन्ध जहां तक कि वे इस अधिनियम के उपबन्धों से असंगत न हो, यथासम्भव कार्यक्षेत्र में प्रवृत्त होंगे तथा उक्त उपबन्धों में बोर्ड के अथवा प्रेसीडेन्ट अथवा किसी भी अधिकारी के सभी अभिदेशों (references to) का अर्थ उसी प्रकार लगाया जायगा मान लो वे हस्तिनापुर नगर विकास मंडल अथवा उसके अध्यक्ष अथवा उसके अधिकारियों के जैसी भी दशा हो, अभिदेश हों ।

अध्याय ४

सम्पत्ति, वित्त, लेखा और लेखा परीक्षण

मंडल में सम्पत्ति का निहित होना।

१६--मंडल के संगठन से पूर्व किसी भी समय नगर के निर्माण एवं विकास के प्रयोजनों के निमित्त केन्द्रीय अथवा राज्य सरकार द्वारा अधिकृत अथवा उपार्जित (owned or acquired) सभी चल या अचल सम्पति एवं अन्य धन (assets) धारा १७ में निर्दिष्ट सम्पत्ति को छोड़कर मंडल के संगठित होने पर उन निरोधों और शर्तों के अधीन जो नियत किये जायं, इस अधिनियम के प्रयोजनों के निमित्त मंडल में निहित होगी।

राज्य सरकार की सम्पत्ति।

१७--धारा १६ में किसी भी बात के होते हुए भी, नगर में स्थित निम्नलिखित सम्पत्ति राज्य सरकार में निहित रहेगी और राज्य सरकार की ही बनी रहेगी, अर्थात्--

(१) अस्पताल की इमारत और उसकी सभी सामग्री,

(२) मलेरिया निरोध प्रयोगशाला की इमारत,

(३) मेडिकल आफिसर का निवासस्थान,

(४) एन्टी-मलेरिया आफिसर का निवासस्थान,

(५) कम्पाउन्डरों के क्वार्टर,

(६) नर्सों अथवा वार्ड ब्वायेज के क्वार्टर,

(७) वेटेरिनरी अस्पताल,

(८) निम्न-कर्मचारिवर्ग के क्वार्टर,

(९) बेटेरिनरी असिस्टेन्ट और कर्मचारियों के निमित्त बने क्वार्टर,

(१०) डेयरी की इमारतें और डेयरी सुपरिन्टेन्डेन्ट और उसके कर्मचारि-वर्ग के लिये बने क्वार्टर तथा डेयरी का ट्यूबवेल,

(११) पावर हाउस तथा असिस्टेन्ट इंजीनियर और कर्मचारि-वर्ग के लिये बने क्वार्टर,

(१२) प्रशासन अधिकारी (ऐडमिनिस्ट्रेटिव आफिसर) का निवासस्थान और कार्यालय की इमारत,

(१३) वहिर्गृह (out-houses) मोटरखाना अस्तबल इत्यादि सहित निरीक्षण गृह (Inspection House),

(१४) कृषि के कर्मचारिवर्ग के लिये क्वार्टर,

(१५) वन विश्रामगृह (Forest Rest House) एवं इमारत,

(१६) पंचायत घर,

(१७) खेती के बीज-गोदाम की इमारत,

(१८) ग्रामीण ट्रैक्टरों का कारखाना,

(१९) सहकारी इमारतें (Co-operative buildings)।

मंडल के संगठन से पूर्व का व्यय।

१८--धारा १७ में उल्लिखित इमारतों के निर्माण तथा रख-रखाव पर व्यय अथवा राज सरकार द्वारा सरकारी गजट में विज्ञप्ति प्रकाशित करके इस सम्बन्ध में निर्दिष्ट व्यय को छोड़कर मंडल के संगठन से पूर्व इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिये राज्य सरकार अथवा केन्द्रीय सरकार द्वारा किया हुआ सभी व्यय मंडल का व्यय समझा जायगा ।

मंडल की निधि।

१९--(१) मंडल की अपनी निधि (fund) होगी और समय-समय पर केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त सभी धनराशियां और अनुदान तथा मंडल की सारी आय इसी निधि में जमा की जायगी तथा मंडल के सभी व्यय इसी निधि में से किये जायेंगे ।

(२) राज्य सरकार द्वारा अन्यथा आदेश न होने पर इस निधि का सारा धन किसी शिडचूल्ड बैंक में जमा किया जायगा अथवा ऐसी प्रतिभूतियों (securities) में लगाया जायगा जिनकी राज्य सरकार अनुमति दे ।

मंडल का व्यय करने का अधिकार।

२०--ऐसी सीमाओं और निरोधों के अधीन जो नियत किये जायं, मंडल को अधिकार होगा कि वह राज्य सरकार के अभिदेश (reference to) के बिना इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए ऐसी धनराशि व्यय करे जिसे वह उचित समझे और ऐसी धनराशियां मंडल की निधि से व्यय होने वाली धनराशियां समझी जायंगी ।

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि मंडल द्वारा अथवा मंडल की ओर से कोई भी धनराशि तब तक नहीं व्यय की जायगी जब तक वह राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत चालू बजट अनुदान के अन्तर्गत न हो ।

ऋणों और ब्याज का भुगतान।

२१--(१) केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार द्वारा मंडल को दिये हुए सभी ऋण, केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार द्वारा, जैसी भी दशा हो, समय समय पर निश्चित दर देय व्यय सहित, मंडल की निधि, अन्य सम्पत्ति अथवा धन पर प्रथम भार (first charge) होंगे और मंडल ऐसे ऋणों को ब्याज सहित उस रीति से और किस्तों में भुगतान करेगा जिन्हें उपयुक्त सरकार (appropriate government) अवधारित करे और प्रत्येक ऐसा भुगतान मंडल के व्यय का भाग समझा जायगा।

(२) राज्य सरकार द्वारा मंडल को दिये हुए प्रत्येक ऋण के प्रयोजनों के लिये, मंडल लोकल अथारिटीज लोन्स ऐक्ट, १९१४ (ऐक्ट ९, १९१४) के अर्थ में लोकल अथारिटी समझा जायगा।

अपकर्ष तथा सुरक्षित अन्य निधियों के लिये व्यवस्था ।

२२-- मंडल अपकर्ष (depreciation) तथा सुरक्षित और अन्य निधियों के लिए ऐसी व्यवस्था करेगा जिसके सम्बन्ध में राज्य सरकार समय-समय पर आदेश दे ।

मंडल को देय धनराशि प्रथम भार होगी।

२३--(१) समय विशेष पर प्रचलित किसी विधि में किसी बात के होते हुए भी जब कोई इमारत धारा १३ के खंड (घ) के अधीन किसी विस्थापित व्यक्ति के हाथ बेची अथवा उसे पट्टे पर दी जाय तो बेचने अथवा पट्टे के कारण मंडल को ब्याज सहित देय धनराशि विस्थापित व्यक्ति की इमारत, मशीनरी, स्टाक और धन (assets) पर प्रथम भार होगी ।

(२) उपधारा (१) के अधीन मंडल को देय कोई भी धनराशि मंडल द्वारा कलेक्टर को प्रार्थना-पत्र दिये जाने पर मालगुजारी की बकाया (arrear of land revenue) की भांति वसूल की जा सकेगी।

बजट ।

२४—मंडल प्रत्येक वर्ष ऐसे आकार में और ऐसे समय पर जो नियत किया जाय, ठीक आगे आने वाले वित्तीय वर्ष के लिये उक्त वित्तीय वर्ष में होने वाली आय और व्यय के अनुमानों का बजट तैयार करेगा और उसे राज्य-सरकार के पास स्वीकृति के लिए भेजेगा। इस प्रकार स्वीकृत बजट मंडल द्वारा केन्द्रीय सरकार के पास सूचनार्थ भेजा जायगा।

वार्षिक रिपोर्ट ।

२५—मंडल, प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर यथाशीघ्र ऐसे आकार में और ऐसे दिनांक से पूर्व जो नियत किया जाय वार्षिक रिपोर्ट तैयार करेगा, जिसमें पिछले वित्तीय वर्ष में होने वाले सभी कार्य कलापों (activities) का पूरा और सच्चा वर्णन होगा तथा इस रिपोर्ट की प्रतियां मंडल द्वारा केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार के पास भेजी जांयगी।

लेखा और लेखा परीक्षण ।

२६—(१) मंडल, ऐसी लेखा पुस्तकें तथा अपने लेखों के सम्बन्ध में अपनी पुस्तकें आकार और रीति से रखेगा जो नियत किये जायं।

(२) मंडल के लेखों का लेखा परीक्षण (audit) ऐसे प्राधिकारी द्वारा, ऐसे समय और रीति से, जो नियत की जाय, किया जाय।

अध्याय ५

प्रकीर्ण

राज्य सरकार के आदेश ।

२७—राज्य सरकार, केन्द्रीय सरकार से परामर्श करने के पश्चात् मंडल द्वारा अनुसरणीय सामान्य आदेश (general instructions) दे सकता है और ऐसे आदेशों के अन्तर्गत मंडल द्वारा इस अधिनियम के अधीन, आदेशों में निर्दिष्ट रीति से, अधिकारों के प्रयोग और कर्तव्यों के पालन का आदेश हो सकेगा, तथा ऐसे आदेशों से मंडल बाध्य होगा।

नक्शों, विवरणों और सूचना आदि मांगने का अधिकार।

२८—(१) मंडल, ऐसे आकार में और ऐसी रीति से और ऐसे समय पर, जिसे राज्य सरकार नियत करे अथवा जिसके सम्बन्ध में राज्य सरकार आदेश दे, किसी भी प्रस्तावित अथवा वर्तमान योजना के सम्बन्ध में, जिसे समय-समय पर राज्य सरकार बताये, नकशे, विवरण-पत्र और ब्योरे प्रस्तुत करेगा।

(२) राज्य सरकार किसी भी समय प्रशासक को सम्बोधित लिखित आज्ञा देकर, मंडल, उसके किसी सदस्य, अधिकारी अथवा सेवक के कृत्यों अथवा कार्यों के सम्बन्ध में सूचना, विवरण-पत्र, रिपोर्ट अथवा लेख्य प्रस्तुत करने को कह सकती है और प्रशासक तदनुसार बिना विलम्ब ही ऐसी आज्ञा का अनुपालन करेगा।

मंडल के प्रस्ताव अथवा आज्ञा के निष्पादन का निषेध।

२९—(१) मंडल द्वारा इस अधिनियम के अधीन पारित किसी प्रस्ताव अथवा दी गयी आज्ञा के निष्पादन अथवा उसके भावी निष्पादन (execution or further execution) को लिखित आज्ञा देकर राज्य सरकार निरुद्ध (prohibit) कर सकती है, यदि राज्य सरकार

की राय में ऐसा प्रस्ताव या आज्ञा इस प्रकार की है जिससे जनता में अथवा विधित: नियुक्त (lawfully employed) किसी वर्ग या व्यक्ति समूह में विघ्न, उद्वेग अथवा क्षति (obstruction, annoyance or injury) हो सकती है अथवा होने की आशंका हो, और किसी व्यक्ति द्वारा ऐसे प्रस्ताव अथवा आज्ञा के अनुसार अथवा अन्तर्गत किसी भी काम को अथवा काम के जारी रखने को निषिद्ध कर सकती है।

(२) उपधारा (१) के अधीन पारित प्रत्येक आज्ञा की प्रति सम्बद्ध लेखों सहित राज्य सरकार द्वारा केन्द्रीय सरकार को भेजी जायगी।

राज्य सरकार के आपत्तिक अधिकार।

३०—(१) यदि राज्य सरकार की राय में कोई आपात्ति (emergency) वर्तमान हो तो राज्य सरकार आदेश दे सकती है कि कोई भी निर्माणकार्य अथवा काम, जिसे मंडल इस अधिनियम के अधीन करने के लिए अधिकृत हो, और जिसका निष्पादन अथवा करना राज्य सरकार की राय में सार्वजनिक बचाव और सुरक्षा की दृष्टि से आवश्यक हो, तत्काल निष्पन्न हो अथवा किया जाय तथा उक्त निर्माण कार्य अथवा काम के निष्पादन अथवा करने का व्यय मंडल की निधि से दिया जाय।

(२) यदि ऐसा व्यय जिसके भुगतान की आज्ञा उपधारा (१) के अधीन दी गयी हो, तत्काल न अदा किया जाय तो राज्य सरकार मंडल की निधि की अभिरक्षा करने वाले व्यक्तियों को आज्ञा दे सकती है कि व्यय अथवा उसका वह अंश जो यथा समय संभव हो निधि से ऐसे अन्य सभी परिव्ययों की अपेक्षा प्राथमिकता से अदा किया जाय, जो उस पर भारित हों।

मंडल द्वारा निवेदन पत्र। representation

३१—यदि राज्य सरकार ने धारा २९ अथवा ३० के अधीन आज्ञा दी हो, तो मंडल उक्त आज्ञा की प्राप्ति के दिनांक से तीन मास के भीतर राज्य सरकार के समक्ष ऐसा निवेदन-पत्र (representation) प्रस्तुत कर सकता है जिससे वह उचित समझे और तत्पश्चात् राज्य सरकार या तो आज्ञा को पुष्ट अथवा परिष्कृत करेगी या रद्द (confirm, modify or rescind) कर देगी। इस प्रकार राज्य सरकार द्वारा पारित आज्ञा परिनिष्ठित होगी।

राज्य सरकार का अधिक्रांत करने का अधिकार।

३२—(१) यदि राज्य सरकार की राय में मंडल इस अधिनियम द्वारा अथवा उसके अधीन आरोपित कर्तव्य करने में अक्षम (in competent) हो गया है अथवा अविरत रूप से विचलित हो रहा है (persistently making default) अथवा अपने अधिकारों का अतिक्रमण अथवा दुरुपयोग कर रहा है तो राज्य सरकार केन्द्रीय सरकार से परामर्श करने के पश्चात् सरकारी गजट में विज्ञप्ति प्रकाशित करके, मंडल को विज्ञप्ति में निर्दिष्ट की जाने वाली अवधि के लिए अधिक्रान्त (supersede) कर सकती है :

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि इस उपधारा के अधीन विज्ञप्ति प्रचारित करने से पहले राज्य सरकार मंडल से इस बात का कारण बताने का उपयुक्त अवसर देगी कि मंडल क्यों न अधिक्रान्त किया जाय, और मंडल द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण और आपत्तियों पर, यदि कोई हों, विचार करेगी।

(२) जब इस उपधारा के अधीन मंडल अधिक्रान्त हो जाय तो :

(१) निम्नलिखित परिणाम होंगे, अर्थात् :–

(क) मंडल के सभी सदस्य की हैसियत से अपना पद अधिक्रमण के दिनांक से रिक्त कर देंगे;

(ख) वे सभी अधिकार और कर्तव्य जो इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन अथवा द्वारा, मंडल द्वारा अथवा मंडल की ओर से प्रयुक्त अथवा कार्यान्वित होते हों, अधिक्रान्त रहने के काल में उस व्यक्ति अथवा व्यक्तियों द्वारा प्रयुक्त अथवा कार्यान्वित होंगे जिसे अथवा जिन्हें राज्य सरकार केन्द्रीय सरकार से परामर्श करने के पश्चात् निर्णीत करें;

(ग) मंडल में निहित सभी सम्पत्ति अधिक्रान्त रहने के काल में राज्य सरकार में निहित रहेगी।

(३) उपधारा (१) के अधीन विज्ञप्ति में निर्दिष्ट अधिक्रान्त रहने के काल की समाप्ति पर, केन्द्रीय सरकार से परामर्श करने के पश्चात् राज्य सरकार :

(क) समय समय पर अधिक्रान्त रहने के काल उस अवधि के लिये बढ़ा सकती है जिसे वह उचित समझे, अथवा

(ख) धारा ४ में व्यवस्थित रीति से मंडल को संगठित कर सकती है।

विवाद।

३३––यदि किसी स्थानीय प्राधिकारी और मंडल के बीच कोई ऐसा विवाद उत्पन्न हो जाय जिसके सुलझाने की व्यवस्था इस अधिनियम में अन्यथा नहीं की गई है तो वह विषय राज्य सरकार के पास अभिदिष्ट किया जायगा, और उस पर राज्य सरकार का निर्णय अन्तिम होगा :

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि जब ऐसा विवाद मंडल और कैन्टूनमेंट बोर्ड के बीच उत्पन्न हो तो राज्य सरकार निर्णय देने से पूर्व केन्द्रीय सरकार से परामर्श कर लेगी।

प्रवेश का अधिकार।

३४––जब इस अधिनियम के अधीन मंडल द्वारा अधिकारों के प्रयोग अथवा कर्तव्यों के पालन के प्रारम्भिक अथवा आनुषंगिक रूप से कोई मापन परीक्षण अथवा गवेषण (survey or examination or investigation) करना अथवा किसी निर्माण कार्य को करना आवश्यक हो तो मंडल का सामान्यतः अथवा विशिष्टतः अधिकृत कोई भी अधिकारी किसी भूमि अथवा गृहादि में, भूमि अथवा गृहादि के स्वामी अथवा अध्यासी को ऐसा करने के अपने विचार की उचित सूचना देकर सूर्योदय और सूर्यास्त के बीच ऐसे निर्माण-कार्य को कार्यान्वित करने के लिए अथवा मापन, परीक्षण अथवा गवेषण के प्रयोजन से प्रवेश कर सकता है और ऐसी भूमि अथवा गृहादि के स्वामी अथवा अध्यासी की लिखित अनुमति से किसी भी समय प्रवेश कर सकता है।

अधिकारों का सौंपना ।

३५--प्रस्ताव में निर्दिष्ट शर्तों और सीमाओं के अधीन, यदि कोई हों, मंडल प्रस्ताव द्वारा अपने अध्यक्ष अथवा किसी सदस्य, अधिकारी या सेवक को इस अधिनियम के अधीन ऐसे अधिकार और कर्तव्य मंडल के दैनिक प्रशासन के सुदक्ष निर्वाह के हेतु, जिन्हें वह आवश्यक समझे, सौंप (delegate) सकता है।

मंडल के लिये भूमि का अनिवार्य रूप से उपार्जन ।

३६--इस अधिनियम के उपबन्धों को कार्यान्वित करने के लिए मंडल द्वारा अपेक्षित कोई भी भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यक समझी जायगी और उक्त भूमि मंडल द्वारा इस प्रकार उपार्जित कर ली जायगी मानो कि लैंड एक्वीजिशन ऐक्ट, १८९४ (ऐक्ट १, १८९४) के उपबन्ध उस पर प्रवृत्त हों और मंडल उक्त ऐक्ट की धारा ३ के खंड (ई) के अधीन कम्पनी हो।

मंडल के सदस्य, अधिकारी और सेवक जन सेवक (public servants) समझे जायंगे। ऐक्ट ४५, १८६०।

३७--मंडल के सभी सदस्य, अधिकारी तथा सेवक, चाहे वे मंडल द्वारा नियुक्त हों अथवा राज्य सरकार द्वारा, जब वे इस अधिनियम के प्रयोजनों के अनुसार कार्य कर रहे हों या कार्य करते हुए समझे जाते हों, तो वे इंडियन पैनल कोड की धारा २१ के प्रयोजनों के निमित्त पब्लिक सर्वेन्ट (जन सेवक) समझे जायंगे।

अभियोजन की प्रक्रिया ।

३८--यदि अन्यथा स्पष्ट व्यवस्था न हो कोई भी न्यायालय इस अधिनियम के अधीन अथवा तदन्तर्गत निर्मित नियमों के अधीन किसी भी अपराध की अवेक्षा न करेगा (shall not take cognizance) जब तक कि मंडल अथवा उसके द्वारा इस सम्बन्ध में अधिकृत कोई भी व्यक्ति अभियोग (complaint) प्रस्तुत न करे।

विधिक कार्यवाहियों पर रोक ।

३९--इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन सद्भावना से किये गये अथवा किये समझे गये किसी भी कार्य के सम्बन्ध में मंडल के किसी भी अधिकारी अथवा सेवक के विरुद्ध कोई भी वाद अथवा विधिक कार्यवाही न की जा सकेगी।

मंडल का विघटन तथा उसके धन (assets) अथवा दायित्व का किसी भी स्थानीय प्राधिकारी को संक्रामित होना।

४०--(१) जब नगर निर्मित तथा विकसित हो जाय अथवा इस सीमा तक निर्मित और विकसित हो जाय जिससे कि राज्य सरकार की राय में मंडल का जारी रहना अनावश्यक हो जाय तो राज्य सरकार, केन्द्रीय सरकार की स्वीकृति से, सरकारी गजट में विज्ञप्ति प्रकाशित करके, प्रख्यापित कर सकती है कि विज्ञप्ति में निर्दिष्ट दिनांक से मंडल विघटित हो जायगा और मंडल तदनुसार विघटित समझा जायगा।

(२) उक्त दिनांक पर तथा उससे :--

(क) मंडल के पास सभी सम्पत्तियां, निधियां एवं देय धनराशियां तथा कार्यक्षेत्र में स्थित सभी सम्पत्तियां, जो उक्त दिनांक से तत्काल पूर्व मंडल के पास में थीं अथवा उसके द्वारा वसूल की जा सकती थीं, ऐसी स्थानीय प्राधिकारी में निहित होंगी तथा उसके द्वारा वसूल करने योग्य होंगी जिसे राज्य सरकार समय विशेष पर प्रचलित किसी विधि के अधीन संगठित करे;

(ख) उक्त दिनांक से तत्काल पूर्व मंडल के विरुद्ध प्रयोजनीय (enforceable) सभी दायित्व (liabilities) उक्त स्थानीय प्राधिकारी क विरुद्ध प्रयोजनीय होंगे;

(ग) मंडल द्वारा आरब्ध किन्तु अपूर्ण रूप से निष्पन्न किसी निर्माण कार्य के सम्मापन (completion) के प्रयोजन के लिए तथा खंड (क) में अभिदिष्ट सम्पत्तियों, निधियों और देय धनराशियों को उगाहने के लिये इस अधिनियम के अधीन मंडल के कृत्य उक्त स्थानीय प्राधिकारी द्वारा किये जायंगे;

(घ) उक्त स्थानीय प्राधिकारी इस अधिनियम के अधीन प्राप्त तथा व्ययित (expended) सभी धनराशियों का अलग हिसाब रखेगो जब तक कि तद्न्तर्गत लिये गये सभी ऋणों का पुनर्भुगतान न हो जाय तथा खंड (ग) में अभिदिष्ट अन्य दायित्वों का शोधन न हो जाय।

४१—(१) राज्य सरकार इस अधिनियम के उपबन्धों को कार्यान्वित करने के लिये सरकारी गजट में पूर्व प्रकाशन के पश्चात् नियम बना सकती है।

(२) विशेषशतः तथा पूर्वोक्त अधिकार की व्यापकता को बाधित न करते हुए ऐसे नियमों में निम्नलिखित के लिए व्यवस्था की जा सकती है :—

(क) सदस्यों का कार्यकाल, आकस्मिक रिक्तियों को भरने की रीति तथा मंडल के किसी भी सदस्य अथवा सम्बद्ध सदस्य (associate member) को देय भत्ता, अथवा शुल्क,

(ख) धारा ९ के अधीन नियुक्त मंडल के अधिकारियों तथा सेवकों को सेवा के प्रतिबन्ध और शर्तें,

(ग) धारा १० के अधीन नियुक्त प्रशासक की सेवा के प्रतिबन्ध और शर्तें,

(घ) प्रशासक के कृत्य और कर्तव्य,

(ङ) मंडल की बैठकों का समय तथा स्थान और ऐसी बैठकों में होने वाले कार्य के निमित्त अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया,

(च) समय जिसमें और रीति जिससे मंडल के लेखे रखे जायंगे और उनका परीक्षण (audit) किया जायगा,

(छ) वे आकार (forms) जिनमें बजट और वार्षिक रिपोर्ट तैयार की जायगी तथा धारा २४ और २६ के अधीन राज्य सरकार एवं केन्द्रीय सरकार को भेजी जायगी,

(ज) इस अधिनियम के अधीन सूचनाओं (नोटिसों) और आज्ञाओं की तामीली, तथा

(झ) अन्य विषय जिन्हें नियत करना है और जो नियत किये जायं।

(३) इस धारा के अधीन बने सभी नियम सरकारी गजट म प्रकाशित होंगे।

(४) इस अधिनियम के अधीन बनाये गये किसी भी नियम में व्यवस्था की जा सकती है कि उसका उल्लंघन अर्थदंड द्वारा दंडनीय होगा जो ५०० रुपये तक हो सकता है।

अपवाद।

४२--एतद्द्वारा यह प्रख्यापित किया जाता है कि इस अधिनियम के अधीन मंडल के संगठन से पूर्व किसी भी समय राज्य सरकार द्वारा संगठित हस्तिनापुर नगर विकास मंडल नामक संस्था द्वारा, नगर के निर्माण और विकास के प्रयोजनार्थ की गयी सब बातें तथा किये गये सभी कार्य, अथवा की गयी समझी जाने वाली सभी बातें अथवा कार्य उक्त संस्था के संगठन में किसी दोष अथवा अवैधता के रहते हुए, इस अधिनियम के अधीन संगठित मंडल द्वारा वैध रूप से की गयी बातें अथवा किए गए कार्य समझे जायंगे मानों यह अधिनियम उस समय प्रचलित था और मंडल उस समय संगठित था जब ऐसी बातें अथवा कार्य किए गये थे।

उद्देश्य और कारण

पाकिस्तान के ग्रामीण क्षेत्रों से विस्थापित व्यक्तियों के जन समूह के अत्याधिक संख्या में आ जाने के परिणामस्वरूप प्राचीन हस्तिनापुर को उनको बसाने के लिए विकसित करना आवश्यक हो गया। नये नगर के विकास की अपनी विशेष समस्याएं हैं, जो यू० पी० म्युनिसिपैलिटीज ऐक्ट के अन्तर्गत म्युनिसिपैलिटी के स्थापना से ठीक से नहीं सुलझ सकतीं। इसके अतिरिक्त केन्द्रीय सरकार ने इस उपनिवेश की पर्याप्त आर्थिक सहायता की है, और कम से कम जब तक यह नगर पूर्ण विकसित न हो जाय केन्द्रीय सरकार का मंडल में प्रतिनिधित्व आवश्यक है। यू० पी० म्युनिसिपैलिटीज ऐक्ट किसी भी स्थानीय प्राधिकारी को व्यापार, व्यवसाय अथवा उद्योग का उत्थान करने का अधिकार नहीं देता है जो इस स्थिति में आवश्यक है।

इसलिए ऐसा विधिक स्थानीय प्राधिकारी (statutory local body) की स्थापना आवश्यक हो गयी है।

एतदर्थ यह विधेयक प्रस्तुत किया जा रहा है।

हुकुम सिंह विसेन,
सहायता तथा पुनर्वास मंत्री।

पां० एस० यू० पी० ए० पी०--१२३ एल० ए०-- १९५४--८५० ।